


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 190]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 2, 2014/चैत्र 12, 1936

No. 190]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 2, 2014/CHAITRA 12, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2014

सा.का.नि.260(अ). – केंद्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 88 की उपधारा (1), धारा 88 की उपधारा (4), धारा 89 की उपधारा (1), धारा 89 की उपधारा (2), धारा 89 की उपधारा (6), धारा 91 की उपधारा (1), धारा 92 की उपधारा (2), धारा 92 की उपधारा (3), धारा 92 की उपधारा (2), धारा 93, धारा 94 की उपधारा (1), धारा 100 की उपधारा (4), धारा 114 की उपधारा (2), धारा 102, 101, 105, 108, धारा 109 की उपधारा (5), धारा 112, 113, 110, धारा 110 की उपधारा (1), धारा 2 की उपधारा (68), धारा 12 की उपधारा (5), धारा 13 की उपधारा (8), धारा 43, 48, धारा 68 की उपधारा (1), धारा 151, धारा 180 की उपधारा (1), धारा 186 की उपधारा (3), धारा 115, धारा 117 की उपधारा (1), धारा 118 की उपधारा (1), धारा 119 की उपधारा (2), धारा 120 और धारा 121 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कम्पनी साधारण नियम और प्ररूप, 1956 अथवा इन नियमों के अधीन आने वाले मामलों के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अंतर्गत विहित किन्हीं अन्य सुसंगत नियमों को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् –

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 है।
- (2) ये नियम 01 अप्रैल, 2014 को प्रवृत्त होंगे।

- 2. परिभाषाएं:-** (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो,
- (क) 'अधिनियम' से कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;
- (ख) 'अनुबंध' से इन नियमों का उपाबंध अभिप्रेत है;
- (ग) 'फीस' से कम्पनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2013 में यथा विनिर्दिष्ट फीस अभिप्रेत है;
- (घ) 'प्ररूप' से इन नियमों के अनुबंध में दिया गया ई-प्ररूप अभिप्रेत है जिसका उपयोग उन मामलों के लिए किया जाएगा जिनसे यह संबंधित है;
- (ङ.) 'प्रादेशिक निदेशक' से कारपोरेट कार्य मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रादेशिक निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (च) 'धारा' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किंतु परिभाषित नहीं है और अधिनियम या कंपनी (परिभाषाओं के विनिर्देशन के ब्यौरे) नियम, 2014 में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः इन अधिनियमों या उक्त नियम में उनके हैं।

3. सदस्यों का रजिस्टर :-

- (1) शेयरों द्वारा सीमित प्रत्येक कंपनी, अपने रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्ररूप सं. एमजीटी. 1 में अपने सदस्यों के रजिस्टर का अनुरक्षण करेगी।

परंतु कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत मौजूदा कंपनियों के मामले में इन नियमों के आरंभ होने की तारीख से छः महीनों के भीतर विवरण संकलित किए जाएंगे।

- (2) यदि किसी कंपनी के पास शेयर पूंजी नहीं है, तो सदस्यों के रजिस्टर में प्रत्येक सदस्य के संबंध में निम्नलिखित विशिष्टियां सम्मिलित होंगी, अर्थात्-
- (क) सदस्य का नाम; पता (सदस्य यदि निगमित निकाय है तो रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता); ई-मेल पता; स्थाई खाता संख्या या सीआईएन; सुभिन्न पहचान संख्या, यदि कोई हो; पिता/माता/पति या पत्नी का नाम; व्यवसाय; स्थिति; राष्ट्रियता; यदि सदस्य अवयस्क हो तो अभिभावक का नाम और सदस्य की जन्म तारीख; नामनिर्देशिती का नाम और पता;
- (ख) सदस्य बनने की तारीख;
- (ग) समाप्ति की तारीख;
- (घ) गारंटी की रकम, यदि कोई हो;
- (ङ.) कोई अन्य हित, यदि कोई हो; और
- (च) नोटिस आदि भेजने के संबंध में सदस्य द्वारा दिया गया अनुदेश, यदि कोई हो

परंतु कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत मौजूदा कंपनियों के मामले में इन नियमों के आरंभ होने की तारीख से छः मास के भीतर विशिष्टियां संकलित किए जाएंगे।

4. डिबेंचर धारकों या किसी अन्य प्रतिभूति धारकों का रजिस्टर:-

प्रत्येक कंपनी जो डिबेंचर या कोई अन्य प्रतिभूति वितरित या आवंटित करती है, **प्ररूप सं. एमजीटी.2.** में प्रत्येक प्रकार के यथास्थिति डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के लिए डिबेंचर धारकों या प्रतिभूति धारकों, की एक अलग रजिस्टर का अनुरक्षण करेगी।

5. धारा 88 के अंतर्गत सदस्यों आदि के रजिस्टर का अनुरक्षण:-

प्रत्येक कंपनी खण्ड (क), खण्ड (ख) और खण्ड (ग) के अंतर्गत निम्नलिखित रीति से रजिस्टर का अनुरक्षण करेगी, अर्थात्-

- (1) धारा 88 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में निदेशक मंडल अथवा इसकी सम्यक रूप से रूप से गठित समिति द्वारा यथास्थिति शेयरों, डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों, जैसा भी मामला हो, के आवंटन या अंतरण को अनुमोदित करने के बाद सात दिनों के भीतर प्रविष्टियां की जाएंगी।
- (2) रजिस्टर का अनुरक्षण कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में किया जाएगा जब तक कि शहर, नगर या गांव के अंदर किसी अन्य स्थान में, जहां कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है अथवा भारत में किसी अन्य स्थान पर जहां सदस्य रजिस्टर में दर्ज कुल सदस्यों के 10वें भाग से अधिक की संख्या में सदस्य निवास करते हैं, में रजिस्टर रखने को प्राधिकृत करते हुए साधारण अधिवेशन में एक विशेष संकल्प पारित न कर दिया जाए।
- (3) शेयरों की किसी समपहरण, वापसी-खरीद, कटौती, प्रविभाजन, समेकन अथवा रद्दकरण के परिणामस्वरूप अतिशोषित साम्या शेयरों के निर्गम, शेयरों के पारेषण, व्यवस्थापन किसी स्कीम के अधीन जारी शेयरों अथवा कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम या इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त ऐसी किसी स्कीम के अंतर्गत निर्गत शेयरों अथवा अनुलिपि या नए शेयर प्रमाण-पत्र या नए डिबेंचर या अन्य प्रतिभूति प्रमाण-पत्र के निर्गम द्वारा निर्गत शेयरों की प्रविष्टि सदस्यों के रजिस्टर अथवा यथास्थिति संबंधित रजिस्टर, में बोर्ड समिति के अनुमोदन के बाद सात दिनों के भीतर प्रविष्टि प्रविष्ट की जाएगी।
- (4) यदि किसी सदस्य या डिबेंचर धारक या किसी अन्य प्रतिभूति धारक की प्रास्थिति में कोई परिवर्तन होता है, चाहे यह परिवर्तन मृत्यु या दिवालियापन या नाम में परिवर्तन के कारण अथवा निवेशक शिक्षा सुरक्षा निधि में अंतरण के कारण अथवा किसी अन्य कारण से हुआ है, तो संबंधित रजिस्टर में परिवर्तन का स्पष्टीकरण देते हुए प्रविष्टियां की जाएंगी।
- (5) अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के अनुसरण में कंपनी द्वारा धारा 88 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में यदि कोई शुद्धिकरण होता है, तो संबंधित रजिस्टर में ऐसे आदेश का आवश्यक संदर्भ उपदर्शित किया जाएगा।
- (6) यदि किसी न्यायिक या राजस्व प्राधिकरण द्वारा अथवा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अथवा अधिकरण द्वारा शेयरों, डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों को संलग्न करने के लिए और लाभांश या ब्याज के धन पारेषण का निदेश देने के लिए कोई आदेश पारित किया जाता है, तो संबंधित रजिस्टर में ऐसे आदेश का आवश्यक संदर्भ दर्शित किया जाएगा।
- (7) ऐसी कंपनियां, जिनकी प्रतिभूतियां भारत में या भारत के बाहर स्थित स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं; के मामले में प्रवर्तक द्वारा धारित कंपनी की किन्हीं प्रतिभूतियों के संबंध में प्रवर्तकों द्वारा सृजित किसी गिरवी, ऋणभार, धारणाधिकार या दृष्टिबंधक के विवरण सहित गिरवीकर्ता/गिरवीग्राही और इसमें किसी निरसन के ब्यौरे ऐसी घटना से पंद्रह दिनों के भीतर रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

- (8) यदि किसी सूचीबद्ध कंपनी के प्रवर्तक, जिसने दूसरी कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई है, के पास ऐसी संयुक्त उद्यम कंपनी से संबद्ध सूचीबद्ध कंपनी की किसी प्रतिभूति के संबंध में गिरवी या आडमान या सृजित भार या धारणाधिकार हो, तो ऐसे गिरवी या आडमान या सृजित भार या धारणाधिकार के ब्यौरे ऐसी घटना से 15 दिनों के भीतर सूचीबद्ध कंपनी की सदस्य रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

6. रजिस्टर में सम्मिलित किए जाने के लिए नामों की अनुक्रमणिका:-

- (1) धारा 88 की उपधारा (1) के अंतर्गत अनुरक्षित प्रत्येक रजिस्टर में संबंधित रजिस्टर में प्रविष्ट नामों की अनुक्रमणिका सम्मिलित होगी और इस अनुक्रमणिका में प्रत्येक पृष्ठ के संबंध में आसानी से संदर्भ पाए जाने के लिए रजिस्टर के उस पृष्ठ से संबंधित प्रविष्टियां प्रविष्ट करने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त चिन्ह सम्मिलित होंगे।

परंतु यदि सदस्यों की संख्या पचास से कम हो तो अनुक्रमणिका का अनुरक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

- (2) कंपनी ऐसे रजिस्टर में किसी प्रतिभूति के आवंटन अथवा अंतरण के लिए प्रविष्टि दर्ज करने के साथ-साथ अनुक्रमणिका में आवश्यक प्रविष्टियां दर्ज करेगी।

7. सदस्यों, डिबेंचर धारकों, अन्य प्रतिभूति धारकों या भारत के बाहर रहने वाले फायदाग्राही स्वामियों का विदेशी रजिस्टर :-

- (1) कोई कंपनी जिसके पास शेयर पूंजी है या जिसने डिबेंचर या कोई अन्य प्रतिभूति निर्गमित की है, यदि वह अपने नियमों द्वारा इसके लिए प्राधिकृत है, तो वह सदस्यों, यथास्थिति, डिबेंचर धारकों अथवा किसी अन्य प्रतिभूति धारकों अथवा फायदाग्राही स्वामी, जो उस देश का निवासी हो, के रजिस्टर (इसे इस नियम में इसके पश्चात 'विदेशी रजिस्टर' कहा गया है) का एक भाग भारत के बाहर किसी देश में रख सकती है।
- (2) कंपनी, किसी विदेशी रजिस्टर के खोलने की तारीख से तीस दिनों के भीतर फीस सहित प्ररूप सं. एमजीटी. 3 में कार्यालय की स्थिति, जहां ऐसा रजिस्टर रखा जाता है, की सूचना रजिस्ट्रार के पास दर्ज कराएगी; और ऐसे कार्यालय की स्थिति में किसी परिवर्तन अथवा इसके बंद होने की स्थिति में कंपनी यथास्थिति ऐसे स्थान परिवर्तन या कार्यालय के बंद होने, की तारीख से तीस दिनों के भीतर प्ररूप सं. एमजीटी. 3 में ऐसे स्थान परिवर्तन या कार्यालय के बंद होने के बारे में रजिस्ट्रार के पास सूचना दर्ज कराएगी।
- (3) किसी विदेशी रजिस्टर को यथास्थिति सदस्यों अथवा डिबेंचर धारकों अथवा किसी अन्य प्रतिभूति धारकों अथवा स्वामियों, की कंपनी के रजिस्टर (इस नियम में इसके पश्चात इसे 'मूल रजिस्टर' कहा गया है) का एक भाग माना जाएगा।
- (4) विदेशी रजिस्टर को मूल रजिस्टर की तरह समान फारमेट में अनुरक्षित किया जाएगा।
- (5) किसी विदेशी रजिस्टर को मूल रजिस्टर की तरह निरीक्षण हेतु खोला और बंद किया जा सकता है, और वहां से उद्धरण लिए जा सकते हैं और उनकी अपेक्षित प्रतियां यथा लागू आवश्यक परिवर्तन सहित प्राप्त की जा सकती है, सिवाय इसके कि रजिस्टर बंद करने से पहले इसका विज्ञापन उस स्थान जहां विदेशी रजिस्टर रखा गया है, में परिचालित होने वाले कम से कम दो समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जाए।
- (6) यदि किसी कंपनी द्वारा विदेशी रजिस्टर को भारत से बाहर किसी देश में रखा जाता है, तो रजिस्टर के शुद्धीकरण के संबंध में समुचित सक्षम प्राधिकारी का निर्णय बाध्यकारी होगा।
- (7) धारा 88 की उपधारा (4) के अंतर्गत अनुरक्षित विदेशी रजिस्टर में प्रविष्टियों को निदेशक मंडल या इसकी सम्यक रूप से गठित समिति द्वारा शेयरों, यथास्थिति डिबेंचरों या किसी अन्य प्रतिभूति के आवंटन या अंतरण को अनुमोदित किए जाने के बाद साथ-साथ प्रविष्ट किया जाएगा।
- (8) कंपनी -

- (क) भारत में स्थित अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय को किसी विदेशी रजिस्टर में प्रविष्टि दर्ज होने के बाद पन्द्रह दिनों के अंदर प्रत्येक प्रविष्टि की एक प्रति प्रेषित करेगी; और
- (ख) ऐसे कार्यालय में प्रत्येक विदेशी रजिस्टर की समय-समय पर सम्यक रूप से दर्ज प्रविष्टियों वाली एक द्वितीय प्रति रजिस्टर रखेगी।
- (9) प्रत्येक ऐसी द्वितीयक रजिस्टर इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए मूल रजिस्टर का एक भाग माना जाएगा।
- (10) द्वितीय रजिस्टर के संबंध में धारा 88 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यक्षीन, किसी विदेशी रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत यथास्थिति शेयरों अथवा, डिबेंचरों या कोई अन्य प्रतिभूति को मूल रजिस्टर और प्रत्येक अन्य विदेशी रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत शेयरों अथवा यथास्थिति डिबेंचरों अथवा किसी अन्य प्रतिभूति से अलग चिन्हित किया जाएगा; और किसी विदेशी रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत शेयरों या, यथास्थिति, डिबेंचरों अथवा किसी अन्य प्रतिभूति के संबंध में कोई लेन-देन उसके रजिस्ट्रीकरण के जारी रहने के दौरान किसी अन्य रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा।
- (11) कंपनी किसी विदेशी रजिस्टर का अनुरक्षण करना बंद कर सकती है और तत्पश्चात उस रजिस्टर में दर्ज सभी प्रविष्टियां कंपनी द्वारा भारत से बाहर रखी गई किसी अन्य विदेशी रजिस्टर में अथवा मूल रजिस्टर में अंतरित कर दी जाएंगी।

8. अधिप्रमाणन :-

- (1) धारा 88 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर और इसमें सम्मिलित अनुक्रमणिका में दर्ज प्रविष्टियां कंपनी के कंपनी सचिव द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा अधिप्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित की जाएगी, और इसको प्राधिकृत करने के लिए बोर्ड के संकल्प की तारीख का उल्लेख किया जाएगा।
- (2) विदेशी रजिस्टर में प्रविष्टियों को कंपनी के कंपनी सचिव द्वारा या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रत्येक प्रविष्टि पर उसके हस्ताक्षर लेकर अधिप्रमाणित किया जाएगा।

9. किसी शेयर में हिताधिकारी हित के संबंध में घोषणा:-

- (1) कोई व्यक्ति जिसका नाम कंपनी के सदस्य रजिस्टर में उस कंपनी के शेयर धारक के रूप में दर्ज है किंतु वह ऐसे शेयरों (इसके बाद उसे "रजिस्ट्रीकृत स्वामी" कहा गया है) में हिताधिकारी हित धारित नहीं करता है, वह ऐसी कंपनी के सदस्य रजिस्टर में उसका नाम दर्ज होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर कंपनी में इस के प्रयोजन के लिए **प्ररूप सं. एमजीटी.4.** में दो प्रतियों में एक घोषणा दर्ज करेगा:

परंतु जहां ऐसे शेयरों के हिताधिकारी हित में जहां कोई परिवर्तन होता है वहां रजिस्ट्रीकृत स्वामी, ऐसे परिवर्तन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर कंपनी में **प्ररूप सं. एमजीटी. 4** में दो प्रतियों में ऐसे परिवर्तन की घोषणा करेगा।

- (2) प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास किसी कंपनी की शेयर धारिता है और जिसे घोषणा प्रस्तुत करने से छूट प्राप्त है अथवा शेयरों के हिताधिकारी हित धारण उसके नाम से रजिस्ट्रीकृत नहीं है, (जिसे इसमें इसके पश्चात "हिताधिकारी स्वामी" कहा गया है) वह कंपनी के शेयरों में ऐसे हिताधिकारी हित के अर्जन के बाद तीस दिनों के भीतर कंपनी को दो प्रतियों में **प्ररूप सं. एमटीजी. 5** में ऐसे हितलाभ को प्रकट करने के लिए घोषणा प्रस्तुत करेगा।

परंतु जहां ऐसे शेयरों के हिताधिकारी हित में कोई परिवर्तन होता है तो रजिस्ट्रीकृत स्वामी, ऐसे परिवर्तन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर कंपनी में **प्ररूप सं. एमजीटी. 5** में दो प्रतियों में ऐसे परिवर्तन की घोषणा करेगा।

- (3) जहां कंपनी द्वारा धारा 89 के अंतर्गत कोई घोषणा प्राप्त होती है, वहां कंपनी सदस्यों के रजिस्टर में ऐसी घोषणा को नोट करेगी और अपने द्वारा घोषणा प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर फीस सहित ऐसी घोषणा के संबंध में रजिस्ट्रार के पास **प्ररूप सं. एमजीटी. 6** में एक विवरणी प्रस्तुत करेगी।

10. सदस्यों अथवा डिबेंचर धारकों अथवा अन्य प्रतिभूति धारकों के रजिस्टर का परिसमापन:-

(1) कंपनी यदि ऐसी कंपनी एक सूचीबद्ध कंपनी है या अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने का आशय रखती है, सदस्य रजिस्टर या डिबेंचर धारक रजिस्टर या अन्य प्रतिभूति धारक रजिस्टर बंद करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा यथाविनिर्दिष्ट, ऐसे फारमेट में, जिले की प्रमुख स्थानीय भाषा में स्थानीय समाचार पत्र में कम से कम एक बार और उस स्थान पर, जहां कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, में व्यापक परिचालन करके, और उस जिले में परिचालनरत और उस स्थान पर जहां कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, में व्यापक परिचालन वाले किसी अंग्रेजी समाचार पत्र में कम से कम एक बार विज्ञापन द्वारा कम से कम सात दिन पूर्व नोटिस देगी और वेबसाइट पर जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, और कंपनी की वेबसाइट, यदि कोई हो, पर नोटिस प्रकाशित करेगी।

(2) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट उपबंध किसी प्राइवेट कंपनी पर लागू नहीं होंगे परंतु यह नोटिस सदस्य या डिबेंचर धारक या अन्य प्रतिभूति धारक रजिस्टर के बंद करने के सात दिन पहले से अनधिक की अवधि में प्राइवेट कंपनी के सभी सदस्यों को प्रेषित कर दी गई हो।

11. वार्षिक विवरणी:-

(1) प्रत्येक कंपनी **प्ररूप सं. एमजीटी.7** में अपनी वार्षिक विवरणी तैयार करेगी।

(2) किसी सूचीबद्ध कंपनी अथवा 10 करोड़ रूपए या अधिक की समादत्त शेयर पूंजी वाली किसी कंपनी अथवा पचास करोड़ रूपए या अधिक के कारोबार वाली किसी कंपनी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरणी को सिद्धांततः कंपनी सचिव द्वारा सत्यापित किया जाएगा और इसका प्रमाण-पत्र **प्ररूप सं.एमजीटी. 8** में दिया जाएगा।

12. वार्षिक विवरणी के उद्धरण:-

(1) बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न किए जाने वाली वार्षिक विवरणी के उद्धरण **प्ररूप सं. एमजीटी. 9** में प्रस्तुत किए जाएंगे।

(2) वार्षिक विवरणी की एक प्रति ऐसी फीस, जो इस प्रयोजन हेतु विनिर्दिष्ट किया जाए, सहित रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाएगी।

13. प्रवर्तकों की शेयर धारिता स्थिति में परिवर्तन और शीर्ष दस शेयर धारकों के ब्यौरे:-

प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी प्रवर्तकों और कंपनी के शीर्ष दस शेयरधारकों की शेयरधारिता स्थिति में दो प्रतिशत या अधिक की या तो वृद्धि या कमी के परिवर्तन, चाहे यह वृद्धि या कमी मूल्य में हुई हो या मात्रा में हुई हो, के प्रत्येक मामले में ऐसे परिवर्तन को इक्कीस दिनों के भीतर फीस के साथ **प्ररूप सं. एमजीटी.10** में एक विवरण प्रस्तुत करेगी।

स्पष्टीकरण:- इस उप नियम के के प्रयोजन के लिए “परिवर्तन” पद का अर्थ कंपनी के प्रत्येक प्रवर्तक और शीर्ष दस शेयर धारकों में से प्रत्येक की शेयर धारिता में दो प्रतिशत या इससे अधिक तक की वृद्धि या कमी है।

14. रजिस्ट्रारों, विवरणियों आदि का निरीक्षण:-

(1) धारा 88 के अनुसरण में अनुरक्षित रजिस्ट्रारों और सूचियों तथा धारा 92 के अनुसरण में तैयार विवरणी की प्रतियों को किसी सदस्य, डिबेंचर धारक, अन्य प्रतिभूति धारक या हिताधिकारी स्वामी द्वारा बिना फीस के संदाय के और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी फीस जो कंपनी के संगम अनुच्छेद में यथा विनिर्दिष्ट किए गए हों और जो प्रत्येक निरीक्षण के लिए पचास रूपए से अधिक न हो, का संदाय करके किसी कार्य दिवस के ऐसे उपयुक्त समय, जैसा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए, में कार्य-समय के दौरान निरीक्षण के लिए खोले जाएंगे।

स्पष्टीकरण:- इस उपनियम के के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कार्य दिवस पर दो घंटों से अनधिक के उचित समय के बारे में कंपनी द्वारा विचार किया जाएगा।

- (2) ऐसा कोई सदस्य, डिबेंचर धारक, प्रतिभूति धारक अथवा हिताधिकारी स्वामी अथवा कोई अन्य व्यक्ति ऐसी फीस जो कंपनी के संगम अनुच्छेद में यथा विनिर्दिष्ट किया गया हो और जो प्रत्येक पृष्ठ के लिए दस रूपए से अधिक न हो, का संदाय करके ऐसी किसी रजिस्टर या उसमें दर्ज प्रविष्टि या विवरणी की प्रति मांग सकता है। ऐसी प्रति या प्रविष्टियां या विवरणी ऐसी फीस जमा करने के सात दिन के भीतर प्रदाय की जाएगी।

15. सदस्यों की रजिस्टर आदि और वार्षिक विवरणी का परिरक्षण:-

- (1) अनुक्रमणिका सहित सदस्य रजिस्टर स्थाई रूप से परिरक्षित की जाएगी और कंपनी के कंपनी सचिव अथवा ऐसे प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति की अभिरक्षा में रखी जाएगी; और
- (2) अनुक्रमणिका सहित डिबेंचर धारकों अथवा किसी अन्य प्रतिभूति धारकों के यथास्थिति रजिस्टर डिबेंचरों या प्रतिभूतियों, के मोचन की तारीख से आठ वर्षों की अवधि के लिए परिरक्षित रखी जाएगी और कंपनी के कंपनी सचिव अथवा ऐसे प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति की अभिरक्षा में रखी जाएगी।
- (3) धारा 92 के अंतर्गत तैयार सभी वार्षिक विवरणियों की प्रतियां और इसके साथ संलग्न किए जाने के लिए अपेक्षित सभी प्रमाण-पत्रों और दस्तावेजों की प्रतियां रजिस्ट्रार के पास इसे प्रस्तुत करने की तारीख से आठ वर्षों की अवधि के लिए परिरक्षित रखी जाएगी।
- (4) सदस्यों के विदेशी रजिस्टर को स्थाई रूप से परिरक्षित रखा जाएगा, जब तक कि यह बंद न कर दिया जाए और इसमें दर्ज सभी प्रविष्टियां किसी अन्य विदेशी रजिस्टर अथवा मूल रजिस्टर में स्थानान्तरित न कर दिया जाए। डिबेंचर धारकों या प्रतिभूति धारकों के विदेशी रजिस्टर को ऐसे डिबेंचर या प्रतिभूति के मोचन तारीख से आठ वर्षों की अवधि के लिए परिरक्षित रखा जाएगा।
- (5) विदेशी रजिस्टर को कंपनी सचिव अथवा बोर्ड द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की अभिरक्षा में रखा जाएगा।
- (6) धारा 94 की उप धारा (1) के प्रथम परंतुक के अनुसरण में यथा अपेक्षित रजिस्ट्रार के पास दर्ज किए जाने के लिए प्रस्तावित विशेष संकल्प की एक प्रति कंपनी की साधारण अधिवेशन से कम से कम एक दिन पहले **प्ररूप सं. एमजीटी.14** में रजिस्ट्रार के पास दर्ज की जाएगी।

16. रजिस्ट्रारों और वार्षिक विवरणी की प्रतियां:-

धारा 88 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्ट्रारों अथवा उसमें दर्ज प्रविष्टियों और धारा 92 के अंतर्गत प्रस्तुत वार्षिक विवरणी की प्रतियां कंपनी के किसी सदस्य, डिबेंचर धारक, अन्य प्रतिभूति धारक या हिताधिकारी स्वामी अथवा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी फीस, जो कंपनी के संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट किया गया हो, और जो प्रति पृष्ठ दस रूपए से अधिक न हो, का संदाय करने पर प्रस्तुत की जाएगी और ऐसी प्रतियां कंपनी में फीस जमा करने की तारीख से सात दिनों की अवधि के भीतर कंपनी द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।

17. अधियाचकों द्वारा असाधारण साधारण अधिवेशन का बुलाया जाना:-

- (1) सदस्य धारा 100 की उप धारा (4) के अनुसरण में असाधारण साधारण अधिवेशन की प्रस्तावित तारीख से ठीक इक्कीस दिन पहले लिखित में अथवा इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से ऐसा अनुरोध प्रस्तुत करके असाधारण साधारण अधिवेशन आयोजित करने की मांग कर सकते हैं।
- (2) नोटिस में अधिवेशन का स्थान, तारीख, दिन और घंटे विनिर्दिष्ट होंगे और अधिवेशन में संव्यवहार किए जाने वाले वाले कार्यों के ब्यौरे भी अंतर्विष्ट होगा।

स्पष्टीकरण:- इस उपनियम के प्रयोजन के लिए, एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि अधियाचकों को यह अधिवेशन रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में अथवा उसी शहर या नगर में आयोजित करनी चाहिए जहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है और ऐसा अधिवेशन केवल कार्य दिवस पर आयोजित किया जाना चाहिए।

- (3) यदि संकल्प विशेष संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया जाना है तो धारा 114 की उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित नोटिस दी जाएगी।

- (4) इस नोटिस पर सभी अधियाचकों अथवा सभी अन्य अधियाचकों की ओर से लिखित में सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी एक अधियाचक द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा अथवा ऐसे सम्यक रूप से हस्ताक्षरित अनुरोध की स्कैन की हुई प्रति संलग्न करके इलेक्ट्रानिक रूप में अनुरोध भेजने के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है।
- (5) अधियाचकों द्वारा आयोजित असाधारण साधारण अधिवेशन की नोटिस के साथ धारा 102 के अंतर्गत कोई व्याख्यात्मक विवरण संलग्न किए जाने की आवश्यकता नहीं है और अधियाचक संकल्प/संकल्पों, जिसे वे अधिवेशन में पेश करना चाहते हैं, के लिए कारणों को प्रकट कर सकते हैं।
- (6) असाधारण साधारण अधिवेशन बुलाने के लिए अधियाचकों द्वारा कंपनी में एक विधिमान्य अनुरोध प्रस्तुत करने के तीन दिनों के भीतर कंपनी द्वारा अधिवेशन की नोटिस उन सदस्यों को दी जाएगी जिनके नाम सदस्य रजिस्टर में दर्ज हैं।
- (7) यदि अधिवेशन आहूत नहीं होता है तो अधियाचकों के पास सदस्यों के रजिस्ट्रीकृत पते और उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या सहित सदस्य अनुक्रमणिका प्राप्त करने का अधिकार होगा और संबंधित कंपनी किसी विधिमान्य अनुरोध के प्राप्त होने की तारीख से पैंतालिस दिनों के समाप्त होने से पहले ऐसे परिवर्तनों, यदि कोई हो, के साथ विधिमान्य अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से 21वें दिन के अनुसार अनुक्रमणिका में दर्ज सदस्यों के रजिस्ट्रीकृत पतों के साथ उनकी अनुक्रमणिका देने के लिए बाध्य होगी।
- (8) अधिवेशन की नोटिस स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्रीकृत डाक या इलेक्ट्रानिक मोड द्वारा दी जाएगी। नोटिस देने में हुई किसी आकस्मिक चूक, किसी सदस्य द्वारा ऐसी नोटिस के प्राप्त न होने से अधिवेशन की कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी।

18. अधिवेशन की नोटिस:-

- (1) कोई कंपनी इलेक्ट्रानिक मोड के माध्यम से नोटिस दे सकती है।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति “इलेक्ट्रानिक मोड” का अर्थ किसी कंपनी द्वारा अपने प्राधिकृत और सुनिश्चित कम्प्यूटर प्रोग्राम, जो पुष्टि करने और सदस्य द्वारा समादत्त अंतिम इलेक्ट्रानिक मेल-पते पर ऐसे सम्प्रेषण प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति को संबोधित ऐसे संपारेषण का अभिलेख रखने में सक्षम हो, के माध्यम से भेजा गया कोई संपारेषण होगा।

- (2) नोटिस टेक्स्ट के रूप में ई-मेल के माध्यम से अथवा ई-मेल के अटैचमेंट के रूप में अथवा इलेक्ट्रानिक लिंक प्रदान करने वाले एक नोटिफिकेशन के रूप में अथवा ऐसे नोटिस तक अभिगम के लिए यूनियनरूप रिसोर्स लोकेटर के माध्यम से भेजी जा सकती है।

- (3) (i) ई-मेल कंपनी अथवा निक्षेपधारी द्वारा यथा समादत्त अभिलेखों के अनुसार ऐसे ई-मेल प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति को भेजी जाएगी:

परंतु कंपनी सदस्यों को अपना ई-मेल पता और उसमें परिवर्तनों को दर्ज करने के लिए किसी वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार अग्रिम अवसर प्रदान करेगी और ऐसा अनुरोध केवल उन सदस्यों द्वारा किया जाएगा जिनके ई-मेल पते कंपनी में दर्ज नहीं हुए हैं अथवा जिनको नई ई-मेल आईडी प्राप्त नहीं हुई अथवा जिनकी ई-मेल आईडी अपडेट नहीं की गई है और ऐसा अनुरोध उन सदस्यों द्वारा नहीं किया जाएगा जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी में पहले से रजिस्टर्ड है।

- (ii) ई-मेल की विषय-वस्तु में कंपनी का नाम, अधिवेशन के प्रकार की नोटिस, स्थान और तारीख जब अधिवेशन आयोजित की जानी है, का कथन होगा।

(iii) यदि नोटिस किसी ई-मेल के संशोधन न किए जाने वाले अटैचमेंट के रूप में भेजी जाती है तो ऐसा अटैचमेंट पोर्टेबल डाकुमेंट फॉर्मेट में होगा अथवा साफ्टवेयर के संगत संस्करण को डाउनलोड करने के लिए प्राप्तकर्ता हेतु “लिंक या अनुदेश” सहित नान-एडिटेबल फॉर्मेट में होगा।

- (iv) जब नोटिस अथवा नोटिस की उपलब्धता का नोटिफिकेशन ई-मेल द्वारा भेजा जाता है तो कंपनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह ऐसी प्रणाली का उपयोग कर रही है जो ई-मेल भेजे गए प्राप्तकर्ताओं की कुल संख्या की पुष्टि की सूचना देती हो और प्रत्येक प्राप्तकर्ता जिसको नोटिस भेजी जा चुकी है, का अभिलेख और ऐसे अभिलेखों की प्रति प्रस्तुत करती हो और किसी असफल पारेषण की कोई सूचना और इसके बाद भेजने के सबूत के तौर पर कंपनी द्वारा या उसकी ओर से नोटिस के पुनः भेजने का अभिलेख भी रखती हो।
- (v) कंपनी का दायित्व ई-मेल पारेषण करने के साथ ही पूरा हो जाता है और कंपनी के नियंत्रण से बाहर पारेषण में असफलता के लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी।
- (vi) यदि नोटिस प्राप्त करने का हकदार कोई सदस्य यथास्थिति कंपनी अथवा निक्षेपधारी भागीदार, को उचित ई-मेल पता प्रदान करने अथवा इसे अपडेट करने में असफल रहता है तो ई-मेल के माध्यम से नोटिस परिदान के लिए कंपनी चूककर्ता नहीं होगी।
- (vii) कंपनी आंतरिक सुविधा अथवा अपने रजिस्ट्रार और अंतरण अभिकर्ता अथवा प्रपुंज बल्क ई-मेल सुविधा प्रदान करने वाली प्राधिकृत किसी तृतीय पक्षकार अभिकरण के माध्यम से ई-मेल भेज सकती है।
- (viii) इलेक्ट्रानिक लिंक अथवा यूनियनरूप रिसोर्स लोकेटर पर उपलब्ध करवाई गई नोटिस को पठनीय होना चाहिए, और प्राप्तकर्ता को प्रतियों को प्राप्त करने और इसे धारित करने में समर्थ होना चाहिए और कंपनी वेबसाइट का पूर्ण यूनियनरूप रिसोर्स लोकेटर अथवा पता प्रदान करेगी तथा पूर्ण ब्यौरा भी देगी कि दस्तावेज या सूचना तक कैसे अभिगम किया जा सकता है।
- (ix) कंपनी के साधारण अधिवेशन की नोटिस कंपनी की वेबसाइट, यदि कोई हो, पर और केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित वेबसाइट पर साथ-साथ प्रस्तुत की जाए।

स्पष्टीकरण:- इस खण्ड के लिए घोषित किया जाता है, असाधारण साधारण अधिवेशन भारत में किसी स्थान पर आयोजित की जाएगी।

19. परोक्षी:-

- (1) धारा 8 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी का सदस्य तब तक अपने परोक्षी के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए हकदार नहीं होगा जब तक कि ऐसा अन्य व्यक्ति भी ऐसी कंपनी का एक सदस्य न हो।
- (2) कोई व्यक्ति जिसके पास कंपनी की कुल शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत से अनधिक की कुल शेयर धारिता हो और इसके पास मतदान का अधिकार भी हो, पचास से अनधिक की संख्या में सदस्यों के ओर से परोक्षी के तौर पर कार्य कर सकता है।

परंतु कोई सदस्य जिसके पास मतदान अधिकार सहित कंपनी की कुल शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक की धारिता हो, परोक्षी के रूप में किसी एक व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है और ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या शेयरधारक के लिए परोक्षी के रूप में कार्य नहीं करेगा।

- (3) परोक्षी की नियुक्ति **प्ररूप सं.एमजीटी.11.** में होगी।

20. इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से मतदान:-

- (1) प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी अथवा कोई कंपनी जिसमें कम से कम एक हजार शेयरधारक हो, अपने सदस्यों को इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा साधारण अधिवेशन में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करे।
- (2) कोई सदस्य इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा किसी साधारण अधिवेशन में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है और कंपनी इस नियम के उपबंधों के अनुसरण में इलेक्ट्रानिक मतदान प्रणाली द्वारा कोई संकल्प पारित कर सकेगी।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजन के लिए- (i) “इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा मतदान” पद अथवा “इलेक्ट्रानिक मतदान प्रणाली” इलेक्ट्रानिक मतपत्र का डिस्पले, मतों की संख्या दर्ज करने और पक्ष तथा विपक्ष में पड़े मतों की

संख्या की “सुरक्षित प्रणाली” आधारित प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें इलेक्ट्रानिक साधनों के जरिए सम्पूर्ण मतदान प्रक्रिया रजिस्ट्रीकृत हो जाती है और इसकी गणना पर्याप्त “साइबर सुरक्षा” वाले केंद्रीकृत सर्वर में इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्री में की जाती है।

(ii) “सुरक्षित प्रणाली” पद से कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर और प्रक्रिया अभिप्रेत है जो:-

- (क) अप्राधिकृत अभिगम और इसके दुरुपयोग से युक्तियुक्त ढंग से सुरक्षित हो;
- (ख) विश्वस्तता और सही प्रचालन का युक्तियुक्त स्तर प्रदान करता हो;
- (ग) आशयित कृत्यों को निष्पादित करने के लिए युक्तियुक्त हो, और
- (घ) साधारण स्वीकृत सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करता हो।

(iii) “साइबर सुरक्षा” पद से ऐसी सुरक्षा अभिप्रेत है जो सूचना, उपकरण, डिवाइस, कम्प्यूटर संसाधन, संचार उपकरण और उसमें संरक्षित सूचना को अप्राधिकृत अभिगम, उपयोग, प्रकटन, बाधा, संशोधन अथवा खराबी से सुरक्षित करता हो।

(3) कोई कंपनी जो इलेक्ट्रानिक मतदान प्रणाली द्वारा किसी साधारण अधिवेशन में अपने सदस्यों को उनके मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करने का विकल्प चुनती है, को निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा, अर्थात्-

(i) अधिवेशन की नोटिस सभी सदस्यों, कंपनी के संपरीक्षकों अथवा निदेशकों को निम्नलिखित साधनों से भेजी जाएगी:-

- (क) रजिस्ट्रीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा; अथवा
- (ख) रजिस्ट्रीकृत ई-मेल आईडी जैसे इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से;
- (ग) कुरियर सेवा के माध्यम से

(ii) इस नोटिस को सदस्यों को भेजने के उपरांत कंपनी की वेबसाइट, यदि कोई हो, पर तथा इसके साथ अभिकरण की बैबसाइट पर रखा जाएगा।

(iii) अधिवेशन की नोटिस में स्पष्ट उल्लेख होगा कि कारबार का संचालन इलेक्ट्रानिक मतदान प्रणाली के माध्यम से किया जाए और कंपनी इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा मतदान की सुविधा प्रदान कर रही है।

(iv) इस नोटिस में इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा मतदान के लिए प्रक्रिया और तरीका तथा वह समय-सारणी जिसके दौरान मत डाले जा सकते हैं, सहित समय-सीमा का स्पष्ट उल्लेख होगा और इसमें लाग-इन आईडी भी प्रदान की जाएगी तथा सुरक्षा बनाए रखने तथा सुरक्षित रीति से मत डालने के लिए पासवर्ड सृजित करने की सुविधा का भी उपबंध होगा।

(v) कंपनी मतदान अवधि आरंभ होने की तारीख से कम से कम पांच दिन पहले उस जिले जहां कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, की प्रमुख स्थानीय भाषा में व्यापक प्रसार वाले स्थानीय समाचार पत्र, में कम से कम एक बार और अंग्रेजी समाचार पत्र जिसका उस जिले में व्यापक प्रसार हो में कम से कम एक बार अंग्रेजी भाषा में एक विज्ञापन प्रकाशित करवाएगी जिसमें अधिवेशन की नोटिस भेजने तथा अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित मामलों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा, अर्थात्-

- (क) यह वक्तव्य कि कारबार का संचालन इलेक्ट्रानिक मतदान के माध्यम से होगा;
- (ख) नोटिसों को भेजने की प्रक्रिया पूरी होने की तारीख,

- (ग) इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से मतदान शुरू होने की तारीख और समय;
- (घ) इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से मतदान समाप्त होने की तारीख और समय;
- (ङ.) यह वक्तव्य कि उक्त तारीख और समय के बाद मतदान अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;
- (च) कंपनी और अभिकरण के वेबसाइट यदि कोई हो, का पता जिस पर अधिवेशन की नोटिस प्रदर्शित की गई; और
- (छ) इलेक्ट्रानिक मतदान से संबंधित शिकायतों का समाधान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का संपर्क ब्यौरा।
- (vi) ई - मतदान कम से कम एक दिन और अधिक से अधिक तीन दिन के लिए खुला रहेगा:

परंतु सभी ऐसे मामले, ऐसा मतदान अवधि साधारण अधिवेशन की तारीख से तीन दिन पहले पूरा कर लिया जाएगा।

- (vii) ई-मतदान अवधि के दौरान अभिलेख तारीख के अनुसार कंपनी का शेयर धारक जो भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर धारण करता है अपना मत इलेक्ट्रानिक रीति से डाल सकता है:

परंतु यदि शेयर धारक द्वारा किसी संकल्प पर मत डाल दिया जाता है तो वह तत्पश्चात् तत्पश्चात् इसमें परिवर्तन नहीं कर सकेगा।

- (viii) मतदान अवधि समाप्त होने पर पोर्टल जहां मत डाले जाते हैं तत्काल बंद हो जाएगा।

(ix) निदेशक मंडल एक संवीक्षक की नियुक्ति करेगा जो सिद्धांततः एक व्यवसायगत चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत लेखाकार अथवा कंपनी सचिव अथवा एक वकील हो सकता है, किंतु वह कंपनी के नियोजन में न हो और प्रतिष्ठित व्यक्ति जो बोर्ड की राय से न्यायसंगत और पारदर्शी रीति से ई-मतदान प्रक्रिया की जांच कर सकता है:

परंतु इस प्रकार से नियुक्त संवीक्षक किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता ले सकता है, जो कंपनी के नियोजन में नहीं और जो ई-मतदान प्रणाली का जानकार हो।

- (x) संवीक्षक नियुक्ति के लिए इच्छुक होगा और अपेक्षित बहुमत सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए उपलब्ध होगा।
- (xi) संवीक्षक, ई-मतदान अवधि समाप्त होने की तारीख से तीन कार्य दिवसों से अनधिक की अवधि के भीतर कंपनी के नियोजन में न रहने वाले कम से कम दो साक्ष्यों की उपस्थिति में मतों को खोलेगा और अध्यक्ष के पक्ष या विपक्ष, यदि कोई हो, में पड़े मतों की संवीक्षक रिपोर्ट बनाएगा।
- (xii) संवीक्षक शेयर धारक का नाम, पता, पृष्ठ संख्या अथवा ग्राहक आईडी, उसके द्वारा धारित शेयरों की संख्या, ऐसे शेयरों का अंकित मूल्य और क्या शेयर विभेदक मताधिकार रखते हैं, के ब्यौरों का उल्लेख करने के लिए व्यक्त सहमति अथवा असहमति को दर्ज करने के लिए हाथ से अथवा इलेक्ट्रानिक रूप में एक रजिस्टर का अनुरक्षण करेगा।
- (xiii) इलेक्ट्रानिक मतदान से संबंधित रजिस्टर और सभी अन्य कागजात संवीक्षक की सुरक्षित अभिरक्षा में रहेंगे जब तक कि अध्यक्ष कार्यवृत्त पर विचार, अनुमोदन और हस्ताक्षर न कर दे और तदुपरांत संवीक्षक कंपनी को रजिस्टर और अन्य संबंधित कागजातों को वापस कर देगा।
- (xiv) संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट और अभिकरण की वेबसाइट पर सदस्यों की संबंधित साधारण अधिवेशन में संकल्प पारित होने के दो दिनों के भीतर रख दी जाएगी।
- (xv) पर्याप्त मत प्राप्त होने के अध्यक्षीन, यह संकल्प सदस्यों की संगत साधारण अधिवेशन की तारीख को पारित माना जाएगा।

21. रीति जिसमें अधिवेशन का अध्यक्ष मतदान प्रक्रिया की संवीक्षक करेगा और उससे संबंधित रिपोर्ट:-

1. अधिवेशन का अध्यक्ष सुनिश्चित करेगा कि:-

(क) संवीक्षक को सदस्यों का रजिस्टर, सदस्यों के नमूना हस्ताक्षर, उपस्थिति रजिस्टर और परोक्षी रजिस्टर प्रदान किया जाएगा।

(ख) संवीक्षकों को धारा 105, 112 और धारा 113 के अनुसरण में कंपनी द्वारा प्राप्त सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे।

(ग) संवीक्षक मतदान कागजातों को व्यवस्थित करेगा और अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों और परोक्षियों को वितरित करेगा; संयुक्त शेयर धारक के मामले पहले नाम धारक को और उसकी अनुपस्थिति में पृष्ठ में क्रमानुसार क्रम में आने वाले अधिवेशन में उपस्थित संयुक्त धारक को मतदान कागजात दिए जाएंगे और मतदान कागजात **प्ररूप सं. एमजीटी.12** में होगा।

(घ) संवीक्षक मतदान के लिए प्राप्त मतदान कागजातों पर आद्याक्षर करके उसका अभिलेख रखेगा।

(ङ.) संवीक्षक सदस्यों और परोक्षियों की उपस्थिति में खाली मतदान पेटी को बंद करके मुहरबंद करेगा।

(च) संवीक्षक मतदान प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत साक्षी के रूप में दो व्यक्तियों की उपस्थिति में मतदान पेटी को खोलेगा।

(छ) परोक्षी की विधिमान्यता के बारे में अस्पष्टता के मामले में संवीक्षक अध्यक्ष के परामर्श से विधिमान्यता का विनिर्णय करेगा।

(ज) संवीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि जिस सदस्य ने परोक्षी नियुक्त किया है, और व्यक्तिगत रूप से मतदान किया है, तो परोक्षी का मत मान्य नहीं होगा।

(झ) संवीक्षक, मतदान केन्द्र में डाले गए मतों की गणना करेगा और अध्यक्ष को संबोधित एक रिपोर्ट तैयार करेगा।

(ञ) जहां मतदान धारा 108 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा संचालित किया जाता है तो कंपनी मतदान के सुचारू संचालन और उसके परिणाम की गणना करने के लिए संवीक्षकों को सभी आवश्यकता सहायता, तकनीकी और अन्यथा प्रदान करेगी।

(ट) संवीक्षक की रिपोर्ट में कुल पड़े मतों, विधिमान्य मतों, संकल्प के पक्ष और विपक्ष में पड़े मतों सहित अविधिमान्य मतदान प्ररूप और इसमें सम्मिलित मत का उल्लेख होगा।

(ठ) संवीक्षक अध्यक्ष को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जो इस पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा।

(ड) अध्यक्ष मतदान का परिणाम घोषित करेगा। परिणाम या तो उसके द्वारा या लिखित में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा घोषित किया जाए।

(2) मतदान के लिए नियुक्त संवीक्षक **प्ररूप सं. एमजीटी.13** में अधिवेशन के अध्यक्ष को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और यह रिपोर्ट संवीक्षक द्वारा और यदि एक से अधिक संवीक्षक हैं तो सभी संवीक्षकों द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी और यह रिपोर्ट अधिवेशन के अध्यक्ष को मतदान की तारीख से सात दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा।

22. डाक मतपत्र के माध्यम से कार्य संचालन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:-

(1) जहां किसी कंपनी से डाक मतपत्र के माध्यम से कोई संकल्प पारित करना अपेक्षित है या कंपनी ऐसा निर्णय करती है तो वह, फारमेट संकल्प के कारणों की व्याख्या करते हुए और नोटिस प्रेषित करने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर डाक मतपत्रों या इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा लिखित में अपनी सहमति या असहमति प्रेषित करने के अनुरोध सहित सभी शेयर धारकों को नोटिस भेजेगी।

- (2) नोटिस को तीस दिनों की उक्त अवधि के भीतर संकल्प के प्रति शेयर धारकों की सहमति अथवा असहमति का संप्रेषण सुकर बनाने के लिए या तो (क) रजिस्ट्रीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा, अथवा (ख) रजिस्ट्रीकृत ई-मेल आईडी जैसे इलेक्ट्रानिक माध्यमों से अथवा (ग) कुरियर सेवाओं के माध्यम से भेजा जाएगा।
- (3) कंपनी मतदान अवधि शुरू होने की तारीख से कम से कम पांच दिन पहले उस जिले जहां कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, की प्रमुख स्थानीय भाषा में व्यापक प्रसार वाले स्थानीय समाचार पत्र, में कम से कम एक बार और अंग्रेजी समाचार पत्र जिसका उस जिले में व्यापक प्रसार हो में कम से कम एक बार अंग्रेजी भाषा में एक विज्ञापन प्रकाशित करवाएगी जिसमें अधिवेशन की नोटिस भेजने तथा अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित मामलों को विनिर्दिष्ट किया अर्थात्-
- (क) इस प्रभाव का एक कथन कि कार्रवाई डाक मतपत्र द्वारा की जाएगी जिसमें इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा मतदान सम्मिलित है;
- (ख) नोटिस प्रेषण की पूर्ति की तारीख;
- (ग) मतदान के आरंभ की तारीख;
- (घ) मतदान समाप्त होने की तारीख;
- (ङ.) यह कथन कि उक्त अवधि के बाद सदस्य से प्राप्त कोई डाक मतपत्र विधिमान्य नहीं होगा और उक्त तारीख के बाद डाक अथवा इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा मतदान को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;
- (च) इस प्रभाव से एक कथन कि सदस्य जिसे डाक मतपत्र प्राप्त नहीं हुआ है वह कंपनी को आवेदन कर सकता है तथा इसकी द्वितीय प्रति प्राप्त कर सकता है; और
- (छ) इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा मतदान सहित डाक मतपत्र द्वारा मतदान से संबंधित शिकायतों का समाधान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का सम्पर्क ब्यौरे।
- (4) डाक मतपत्र की नोटिस सदस्यों को नोटिस भेजने के तत्काल बाद कंपनी की वेबसाइट पर भी रखी जाएगी और ऐसी नोटिस सदस्यों से डाक मतपत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख तक ऐसी वेबसाइट पर बनी रहेगी।
- (5) निदेशक मंडल एक संवीक्षक की नियुक्ति करेगा जो कंपनी के नियोजन में न हो और जो बोर्ड की राय में उचित और पारदर्शी रीति से डाक मतपत्र प्रक्रिया संचालित कर सकता है।
- (6) संवीक्षक नियुक्ति का इच्छुक होगा और अपेक्षित बहुमत का पता करने के लिए उपलब्ध होगा।
- (7) यदि इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा मतदान सहित डाक मतपत्रों के साधन द्वारा शेयरधारकों के अपेक्षित बहुमत द्वारा कोई संकल्प अनुमति प्राप्त करता है तो यह इस निमित्त आहूत साधारण अधिवेशन में सम्यक रूप से पारित हुआ माना जाएगा।
- (8) शेयर धारकों से वापस प्राप्त डाक मतपत्र को संवीक्षक की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा और डाक मतपत्र पर लिखित में शेयरधारक की सहमति अथवा असहमति प्राप्त होने के उपरांत कोई भी व्यक्ति मतपत्र को विकृत अथवा नष्ट नहीं कर सकता है और न ही शेयरधारक की पहचान घोषित कर सकता है।
- (9) संवीक्षक, डाक मतपत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख के पश्चात् किंतु उसके बाद सात दिनों के अपश्चात्, यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा;
- (10) संवीक्षक, शेयर धारक का नाम, पता, पृष्ठ संख्या अथवा ग्राहक आईडी, उसके द्वारा धारित शेयरों की संख्या, ऐसे शेयरों का अंकित मूल्य और क्या शेयर विभेदक मताधिकार रखते हैं, की विनिर्दिष्टियों का उल्लेख करने के लिए व्यक्त सहमति अथवा असहमति को दर्ज करने के लिए हाथ से अथवा इलेक्ट्रानिक रूप में एक रजिस्टर का अनुरक्षण करेगा।

- (11) डाक मतपत्र और इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा मतदान सहित डाक मतपत्र से संबंधित सभी कागजात संवीक्षक की सुरक्षित अभिरक्षा में रहेंगे जब तक अध्यक्ष कार्यवृत्त पर विचार, अनुमोदन और हस्ताक्षर नहीं कर दें और तदुपरांत संवीक्षक मतपत्र और अन्य संबंधित कागजात या रजिस्टर को कंपनी को वापस कर देगा ऐसे मतपत्र और अन्य संबंधित कागजातों/रजिस्टर को सुरक्षित रखेगी।
- (12) नोटिस जारी होने की तारीख से तीस दिनों के बाद प्राप्त सहमति या असहमति को ऐसा माना जाएगा कि मानों सदस्य से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
- (13) संवीक्षक की रिपोर्ट सहित परिणामों को कंपनी की वेबसाइट पर रखकर घोषित किया जाएगा।
- (14) संकल्पों को उस निमित्त आहूत अधिवेशन तारीख को पारित हुआ माना जाएगा।
- (15) इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा मतदान से संबंधित नियम 20 के उपबंध इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा मतदान के संबंध में इस नियम में यथा लागू आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।
- (16) धारा 110 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अनुसरण में डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान के साधनों द्वारा केवल निम्नलिखित कार्य मदों का संचालन किया जाएगा-
- (क) ज्ञापन के विषय खण्ड का परिवर्तन और अधिनियम के आरंभ होने के ठीक पहले मौजूद कंपनी के मामले में ज्ञापन के मुख्य विषय का परिवर्तन;
- (ख) उपबंधों के अन्तःस्थापन और विलोपन से संबंध में संगम अनुच्छेद का परिवर्तन जो धारा 2 की उपधारा (68) के अधीन किसी कम्पनी को प्राइवेट कंपनी के रूप में गठित करने के लिए कंपनी के नियमों में सम्मिलित किया जाना अपेक्षित हो;
- (ग) धारा 12 की उप धारा (5) में यथाविनिर्दिष्ट किसी शहर, नगर या गांव की स्थानीय सीमा के बाहर रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के स्थान में परिवर्तन;
- (घ) धारा 13 की उपधारा (8) के अधीन विषय-वस्तु में परिवर्तन जिसके लिए कंपनी ने जनता से शेयर-विवरण-पत्र के माध्यम से धन जुटाया है और इस प्रकार जुटाए गए धन में से उसके पास कोई उपयोग न की गई रकम अब भी है;
- (ङ) धारा 43 के खण्ड (क) के उपखण्ड (ii) के अधीन मतदान अथवा लाभांश अथवा अन्यथा रूप में अंतरीय अधिकार वाले शेयर जारी करना;
- (च) धारा 48 के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट शेयरों अथवा डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के वर्ग से संलग्न अधिकारों में परिवर्तन;
- (छ) धारा 68 की उपधारा (1) के अधीन किसी कम्पनी द्वारा शेयरों की वापसी खरीद;
- (ज) अधिनियम की धारा 151 के अधीन किसी निदेशक का चुनाव;
- (झ) धारा 180 की उपधारा (1) के उप खण्ड (क) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट किसी कंपनी के समग्र उपक्रम की पूर्णतः या पर्याप्त अंश की बिक्री;
- (ञ) धारा 186 की उप धारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक ऋण देना या गारंटी देना अथवा प्रतिभूति प्रदान करना;

परंतु एक व्यक्ति कम्पनी और दो सौ तक सदस्यों वाली अन्य कम्पनियों से डाक मतपत्रों के माध्यम से कार्यवाही संचालित करना अपेक्षित नहीं है।

23. विशेष नोटिस:-

- (1) कम्पनी को दिए जाने के लिए अपेक्षित विशेष नोटिस पर या तो अलग-अलग या सामूहिक रूप से सदस्यों की ऐसी संख्या द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा जो कुल मताधिकार के एक प्रतिशत से अनधिक को धारण करते हो अथवा

नोटिस दिए जाने की तारीख को जिनका शेयर धारण हो जिस पर पांच लाख रुपये से अनधिक की कुल राशि अदा की गई हो।

- (2) नियम (1) में निर्दिष्ट नोटिस सदस्यों द्वारा कम्पनी को तीन मास से अनधिक की अवधि से पहले किन्तु अधिवेशन जिसमें संकल्प पेश किया जाना है, की तारीख से कम-से-कम चौदह दिन पहले भेजी जाएगी और इस तारीख में नोटिस दिए जाने का दिन और अधिवेशन का दिन सम्मिलित नहीं होगी।
- (3) कम्पनी नोटिस प्राप्त होने के तुरन्त बाद नोटिस भेजने के दिन और अधिवेशन के दिन को छोड़कर अधिवेशन से कम-से-कम सात दिन पहले अपने सदस्यों को संकल्प की नोटिस उसी रीति में देगी जैसाकि वह किसी साधारण अधिवेशन की नोटिस देते समय करती है।
- (4) जहां उसी रूप में, जैसे कि किसी साधारण अधिवेशन की नोटिस देते समय किया जाता है, यह नोटिस दिया जाना व्यवहार्य नहीं है तो इस नोटिस के वह राज्य जहां कम्पनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, में व्यापक प्रसार वाले अंग्रेजी समाचार पत्र में अंग्रेजी भाषा में तथा स्थानीय भाषा में, स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित की जाएगी और ऐसी नोटिस कम्पनी की वेबसाइट, यदि कोई हो, पर भी डाली जाएगी।
- (5) यह नोटिस प्रकाशन के दिन और अधिवेशन के दिन को छोड़कर अधिवेशन से कम-से-कम सात दिन पहले प्रकाशित की जाएगी।

24. फाइल किए जाने वाले संकल्प और करार:-

धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक कथन सहित फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक संकल्प अथवा किसी करार की प्रति, यदि कोई हो, को फीस सहित **प्ररूप सं. एमजीटी. 14** में रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत किया जाएगा।

25. साधारण अधिवेशन, निदेशक मंडल की अधिवेशन और अन्य बैठकों की कार्यवाही का कार्यवृत्त और डाक मतपत्र द्वारा पारित संकल्प-

- (1) (क) प्रत्येक प्रकार की अधिवेशन के लिए एक सुभिन्न कार्यवृत्त पुस्तिका तैयार की जाएगी अर्थात्-
 - (i) सदस्यों की साधारण अधिवेशन;
 - (ii) लेनदारों की बैठकें;
 - (iii) बोर्ड की बैठकें; और
 - (iv) बोर्ड की प्रत्येक समिति की बैठकें।

स्पष्टीकरण: इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए डाक मतपत्र द्वारा पारित संकल्पों को साधारण अधिवेशन की कार्यवृत्त पुस्तिका में उसी प्रकार दर्ज किया जाएगा मानो यह साधारण अधिवेशन में पारित की गई हो।

(ख) (i) प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाही का कार्यवृत्त इस प्रयोजन के लिए अनुरक्षित पुस्तिका में अधिवेशन समाप्त होने के तीस दिन के भीतर ऐसी प्रविष्टि की तारीख सहित दर्ज किया जाएगा।

(ii) डाक मतपत्र द्वारा पारित प्रत्येक संकल्प के मामले में प्रस्तावित संकल्प, उस पर हुए मतदान का परिणाम और संवीक्षक रिपोर्ट के सारांश सहित संचालित डाक मतपत्र के संबंध में एक संक्षिप्त रिपोर्ट साधारण अधिवेशन की कार्यवृत्त पुस्तिका में संकल्प पारित होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर ऐसी प्रविष्टि की तारीख सहित दर्ज की जाएगी।

(घ) ऐसी प्रत्येक पुस्तिका के प्रत्येक पृष्ठ पर आद्याक्षर अथवा हस्ताक्षर किया जाएगा और ऐसी पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाही अथवा प्रत्येक रिपोर्ट की अभिलेख तारीख सहित और हस्ताक्षर सहित दर्ज किया जाएगा।

- (i) बोर्ड अथवा उसकी किसी समिति की अधिवेशन की कार्यवाही के कार्यवृत्त के मामले में उक्त अधिवेशन के अध्यक्ष द्वारा अथवा अगली उत्तरवर्ती अधिवेशन के अध्यक्ष द्वारा;

- (ii) साधारण अधिवेशन की कार्यवाही के कार्यवृत्त के मामले में तीस दिनों की उपर्युक्त अवधि के भीतर साधारण अधिवेशन के अध्यक्ष द्वारा अथवा उस अवधि के भीतर उस अध्यक्ष की मृत्यु अथवा अक्षमता की स्थिति में इस प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी निदेशक द्वारा;
- (iii) डाक मतपत्र द्वारा पारित प्रत्येक संकल्प के मामले में तीस दिनों की उपर्युक्त अवधि के भीतर बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा अथवा बोर्ड के अध्यक्ष के न होने की स्थिति में अथवा उस अवधि में उस अध्यक्ष की मृत्यु अथवा अक्षमता के मामले में इस प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी निदेशक द्वारा।
- (ड) साधारण अधिवेशन की कार्यवृत्त पुस्तिका कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में रखी जाएगी और इसे स्थायी रूप से संरक्षित रखा जाएगा तथा कंपनी सचिव अथवा इस प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी निदेशक की अभिरक्षा में रखा जाएगा अथवा ऐसे किसी अन्य स्थान पर जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाए बोर्ड और समिति बैठकों का कार्यवृत्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में रखा जाएगा।
- (च) बोर्ड और समिति बैठकों की कार्यवृत्त पुस्तिका कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में रखी जाएगी और इसे स्थायी रूप से सुरक्षित रखा जाएगा तथा कंपनी सचिव अथवा इस प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी निदेशक की अभिरक्षा में रखा जाएगा और इसे रजिस्ट्रीकृत कार्यालय अथवा ऐसे किसी अन्य स्थान पर जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाए, में रखा जाएगा।

26. साधारण अधिवेशन की कार्यवृत्त पुस्तिका की प्रति-

किसी सदस्य द्वारा कंपनी से अनुरोध करने के उपरांत वह सात कार्य दिवसों के भीतर किसी साधारण अधिवेशन के किसी कार्यवृत्त की प्रति कंपनी के संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट की गई ऐसी रकम, जो प्रत्येक पृष्ठ अथवा किसी पृष्ठ के भाग के लिए दस रुपये मूल्य से अधिक न हो, का संदाय करने पर प्राप्त करने के लिए हकदार होगा।

परंतु कोई सदस्य जिसने पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों से ठीक पहले किसी अवधि के दौरान आयोजित किसी पिछले साधारण अधिवेशन के कार्यवृत्त के संबंध में सॉफ्ट कॉपी की व्यवस्था करने के लिए अनुरोध किया है तो वह सॉफ्ट कॉपी की प्रति निःशुल्क प्राप्त करने का हकदार होगा।

27. इलेक्ट्रानिक रूप में दस्तावेजों का अनुरक्षण और निरीक्षण-

- (1) प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी अथवा ऐसी कंपनी जिसके पास एक हजार या उससे अधिक के शेयर धारक, डिबेंचर धारक और अन्य प्रतिभूति धारक सदस्य हैं, वह अधिनियम अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन इलेक्ट्रानिक रूप में अपने अभिलेखों का अनुरक्षण करेगी।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजन के लिए एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि मौजूदा कंपनी के मामले में अधिनियम की धारा 120 के उपबंधों के अधिसूचित होने की तारीख से छः मास के भीतर भौतिक रूप में उपलब्ध डाटा को इलेक्ट्रानिक मोड में परिवर्तित किया जाएगा।

- (2) इलेक्ट्रानिक रूप में अभिलेखों को ऐसे रीति से अनुरक्षित किया जाएगा जिसे कंपनी का निदेशक मंडल उचित समझे। बशर्ते कि-
- (क) अभिलेखों को समान फारमेट में और अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों में यथाउपबंधित सभी अन्य अपेक्षाओं के अनुसरण में अनुरक्षित किया गया है;
- (ख) अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन यथा अपेक्षित सूचना को भावी संदर्भ के लिए उचित ढंग से अभिलिखित किया जाना चाहिए;
- (ग) अभिलेखों को मुद्रित रूप में पठनीय, पुनः प्राप्य और पुनरुत्पादनीय होने में समर्थ होना चाहिए;
- (घ) अभिलेखों को अधिनियम अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अंतर्गत जहां कहीं भी अपेक्षित हो दिनांकित और डिजीटली हस्ताक्षरित होने में समर्थ हो;

- (ड) अभिलेखों के एक बार दिनांकित और डिजीटलीय हस्ताक्षरित होने पर अभिलेख में संपादन या परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होगी;
- (च) अभिलेखों को अधिनियम अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अद्यतन किए जाने में समर्थ होना चाहिए और प्रत्येक अद्यतन के संबंध में अद्यतन तारीख दर्ज किए जाने में भी समर्थ होना चाहिए।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजन के लिए शब्द “अभिलेखों” का अर्थ अधिनियम अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कंपनी द्वारा रखे जाने के लिए अपेक्षित कोई रजिस्टर, अनुक्रमणिका, करार, ज्ञापन, कार्यवृत्त अथवा कोई अन्य दस्तावेज है।

28. इलेक्ट्रानिक रूप में अनुरक्षित अभिलेखों की सुरक्षा-

- (1) कंपनी का प्रबंध निदेशक, कंपनी सचिव अथवा कोई अन्य निदेशक या अधिकारी जैसाकि बोर्ड विनिश्चित करे, इलेक्ट्रानिक अभिलेखों के अनुरक्षण और उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा।
- (2) वह व्यक्ति जो इलेक्ट्रानिक अभिलेखों के अनुरक्षण और उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है वह-
- (क) अभिलेखों तक अप्राधिकृत अभिगम, परिवर्तन अथवा उसमें छेड़छाड़ के प्रति पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेगा;
- (ख) मीडिया की क्षति अथवा खराबी जिस पर अभिलेखों को अनुरक्षित किया गया है, के परिणामस्वरूप अभिलेखों को होने वाले नुकसान के प्रति सुरक्षा करेगा;
- (ग) सुनिश्चित करेगा कि इलेक्ट्रानिक अभिलेखों का हस्ताक्षरकर्ता उसके द्वारा हस्ताक्षरित अभिलेखों को वास्तविक मानने से इंकार न कर सके;
- (घ) सुनिश्चित करेगा कि कम्प्यूटर प्रणाली, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर्याप्त रूप से सुरक्षित हों और उनकी परिशुद्धता, विश्वसनीयता और निरंतर अनुमानित निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए उनको विधि मान्य ठहराएगा;
- (ड) सुनिश्चित करेगा कि कम्प्यूटर प्रणाली अविधिमान्य और परिवर्तनीय अभिलेखों को चिन्हित कर सके;
- (च) सुनिश्चित करेगा कि अभिलेख ठीक है, अभिगम्य हैं और बाद में संदर्भ के लिए पुनरुत्पादित किए जाने में समर्थ हैं;
- (छ) सुनिश्चित करेगा कि अभिलेखों किसी भी समय पढ़ने के लिए और मुद्रित करने के लिए पुनः प्राप्त किया जा सकता है;
- (ज) सुनिश्चित करेगा कि अभिलेखों को पीडीएफ संस्करण अथवा किसी अन्य संस्करण जिसे परिवर्तित या बदला नहीं जा सकता जैसे गैर परिवर्तनीय और मिटाए न जा सकने वाले फॉर्मेट में रखा गया है;
- (झ) सुनिश्चित करेगा कि कम-से-कम एक बैक-अप जो अभिहित एक दिन की अवधि के लिए लिया गया है, जो इलेक्ट्रानिक प्ररूप में अभिलेखों को अपडेट करने के लिए रखा गया है, यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक बैक-अप अधिप्रमाणित और दिनांकित है तथा ऐसे बैक-अप को ऐसे स्थान पर सुरक्षित रखा जाएगा जो बोर्ड द्वारा विनिश्चित किया जा सके;
- (ञ) प्रबंध निदेशक, कंपनी सचिव अथवा किसी अन्य निदेशक या अधिकारी अथवा कंपनी का कार्य निष्पादित करने वाले व्यक्तियों के लिए अभिलेखों तक अभिगम को इस निमित्त बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया जा सके सीमित करेगा;
- (ट) सुनिश्चित करेगा कि गैर इलेक्ट्रानिक मूल अभिलेखों का इलेक्ट्रानिक रूप में पुनः निष्पादन जब प्राप्त किया जाए तो वह पूर्ण, प्रामाणिक, सही और पठनीय हो;

- (ठ) अभिलेखों को इस प्रकार व्यवस्थित और सूचीबद्ध करेगा जिससे किसी विशेष अभिलेख तक आसानी से पहुंचा जा सके और उसे पुनः प्राप्त किया जा सके; और
- (ड) अभिलेखों की सुरक्षा, सत्यनिष्ठा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

29. इलेक्ट्रानिक रूप में अनुरक्षित अभिलेखों का निरीक्षण और उसकी प्रतियां-

- (1) जहां कोई कंपनी अपने अभिलेखों को इलेक्ट्रानिक रूप में अनुरक्षित करती है वहां निरीक्षण के लिए उन अभिलेखों को उपलब्ध कराने अथवा उन अभिलेखों की समग्र अथवा उसके किसी हिस्से की प्रतियां उपलब्ध कराने के लिए अधिनियम अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन लगाई गई कोई फीस, जो दस रूपए प्रति पृष्ठ से अधिक नहीं होगी, का संदाय करने पर, इलेक्ट्रानिक रूप में निरीक्षण के लिए अभिलेखों को उपलब्ध कराने अथवा उन अभिलेखों की प्रतियां जिसमें उनके यथास्थिति समग्र या किसी हिस्से के स्पष्ट पुनरुत्पादन सहित, उपलब्ध कराने के लिए लगाए गए फीस के रूप में माना जाएगा।

30. शास्ति

यदि इस नियम के किसी उपबंध का अनुपालन करने में कोई चूक की जाती है तो कंपनी और प्रत्येक अधिकारी अथवा ऐसा अन्य व्यक्ति जो चूककर्ता है, जुर्माने से दंडनीय होगा जो पांच हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है और यदि ऐसा उल्लंघन निरंतर जारी रहता है तो उसके लिए पहली बार ऐसा उल्लंघन जारी रहने के दौरान प्रत्येक दिन के लिए पांच सौ रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा।

31. वार्षिक साधारण अधिवेशन संबंधी रिपोर्ट-

- (1) धारा 121 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में रिपोर्ट को निम्नलिखित रीति से तैयार किया जाएगा, अर्थात्-
- (क) इस धारा के अंतर्गत साधारण अधिवेशन के कार्यवृत्त के अलावा एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी;
- (ख) इस रिपोर्ट पर अधिवेशन के अध्यक्ष अथवा हस्ताक्षर करने में उसकी असमर्थता के मामले में कंपनी के किन्हीं दो निदेशकों, जिसमें से एक प्रबंध निदेशक होगा, यदि कंपनी में केवल एक ही निदेशक है तो कंपनी के कंपनी सचिव द्वारा दिनांकित हस्ताक्षर किया जाएगा।
- (ग) ऐसी रिपोर्ट में निम्नलिखित के संबंध में ब्यौरे सम्मिलित होंगे, अर्थात्-
- (i) वार्षिक साधारण अधिवेशन का दिन, तारीख, समय और स्थान;
- (ii) अधिवेशन के अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में स्पष्टीकरण;
- (iii) अधिवेशन में उपस्थित होने वाले सदस्यों की संख्या;
- (iv) गण पूर्ति की पुष्टि;
- (v) अधिवेशन आहूत करने, आयोजित करने और संचालित करने के संबंध में अधिनियम और नियम, उसके अंतर्गत बनाए गए सचिवालयीय मानक के अनुपालन के संबंध में पुष्टि;
- (vi) बैठक में कारबार संचालन और उनके परिणाम;
- (vii) अधिवेशन के स्थगन, मुलतवी होने, स्थान में परिवर्तन होने के संबंध में विशिष्टियां; और
- (viii) रिपोर्ट में सम्मिलित होने के लिए ऐसे सुसंगत कोई अन्य बातें।
- (घ) ऐसी रिपोर्ट में अधिवेशन की कार्यवाहियों का उचित और सही सारांश सम्मिलित होगा।
- (2) धारा 121 की उप धारा (1) और उप नियम (1) के अनुसरण में तैयार रिपोर्ट की प्रति वार्षिक साधारण अधिवेशन समाप्त होने के तीस दिनों के भीतर फीस सहित प्ररूप सं एमजीटी 15 में रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाएगी।

अनुबंध

प्ररूप सं. एमजीटी-1
सदस्यों का रजिस्टर

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 88 (1)(क) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 3 (1) के अनुसरण में]

कंपनी का नाम:

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता:

(शेयरों के प्रत्येक वर्ग के लिए अलग-अलग अनुरक्षित किए जाने के लिए)

शेयरों का वर्ग:

प्रति शेयर अंकित मूल्य (रूपये में):

कुल धारित शेयर:

पृष्ठ संख्या

वैयक्तिक ब्यौरे

सदस्य का नाम:

संयुक्त धारक, यदि कोई हो, के नाम:

पता/रजिस्ट्रीकृत कार्यालय (निगमित निकाय के मामले में):

ई-मेल आईडी:

सीआईएन/रजिस्ट्रीकरण संख्या:

सुभिन्न पहचान संख्या:

पिता/माता/पति या पत्नी का नाम:

प्रास्थिति:

व्यवसाय:

पैन संख्या:

राष्ट्रीयता:

अवयस्क सदस्य के मामले में,

अभिभावक का नाम:

अवयस्क की जन्म तिथि:

सदस्यता के ब्यौरे

सदस्य बनने की तारीख:

धारा 89, यदि लागू हो, के अंतर्गत घोषणा की तारीख:

हिताधिकारी स्वामी का नाम और पता:

नामनिर्देशन, यदि लागू हो, की प्राप्ति की तारीख:

नामनिर्देशिनी का नाम और पता:

स्थगन, यदि लागू हो, में रखे गए शेयरों की संख्या:

शेयरों के स्थगन का अभिलेख, यदि लागू हो:

सदस्यता के समाप्त होने की तारीख:

अनुदेश

लाभांश अधिदेश, मुख्तारनामा और अन्य अनुदेश यदि कोई हो के ब्यौरे;

नोटिस आदि, यदि कोई हो, भेजने के लिए अनुदेश:

शेयर धारिता के ब्यौरे

आबंटन सं./अंतरण सं.	आबंटन/अंतरण की तारीख	आबंटित/अंतरित शेयरों की संख्या	सुभिन्न संख्या (दोनों समावेशित)		अंतरिती का पृष्ठ, यदि लागू हो	अंतरिती का नाम, यदि लागू हो
			से	तक		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
शेयर प्रमाणपत्र के जारी होने अथवा पृष्ठांकित होने की तारीख	प्रमाणपत्र संख्या	लॉक-इन अवधि, यदि कोई हो	रकम (रूपये में)			यदि शेयर नगदी के अलावा प्रतिफल के लिए जारी किया गया है तो उसकी संक्षिप्त विशिष्टियां
			देय	संदत्त/संदत्त किया गया समझा गया	बकाया	
(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	
अंतरण/परिवर्तन/समपहरण/मोचन आदि की तारीख	शेयरों के अंतरण/परिवर्तन/समपहरण /मोचन आदि की संख्या	सुभिन्न संख्या (दोनों समावेशित)	अंतरिती का पृष्ठ	अंतरिती का नाम	शेष शेयर (अंतरण/परिवर्तन/जब्ती/मोचन आदि के बाद)	
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
टिप्पणियां	अधिप्रमाणित/हस्ताक्षर					
(18)	(19)					

प्ररूप सं. एमजीटी-2

डिबेंचर धारकों /अन्य प्रतिभूति धारकों का रजिस्टर

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 88 (1)(ख) और (ग) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 4 के अनुसरण में]

कंपनी का नाम:

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता:

(प्रत्येक धारक के संबंध में डिबेंचर/अन्य प्रतिभूतियों के प्रत्येक वर्ग के लिए अलग-अलग अनुरक्षित किए जाने के लिए)

डिबेंचर/अन्य प्रतिभूतियों का वर्ग:

प्रति यूनिट अंकित मूल्य (रूपये में)

धारित डिबेंचरों/अन्य प्रतिभूतियों की कुल संख्या:

पृष्ठ संख्या

वैयक्तिक ब्यौरे

डिबेंचर धारक/अन्य प्रतिभूति धारक का नाम:

संयुक्त धारक, यदि कोई हो, का नाम:

पता/रजिस्ट्रीकृत कार्यालय (निगमित निकाय के मामले में)

ई-मेल आईडी:

पैन सं./सीआईएन/रजिस्ट्रीकरण संख्या:

सुभिन्न पहचान संख्या:

पिता/माता/पति या पत्नी का नाम:

व्यवसाय, यदि कोई हो:

राष्ट्रीयता:

अवयस्क डिबेंचर धारक/अन्य प्रतिभूति धारक के मामले में,

अभिभावक का नाम:

अवयस्क की जन्म तिथि:

धारिता के ब्यौरे

डिबेंचर धारक/अन्य प्रतिभूति धारक बनने की तारीख:

नामनिर्देशन, यदि लागू हो, की प्राप्ति की तारीख:

नामनिर्देशिनी का नाम और पता:

स्थगन, यदि लागू हो, में रखे गए डिबेंचरों/प्रतिभूतियों की संख्या:

डिबेंचरों/प्रतिभूतियों के स्थगन का अभिलेख, यदि लागू हो:

डिबेंचर धारक/अन्य प्रतिभूति धारक के रूप में सदस्यता समाप्त होने की तारीख:

प्रतिभूति के ब्यौरे

क्या डिबेंचरों/अन्य प्रतिभूतियों की पुनः सदाय प्रतिभूतिकृत है: हां/नहीं

यदि प्रतिभूतिकृत है, तो आरओसी सहित प्रभार के रजिस्ट्रीकरण की तारीख:

प्रभार के लिए आबंटित प्रभार पहचान संख्या:

ऐसे डिबेंचरों/अन्य प्रतिभूतियों को प्रतिभूतिकृत करने के लिए अस्तियों का संक्षिप्त विवरण:

अनुदेश

लाभांश अधिवेश, मुख्तारनामा और अन्य अनुदेश यदि कोई हो का विवरण

कक्ष अधिवेशन की नोटिस आदि, यदि कोई हो, भेजने के लिए अनुदेश:

डिबेंचर/अन्य प्रतिभूतियों के ब्यौरे

आबंटन सं./अंतरण सं.	आबंटन/अंतरण की तारीख	डिबेंचरों/अन्य आबंटित प्रतिभूतियों शेरों की संख्या	सुभिन्न संख्या (दोनों समावेशित)		अंतरिती का पृष्ठ, यदि लागू हो	अंतरिती का नाम, यदि लागू हो
			से	तक		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
शेयर प्रमाणपत्र के जारी होने अथवा पृष्ठांकित होने की तारीख	प्रमाणपत्र संख्या	रकम (रूपये में)		बकाया		यदि डिबेंचरों/अन्य प्रतिभूतियों को नगदी के अलावा प्रतिफल के लिए जारी किया गया है, तो उसकी संक्षिप्त विशिष्टियां
		देय	समादत्त/समादत्त किए जाने के लिए			
(7)	(8)	(9)				(10)

प्रतिभूतियों के अंतरण/पारेषण/यूनिटों आदि की तारीख	शेरों अंतरण/ पारेषण/ समपहरण/यूनिटों आदि की संख्या	सुभिन्न संख्या (दोनों समावेशित)		अंतरिती का पृष्ठ	अंतरिती का नाम
		से	तक		
(11)	(12)	(13)		(14)	(15)
शेष छोड़ी गई ईकाइयां (अंतरण/	अन्य टिप्पणियां	अधिप्रमाणन			

परिषद /समपहरण/मोचन आदि के बाद)					
(16)	(17)	(18)			

प्ररूप सं. एमजीटी 3 [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 88(4) तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 7(2) के अनुसार में]	 सत्यमेव जयते	स्थान अथवा स्थान की स्थिति में परिवर्तन अथवा स्थान स्थिति की अनिश्चितता की सूचना, व स्थान, जहां विदेशी रजिस्टर रखा जाएगा।
---	---	---

प्ररूप की भाषा *अंग्रेजी *हिंदी

प्ररूप फाइल करने के लिए अनुदेश किट देखें।

1. (क) *(सीआईएन).....(पूर्व पूरित)
(ख) (जीएलएन).....

2. (क) कंपनी का नाम
(ख) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता
.....
(ग) ई-मेल आई डी.....

3. * यह सूचना निम्न के लिए है

- कार्यालय की स्थिति जहां विदेशी रजिस्टर रखा गया है
- कार्यालय की स्थिति में परिवर्तन जहां विदेशी रजिस्टर रखा गया है
- विदेशी रजिस्टर के रखरखाव की अनिश्चितता

4. विदेशी रजिस्टर निम्न से संबंधित है

- सदस्य
- डिवेंचर धारक
- अन्य प्रतिभूति धारक
- हिताधिकारी स्वामी

भाग क: कार्यालय की स्थिति की सूचना जहां विदेशी रजिस्टर रखा गया है

5. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि रजिस्टर.....से इस पते पर रखा जाएगा।
पता पंक्ति I.....

पंक्ति II.....

शहर.....

जिला.....

राज्य.....

आईएसओ देश कोड.....देश.....

पिन कोड.....

ई-मेल आईडी.....

भाग ख: स्थिति में परिवर्तन की सूचना जहां विदेशी रजिस्टर रखा गया है

6. कार्यालय की विद्यमान स्थिति जहां विदेशी रजिस्टर रखा गया है।

पता पंक्ति I.....

पंक्ति II.....

शहर.....

जिला.....

राज्य.....

आईएसओ देश कोड.....देश.....

पिन कोड.....

ई-मेल आईडी.....

7. उक्त कार्यालय को बदलने का प्रयोजन.....

8. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि रजिस्टरसे इस पते पर रखा जाएगा
पता पंक्ति I.....

पंक्ति II.....

शहर.....

जिला.....

राज्य.....

आईएसओ देश कोड.....देश.....

पिन कोड.....

ई-मेल आईडी.....

भाग ग: विदेशी रजिस्टर के रखरखाव की अनिर्तरता की सूचना

9. कार्यालय की वर्तमान स्थिति, जहां विदेशी रजिस्टर रखा जाता है।

पता पंक्ति I.....

पंक्ति II.....

शहर.....

जिला.....

राज्य.....

आईएसओ देश कोड.....देश.....

पिन कोड.....

ई-मेल आईडी.....

10. *उक्त अनिर्तरता का कारण.....

11. अनिर्तरता की तारीख.....

घोषणा

मैं कंपनी के निदेशक मंडल की संकल्प संख्यातारीख.....द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूं तथा यह घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप या इससे संबद्ध मामलों की विषयवस्तु के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बने नियमों की सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त में दी गई सभी सूचना, इस प्ररूप के संलग्नकों समेत सत्य, सही और पूर्ण है तथा इस प्ररूप से संबंधित कोई तात्त्विक बात नहीं छिपाई गई है।

***डिजिटल हस्ताक्षर करने हेतु** (डीएससी बॉक्स)

*पदनाम.....

*निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; या सीईओ या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ का डीआईएन या पैन या कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या.....

टिप्पण: धारा 448 तथा 449 की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है जिसमें क्रमशः मिथ्या कथन/ प्रमाण पत्र के लिए शास्ति तथा मिथ्या साक्ष्यों के लिए शास्ति उपबंधित है।

(संशोधित) (फॉर्म चैक करें) (पूर्व संवीक्षा) (प्रस्तुत)

यह ई-प्ररूप इलेक्ट्रॉनिक ढंग से तथा कंपनी द्वारा दिए गए यथातथ्यता के विवरण के आधार पर कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा रखी गई फाइल में रख दिया गया है ।

प्ररूप सं. एमजीटी-4**शेयरों के रजिस्ट्रीकृत स्वामी, जो ऐसे शेयरों में फायदाग्राही हित धारण नहीं करता है, द्वारा घोषणा**

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 (1) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 9 (1) के अनुसरण में]

सेवा में,

कंपनी का नाम:

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता:

1. शेयरों के रजिस्ट्रीकृत स्वामी की विशिष्टियां

(i) नाम:

(ii) पिता/माता/पति या पत्नी का नाम:

(iii) व्यवसाय:

(iv) क्या भारत का नागरिक है हां नहीं

(v) राष्ट्रियता

(vi) जन्म तारीख

(vii) लिंग पुरुष महिला

(viii) पैन संख्या

(ix) पहचान का सबूत

• भारतीय नागरिकों के लिए:

(निम्न में से कोई एक):

- आयकर स्थायी खाता संख्या
- मतदाता पहचान पत्र संख्या
- पासपोर्ट संख्या
- चालन अनुज्ञप्ति
- सुभिन्न पहचान संख्या (यूआईएन)

• विदेशी नागरिकों और अनिवासी भारतीयों के लिए:

- पासपोर्ट
- अन्य

(x) स्थायी आवासीय पता

आईएसओ देश कोड देश

फोन मोबाइल

फैक्स ई-मेल आईडी

(xi) क्या वर्तमान आवासीय पता और स्थायी आवासीय पता समान है:

हां नहीं

यदि नहीं, वर्तमान आवासीय पता

आईएसओ देश कोड देश

फोन मोबाइल

फैक्स ई-मेल आईडी

2. रजिस्ट्रीकृत स्वामी द्वारा की गई घोषणा के संबंध में शेयरों की विशिष्टियां

i) शेयरों का वर्ग:

ii) शेयरों की संख्या:

iii) सुभिन्न संख्या :से.....तक

iv) प्रमाणपत्र संख्या:

v) पृष्ठ संख्या:

vi) शेयरों का अंकित मूल्य:

vii) शेयरों का समादत्त मूल्य:

3. घोषणा:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 की उप धारा (1) के अनुसरण में, मैं.....एतद्वारा घोषित करता हूँ कि नीचे दिए गए नाम का व्यक्ति कंपनी की सदस्य रजिस्टर में मेरे नाम में रजिस्ट्रीकृत उपर्युक्त शेयरों में फायदाप्रद हित धारित करता है:

क्र. सं.	हिताधिकारी स्वामी का नाम	पता और ई-मेल आईडी	जन्म तारीख/आयु	पिता/पति या पत्नी का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
व्यवसाय	राष्ट्रीयता	पैन/यूआईएन/सीआईएन (कंपनी के मामले में)	पासपोर्ट संख्या (विदेशी नागरिक के मामले में)	सुभिन्न संख्या, यदि लागू हो।
(6)	(7)	(8)	(9)	

4. फायदाप्रद हित के ब्यौरे:

i) फायदाप्रद हित की प्रकृति:

ii) फायदाप्रद हित सृजित होने की तारीख:

iii) हिताधिकारी स्वामी के नाम में शेयरों को रजिस्ट्रीकृत न करने के कारण:

iv) ऐसे फायदाप्रद हित के सृजन को दर्शाने वाले लिखत/दस्तावेज, यदि कोई हो, की विशिष्टियां:

5. फायदाप्रद हित में परिवर्तन की विशिष्टियां

i) परिवर्तन की तारीख:

ii) फायदाप्रद हित में परिवर्तन की प्रकृति:

iii) ऐसे परिवर्तन का संक्षिप्त विशिष्टियां

iv) ऐसे फायदाप्रद हित में परिवर्तन दर्शाने वाले लिखत/दस्तावेज, यदि कोई हो, की विशिष्टियां

तारीख

स्थान:

रजिस्ट्रीकृत स्वामी का हस्ताक्षर

संलग्नक:

(क) रजिस्ट्रीकृत स्वामी और हिताधिकारी स्वामी के पहचान का सबूत।

(ख) लिखत/दस्तावेज जिनके अधीन फायदाप्रद हित सृजित/अंतरित/परिवर्तित हुआ है।

प्ररूप सं. एमजीटी-5

हिताधिकारी स्वामी, जो शेयरों में फायदाप्रद हित धारित या अर्जित करता है किन्तु उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज नहीं है, द्वारा घोषणा

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 की उप-धारा (2) और (3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 9 (2) के अनुसरण में]

सेवा में,

कंपनी का नाम:

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता:

1. शेयरों की विशिष्टियां, जिनमें घोषणा करने वाले व्यक्ति द्वारा फायदाप्रद हित धारित किया गया है:

- i) शेयरों का वर्ग:
- ii) शेयरों की संख्या:
- iii) सुभिन्न संख्या:से.....तक
- iv) प्रमाणपत्र संख्या:
- v) पृष्ठ संख्या:
- vi) शेयरों का अंकित मूल्य:
- vii) शेयरों का समादत्त मूल्य:

2. हिताधिकारी स्वामी की विशिष्टियां

क्र. सं.	हिताधिकारी स्वामी(यों) का नाम	पता और ई-मेल आईडी	जन्म तारीख/आयु	पिता/पति या पत्नी का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
व्यवसाय	राष्ट्रीयता	पैन/यूआईएन/सीआईएन (कंपनी के मामले में)	पासपोर्ट संख्या (विदेशी नागरिक के मामले में)	
(6)	(7)	(8)	(9)	

3. घोषणा:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, मैं.....एतद्वारा घोषित करता हूँ कि मैं कंपनी के उपर्युक्त निर्दिष्ट शेयरों में फायदाप्रद हित धारित करता हूँ/अर्जित किया है जो उस व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्रीकृत है जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं।

4. रजिस्ट्रीकृत स्वामी की विशिष्टियां

क्र. सं.	रजिस्ट्रीकृत स्वामी का नाम	पता और ई-मेल आईडी	जन्म तारीख/आयु	पिता/पति या पत्नी पत्नी का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
व्यवसाय	राष्ट्रीयता	पैन/यूआईएन/सीआईएन (कंपनी के मामले में)	पासपोर्ट संख्या (विदेशी नागरिक के मामले में)	
(6)	(7)	(8)	(9)	

5. फायदाप्रद हित के ब्यौरे

- i) फायदाप्रद हित सृजित/अर्जित करने की तारीख:
- ii) फायदाप्रद हित अर्जन का ढंग आबंटन/अंतरण/अन्य, विनिर्दिष्ट करें
- iii) फायदाप्रद हित की प्रकृति:
- iv) मेरे नाम में शेयरों को रजिस्ट्रीकृत न करने के कारण:
- v) ऐसे फायदाप्रद हित के सृजन को दर्शाने वाले लिखत/दस्तावेज, यदि कोई हो की विशिष्टियां

6. उस व्यक्ति की विशिष्टियां जिससे फायदाप्रद हित अर्जित किया गया है, यदि लागू हो:

- i) फायदाप्रद हित के अंतरिती का नाम:
- ii) क्या शेयर उसके नाम से रजिस्टर्ड थे:
(यदि नहीं, उसके द्वारा धारा 89 की उप-धारा (2) के अंतर्गत कंपनी को कोई घोषणा प्रस्तुत की गई। यदि हां, ऐसी घोषणा की तारीख)
- iii) ऐसे फायदाप्रद हित के अंतरण को दर्शाने वाले लिखत/दस्तावेज, यदि कोई हो, की विशिष्टियां

7. फायदाप्रद हित में परिवर्तन की विशिष्टियां

- i) परिवर्तन की तारीख:
- ii) फायदाप्रद हित में परिवर्तन की प्रकृति:
- iii) ऐसे परिवर्तन का संक्षिप्त विवरण:
- iv) ऐसे परिवर्तन के कारण:
- v) ऐसे फायदाप्रद हित में परिवर्तन दर्शाने वाले लिखत/दस्तावेज, यदि कोई हो, की विशिष्टियां

तारीख

स्थान:

हिताधिकारी स्वामी का हस्ताक्षर

प्रमाण पत्र

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त निर्दिष्ट शेयरों में फायदाप्रद हित को मेरे द्वारा तारीखको अंतरित किया गया है

शेयरों में फायदाप्रद हित अंतरित करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर

तारीख

स्थान:

संलग्नक:

1. रजिस्ट्रीकृत स्वामी और हिताधिकारी स्वामी के पहचान का सबूत।
2. लिखत/दस्तावेज जिनके अधीन फायदाप्रद हित सृजित/अंतरित/परिवर्तित हुआ है।

<p>प्ररूप सं. एमजीटी 6 [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 (6) तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन), नियम, 2014 के नियम 9(3) के अनुसरण में]</p>	 <p>सत्यमेव जयते</p>	<p>कंपनी द्वारा धारा 89 के अधीन घोषणा की बाबत रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी</p>
--	---	--

प्ररूप की भाषा *अंग्रेजी *हिंदी

प्ररूप फाइल करने के लिए अनुदेश किट देखें।

1. (क) *कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन).....(पूर्व पूरित)
 (ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख्या (जीएलएन).....
 2. (क) कंपनी का नाम.....
 (ख) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता
-
1. उस व्यक्ति के शेयरों से संबंधित ब्यौरे, जिसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में शेयरधारक के रूप में दर्ज हो और ऐसे शेयरों में वह फायदाप्रद हित न धारण करता हो।
 1. (क) शेयरों की संख्या.....
 (ख) शेयरों की सुभिन्न संख्या.....से.....तक
 (ग) शेयरों के प्रकार.....
 (घ) शेयरों का अंकित मूल्य (रू.).....
 (ङ) शेयरों का समादत्त मूल्य (रू.).....
 2. (क) उस व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में उपर्युक्त शेयरों के धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है.....
 (ख) पता पंक्ति I.....
 पंक्ति II.....
 (ग) शहर.....
 (घ) राज्य.....
 (ङ) देश.....
 (क) पिन कोड.....
 (ख) राष्ट्रीयता.....
 (ग) पिता या पति का नाम * पिता का नाम * पति का नाम
 (घ) रजिस्टर में नाम प्रविष्टि की तारीख(दिन/मास/वर्ष)
 3. (क) उस व्यक्ति का नाम जिसका उक्त में फायदाप्रद हित हो
 (ख) पता पंक्ति I.....
 पंक्ति II.....
 (ग) शहर.....
 (घ) राज्य.....
 (ङ) देश.....
 (च) पिन कोड.....
 (छ) राष्ट्रीयता.....
 4. (क) घोषणा की तारीख.....(दिन/मास/वर्ष)
 (ख) घोषणाकर्ताओं के नाम.....
 (ग) व्यवसाय.....

5. कंपनी द्वारा घोषणा प्राप्त करने की तारीख(दिन/मास/वर्ष)

II. उस व्यक्ति के शेयरों से संबंधित ब्यौरे, जिसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में शेयरधारक के रूप में दर्ज हो और ऐसे शेयरों में वह फायदाप्रद हित न धारण करता हो।

1. (क) शेयरों की संख्या.....

(ख) शेयरों की सुभिन्न संख्या.....से.....तक

(ग) शेयरों के प्रकार.....

(घ) शेयरों का अंकित मूल्य (रू.).....

(ङ) शेयरों का समादत्त मूल्य (रू.).....

2. (क) वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में उपर्युक्त शेयरों के धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है.....

(ख) पता पंक्ति I.....

पंक्ति II.....

(ग) शहर.....

(घ) राज्य.....

(ङ) देश.....

(च) पिन कोड.....

(छ) राष्ट्रीयता.....

(ज) पिता या पति का नाम * पिता का नाम * पति का नाम

(झ) रजिस्टर में नाम प्रविष्टि की तारीख(दिन/मास/वर्ष)

3. (क) उस व्यक्ति का नाम जिसका उक्त में फायदाप्रद हित हो

(ख) पता पंक्ति I.....

पंक्ति II.....

(ग) शहर.....

(घ) राज्य.....

(ङ) देश.....

(च) पिन कोड.....

(छ) राष्ट्रीयता.....

4. (क) घोषणा की तारीख.....(दिन/मास/वर्ष)

(ख) घोषणाकर्ताओं के नाम.....

(ग) व्यवसाय.....

5. कंपनी द्वारा घोषणा प्राप्त करने की तारीख(दिन/मास/वर्ष)

III. उस व्यक्ति के शेयरों से संबंधित ब्यौरे, जिसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में शेयरधारक के रूप में दर्ज हो और इस तरह के शेयरों में वह फायदाप्रद हित न धारण करता हो।

1. (क) शेयरों की संख्या.....

(ख) शेयरों की सुभिन्न संख्या.....से.....तक

(ग) शेयरों के प्रकार.....

(घ) शेयरों का अंकित मूल्य (रू.).....

(ङ) शेयरों का समादत्त मूल्य (रू.).....

2. (क) उस व्यक्ति का नाम जिसका सदस्यों के रजिस्टर में उपर्युक्त शेयरों के धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है.....

(ख) पता पंक्ति I.....

पंक्ति II.....

(ग) शहर.....

(घ) राज्य.....

(ङ) देश.....

- (च) पिन कोड.....
- (छ) राष्ट्रीयता.....
- (ज) पिता या पति का नाम * पिता का नाम * पति का नाम
- (झ) रजिस्टर में नाम प्रविष्टि की तारीख (दिन/मास/वर्ष)
3. (क) उस व्यक्ति का नाम जिसका उक्त में फायदाप्रद हित हो
- (ख) पता पंक्ति I.....
- पंक्ति II.....
- (ग) शहर.....
- (घ) राज्य.....
- (ङ) देश.....
- (च) पिन कोड.....
- (छ) राष्ट्रीयता.....
4. (क) घोषणा की तारीख.....(दिन/मास/वर्ष)
- (ख) घोषकों का नाम.....
- (ग) व्यवसाय.....
5. कंपनी द्वारा घोषणा प्राप्त करने की तारीख(दिन/मास/वर्ष)
- IV. उस व्यक्ति के शेयरों से संबंधित व्यौरे, जिसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में शेयरधारक के रूप में दर्ज हो और ऐसे शेयरों में वह फायदाप्रद हित न धारण करता हो।
1. (क) शेयरों की संख्या.....
- (ख) शेयरों की सुभिन्न संख्या.....से.....तक
- (ग) शेयरों के प्रकार.....
- (घ) शेयरों का अंकित मूल्य (रू.).....
- (ङ) शेयरों का समादत्त मूल्य (रू.).....
2. (क) उस व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में उपर्युक्त शेयरों के धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है.....
- (ख) पता पंक्ति I.....
- पंक्ति II.....
- (ग) शहर.....
- (घ) राज्य.....
- (ङ) देश.....
- (च) पिन कोड.....
- (छ) राष्ट्रीयता.....
- (ज) पिता या पति का नाम * पिता का नाम * पति का नाम
- (i) रजिस्टर में नाम प्रविष्टि की तारीख(दिन/मास/वर्ष)
3. (क) उस व्यक्ति का नाम जो उक्त में फायदाप्रद हित धारण करता हो
- (ख) पता पंक्ति I.....
- पंक्ति II.....
- (ग) शहर.....
- (घ) राज्य.....
- (ङ) देश.....
- (च) पिन कोड.....
- (छ) राष्ट्रीयता.....

4. (क) घोषणा की तारीख.....(दिन/मास/वर्ष)
 (ख) घोषणाकर्ताओं के नाम.....
 (ग) व्यवसाय.....
5. कंपनी द्वारा घोषणा प्राप्त करने की तारीख(दिन/मास/वर्ष)
- V. उन शेयरों की विशिष्टियां, जिनकी बावत वह व्यक्ति जिसका नाम शेयरधारक के रूप में कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है, ऐसे शेयरों में वह फायदाप्रद हित न धारण करता हो।
1. (क) शेयरों की संख्या.....
 (ख) शेयरों की सुभिन्न संख्या.....से.....तक
 (ग) शेयरों के प्रकार.....
 (घ) शेयरों का अंकित मूल्य (रू.).....
 (ङ) शेयरों का समादत्त मूल्य (रू.).....
2. (क) उस व्यक्ति का नाम जिसका नाम ऊपर शेयरों के सदस्यों के रजिस्टर में धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत हो.....
 (ख) पता पंक्ति I.....
 पंक्ति II.....
 (ग) शहर.....
 (घ) राज्य.....
 (ङ) देश.....
 (च) पिन कोड.....
 (छ) राष्ट्रीयता.....
 (ज) पिता या पति का नाम * पिता का नाम * पति का नाम
 (i) रजिस्टर में नाम दर्ज करने की तारीख(दिन/मास/वर्ष)
- 3 (क) व्यक्ति का नाम जो उक्त शेयरों में फायदाप्रद हित धारण करता है
 (ख) पता पंक्ति I.....
 पंक्ति II.....
 (ग) शहर.....
 (घ) राज्य.....
 (ङ) देश.....
 (च) पिन कोड.....
 (छ) राष्ट्रीयता.....
4. (क) घोषणा की तारीख.....(दिन/मास/वर्ष)
 (ख) घोषणाकर्ताओं के नाम.....
 (ग) व्यवसाय.....
5. कंपनी द्वारा घोषणा प्राप्ति की तारीख(दिन/मास/वर्ष)

संलग्नक

- * धारा 89(1) में उल्लिखित व्यक्ति द्वारा घोषणा..... (संलग्न करें)
- * धारा 89 (2) या 89 (3) में उल्लिखित व्यक्ति द्वारा घोषणा..... (संलग्न करें)
- वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो.....(संलग्न करें)

संलग्नकों की सूची

--

संलग्नक हटाएं

घोषणा

जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है, प्ररूप और उसके संलग्नकों में दी गई सूचना सही और पूर्ण है। मुझे कंपनी के निदेशक मंडल की संकल्प संख्या.....तारीख.....द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और इसे फाइल करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

***डिजिटल हस्ताक्षर करने हेतु** (डीएससी बॉक्स)

*पदनाम.....

*निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; या सीईओ या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ डिन या पैन या कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या.....

टिप्पणः धारा 448 तथा 449 की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है जिसमें मिथ्या कथन के लिए शास्ति तथा मिथ्या साक्ष्य के लिए शास्ति का उपबंध है।

(संशोधित) (प्ररूप चैक करें) (पूर्व संवीक्षा) (प्रस्तुत)

सिर्फ कार्यालय प्रयोग हेतु: (फाइल करने संबंधी ब्यौरे संबंध करें)

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध सं..... (एसआरएन) ई-प्ररूप जमा करने की तारीख(दिन/मास/वर्ष)

यह ई-प्ररूप एतद्वारा रजिस्ट्रीकृत किया जाता है

प्राधिकृत अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर.....(जमा करने की पुष्टि करें)

हस्ताक्षर की तारीख(दिन/मास/वर्ष)

प्ररूप सं. एम जी टी-7

-----प्राइवेट लिमिटेड/लिमिटेड का
-----को समाप्त वित्तीय वर्ष की
वार्षिक विवरणी

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(1) एवं कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 11(1) के अनुसरण में]

I. रजिस्ट्रीकरण और अन्य ब्यौरे:

i) सी आई एन :-

- पहले भरें

विदेशी कंपनी रजिस्ट्रीकरण संख्या/जी एल एन :-

रजिस्ट्रीकरण तारीख

तारीख मास वर्ष

ii) कंपनी का प्रवर्ग :- [कृपया चिह्नित करें]

1 सरकारी कंपनी ()

2 निजी कंपनी ()

iii) कंपनी का उपवर्ग :- [कृपया जो लागू हो उसको चिह्नित करें]

1 सरकारी कंपनी ()

2 लघु कंपनी ()

3. एकल व्यक्ति कंपनी ()

4 विदेशी कंपनी की समनुषंगी कंपनी ()

5 एन बी एफ सी ()

6 गारण्टी कंपनी ()

7 शेयर द्वारा सीमित कंपनी ()

8 असीमित कंपनी ()

- 9 शेयर पूंजी वाली कंपनी ()
 10 बिना शेयर पूंजी वाली कंपनी ()
 11 धारा 8 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी ()

iv) क्या शेयर मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(ओं) में सूचीबद्ध हैं – हाँ/नहीं
 यदि हाँ, तब उन स्टॉक एक्सचेंजों के ब्यौरे जहाँ शेयर सूचीबद्ध हैं

क्रम सं.	स्टॉक एक्सचेंज का नाम	कोड
1.		
2.		
3.		

v) वा.सा.बै. का ब्यौरा :

	तारीख	मास	वर्ष
वा.सा.बै. आयोजित की गई	- वा.सा.बै. की तारीख		
वा.सा.बै. आयोजित नहीं की गई	- वा.सा.बै. के आयोजन की नियत तारीख		

क्या वा.सा.बै. को विस्तार प्रदान किया गया था – हाँ/नहीं (यदि हाँ, तब संदर्भ संख्या, अनुमोदन पत्र की तारीख और वह अवधि जिस तक विस्तार को दिया जाय)

यदि वार्षिक साधारण अधिवेशन का आयोजन नहीं किया गया तब, इसको आयोजित न किए जाने के कारण विनिर्दिष्ट करें।

vi) कंपनी का नाम और रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता :

(इसे हाथ से भरा जाए)

कंपनी का नाम :

पता

कस्बा / नगर :

राज्य :

पिन कोड :

देश का नाम : देश कोड :

एस टी डी सहित टेलीफोन :

क्षेत्र कोड

संख्या

फैक्स संख्या :

ईमेल पता : <mailto:info@nuteckindia.com> [कृपया संबंधित अधिकारी का विधिमान्य और

वर्तमान ईमेल-पता दें]

वेबसाइट यदि कोई हो,:

उस पुलिस थाने का नाम जिसके अधिकारिता के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है

पत्राचार का पता, यदि यह रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते से भिन्न हो :

(विदेशी कंपनी के मामले में, कृपया भारत में व्यवसाय के प्रधान स्थान का पता दें) :

पता

कस्बा / नगर :

राज्य :

पिन कोड:

एस टी डी सहित दूरभाष :

क्षेत्र कोड संख्या

फैक्स संख्या :

ईमेल पता : : <mailto:info@nuteckindia.com> [कृपया संबंधित अधिकारी का विधिमान्य एवं वर्तमान ईमेल-पता दें]

vii) रजिस्ट्रार और अंतरण अभिकर्ताओं (आरटीए) का नाम और पता:- पूर्ण पता और संपर्क ब्यौरे दिए जाएं।

रजिस्ट्रार और अंतरण अभिकर्ताओं (आरटीए) का नाम :

पता

कस्बा / नगर :

राज्य : पिन कोड :

एस टी डी सहित दूरभाष :

क्षेत्र कोड संख्या

फैक्स संख्या :

ईमेल पता : <mailto:info@nuteckindia.com>

[कृपया आर टी ए के संबंधित अधिकारी का विधिमान्य और वर्तमान ईमेल-पता दें]

II. कंपनी की प्रधान व्यावसायिक गतिविधियाँ

कंपनी के कुल आवर्त में 10 % अथवा अधिक का अभिदाय करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों का उल्लेख किया जाए:-



गतिविधियों

क्रम सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और वर्णन	उत्पादों/सेवाओं के एन आई सी कोड	कंपनी के कुल आवर्त का %
1			
2			
3			

III. नियंत्रि, समनुषंगी और सहयुक्त कंपनियों की विशिष्टियां -

[ऐसी कंपनियों की संख्या जिनके संबंध में जानकारी भरी जा रही है] - □

क्रम सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/जीएलएन	नियंत्रि/समनुषंगी/सहयुक्त	धारित शेयरों का %	लागू धारा
1					
2					

IV. कंपनी की शेयर पूंजी, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियाँ

i) शेयर पूंजी:

क) प्राधिकृत शेयर पूंजी :

शेयरों का वर्ग	शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अभिहित मूल्य [रु.]	शेयरों का कुल अभिहित मूल्य [रु.]
<p>साम्या [प्रत्येक प्रकार के लिए विनिर्दिष्ट करें]</p> <p>वर्ष के आरंभ में</p> <p>वर्ष के दौरान परिवर्तन (वृद्धि)</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>वर्ष के दौरान परिवर्तन (कमी)</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>वर्ष के अंत में</p>			
<p>अधिमान [प्रत्येक प्रकार के लिए विनिर्दिष्ट करें]</p> <p>वर्ष के आरंभ में</p> <p>वर्ष के दौरान परिवर्तन (वृद्धि)</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>वर्ष के दौरान परिवर्तन (कमी)</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>वर्ष के अंत में</p>			
<p>अवर्गीकृत [प्रत्येक प्रकार के लिए विनिर्दिष्ट करें]</p> <p>वर्ष के आरंभ में</p> <p>वर्ष के दौरान परिवर्तन (वृद्धि)</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>वर्ष के दौरान परिवर्तन (कमी)</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>वर्ष के अंत में</p>			
<p>वर्ष के आरंभ में कुल प्राधिकृत पूंजी</p> <p>वर्ष के अंत में कुल प्राधिकृत पूंजी</p> <p>(स्वर्यं भरा जाए)</p>	-	-	
	-	-	
	-	-	

ख) निर्गमित शेयर पूंजी :

शेयरों का वर्ग	शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अभिहित मूल्य [रु.]	शेयरों का कुल अभिहित मूल्य [रु.]
साम्या [प्रत्येक प्रकार के लिए विनिर्दिष्ट करें] वर्ष के आरंभ में वर्ष के दौरान परिवर्तन (वृद्धि) 1. 2. वर्ष के दौरान परिवर्तन (कमी) 1. 2. वर्ष के अंत में			
अधिमान [प्रत्येक प्रकार के लिए विनिर्दिष्ट करें] वर्ष के आरंभ में वर्ष के दौरान परिवर्तन (वृद्धि) 1. 2. वर्ष के दौरान परिवर्तन (कमी) 1. 2. वर्ष के अंत में			
वर्ष के आरंभ में निर्गमित कुल शेयर पूंजी वर्ष के दौरान परिवर्तन (वृद्धि) वर्ष के दौरान परिवर्तन (कमी) वर्ष के अंत में निर्गमित कुल शेयर पूंजी (स्वयं भरा जाए)	- - -	- - -	

ग) अभिदत्त शेयर पूंजी :

शेयरों का वर्ग	शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अभिहित मूल्य [रु.]	शेयरों का कुल अभिहित मूल्य [रु.]
साम्या [प्रत्येक प्रकार के लिए विनिर्दिष्ट करें] वर्ष के आरंभ में वर्ष के दौरान परिवर्तन (वृद्धि) 1. 2. वर्ष के दौरान परिवर्तन (कमी)			

1.			
2.			
वर्ष के अंत में			
अधिमान [प्रत्येक प्रकार के लिए विनिर्दिष्ट करें]			
वर्ष के आरंभ में			
वर्ष के दौरान परिवर्तन (वृद्धि)			
1.			
2.			
वर्ष के दौरान परिवर्तन (कमी)			
1.			
2.			
वर्ष के अंत में			
वर्ष के आरंभ में अभिदत्त कुल शेयर पूंजी	-	-	
वर्ष के दौरान परिवर्तन (वृद्धि)	-	-	
वर्ष के दौरान परिवर्तन (कमी)	-	-	
वर्ष के अंत में अभिदत्त कुल शेयर पूंजी (स्वयं भरा जाए)	-	-	

घ)(i) समादत्त शेयर पूंजी :

शेयरों का वर्ग	शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अभिहित मूल्य [रु.]	शेयरों का कुल समादत्त मूल्य [रु.]
साम्या [प्रत्येक प्रकार के लिए विनिर्दिष्ट करें]			
वर्ष के आरंभ में			
वर्ष के दौरान परिवर्तन			
1. वृद्धि			
i. पब्लिक इश्यू			
ii. प्राइवेट नियोजन/अधिमाननी आबंटन			
iii. ईएसओएस			
iv. श्रम साध्य साम्या			
v. रूपांतरण- अधि.शेयर/डिबेंचर			
vi. साम्या में रूपांतरण			
vii. जीडीआर/एडीआर			
viii. अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें.....			
2. कमी			
i. क्रय द्वारा वापस लेना			
ii. समपहरण			

iii. समपहत शेयरों का पुनः निर्गमन iv. कटौती v. अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करे वर्ष के अंत में			
अधिमान [प्रत्येक प्रकार के लिए विनिर्दिष्ट करें] वर्ष के आरंभ में -वर्ष के दौरान परिवर्तन 1. वृद्धि 2. मोचन 3. समपहरण 4. समपहत शेयरों का पुनः निर्गमन 5. कटौती 6. वर्ष के अंत में			
वर्ष के आरंभ में कुल समादत्त शेयर पूंजी वर्ष के दौरान परिवर्तन (वृद्धि) वर्ष के दौरान परिवर्तन (कमी) वर्ष के अंत में समादत्त शेयर पूंजी (स्वयं भरा जाए)	- - -	- - -	

घ)(ii) वर्ष के दौरान स्टॉक विभाजन/समेकन(शेयर के प्रत्येक वर्ग के लिए):

शेयर का वर्ग	विभाजन/समेकन से पूर्व	विभाजन/समेकन के पश्चात
शेयरों की संख्या		
प्रति शेयर अंकित मूल्य		

ii) डिबेंचर

डिबेंचरों का प्रकार	डिबेंचरों की संख्या	प्रति डिबेंचर अभिहित मूल्य[रु.]	डिबेंचरों का कुल समादत्त मूल्य[रु.]
i) असंपरिवर्तनीय(प्रत्येक प्रकार के लिए) वर्ष के आरंभ में -वर्ष के दौरान परिवर्तन 1. वृद्धि 2. मोचन 3. वर्ष के अंत में			
i) भागत:- संपरिवर्तनीय (प्रत्येक प्रकार के लिए)			

वर्ष के आरंभ में -वर्ष के दौरान परिवर्तन 1. वृद्धि 2. मोचन 3. संपरिवर्तित 4. -वर्ष के अंत में			
पूर्ण- संपरिवर्तनीय (प्रत्येक प्रकार के लिए) वर्ष के आरंभ में -वर्ष के दौरान परिवर्तन 1. वृद्धि 2. मोचन 3. संपरिवर्तित 4. -वर्ष के अंत में			
डिबेंचरों की कुल रकम वर्ष के आरंभ में -वर्ष के दौरान परिवर्तन 1. वृद्धि 2. मोचन 3. संपरिवर्तित 4. -वर्ष के अंत में (स्वयं भरा जाए)			

iii) अन्य प्रतिभूतियाँ

प्रतिभूतियों का प्रकार	प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति इकाई अभिहित मूल्य [रु.]	कुल अभिहित मूल्य [रु.]	प्रति इकाई समादत्त मूल्य[रु.]	कुल समादत्त मूल्य[रु.]
1.					
2.					
3.					
कुल रकम:-					

ii) प्रतिभूतियाँ प्रीमियम खाता

प्रतिभूतियों का वर्ग जिन पर प्रीमियम प्राप्त किया गया	प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति इकाई प्रीमियम [रु.]	कुल प्रीमियम[रु.]
साम्या पर प्रीमियम[प्रत्येक प्रकार के लिए]			

वर्ष के आरंभ में वर्ष के दौरान परिवर्तन 1. वृद्धि i) पब्लिक इश्यू ii) प्राइवेट नियोजन /अधिमानी आबंटन iii) ईएसओएस iv) रूपांतरण- अधि.शेयर /डिबेंचर v) जीडीआर/एडीआर vi) अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें..... 2. कमी i) बोनस शेयरों के निर्गम हेतु उपयोग ii) iii) वर्ष के अंत में			
अन्य प्रतिभूतियाँ पर प्रीमियम [प्रत्येक प्रकार के लिए विनिर्दिष्ट करें] वर्ष के आरंभ में वर्ष के दौरान परिवर्तन 1. वृद्धि i) नवीनतम इश्यू ii) 2. कमी i) मोचन पर प्रीमियम ii) -वर्ष के अंत में			
वर्ष के आरंभ में कुल प्रतिभूतियाँ प्रीमियम वर्ष के दौरान परिवर्तन वृद्धि घटत वर्ष के अंत में कुल प्रतिभूतियाँ प्रीमियम (स्वयं भरा जाए)	-	-	

V. कंपनी का आवर्त (अर्जन) और सकल मूल्य(अधिनियम में यथा परिभाषित)

(i) आवर्त:

- वित्तीय वर्ष के अंत में आवर्त

(i) कंपनी का सकल मूल्य :

(ii) - वित्तीय वर्ष के अंत में सकल मूल्य

<p>ख) बैंक /वित्तीय संस्थाएं</p> <p>ग) केंद्रीय सरकार</p> <p>घ) राज्य सरकार(रें)</p> <p>ङ) जोखिम पूंजी निधि</p> <p>च) बीमा कंपनियों</p> <p>छ) विसंनि</p> <p>ज) विदेशी जोखिम पूंजी निधियां</p> <p>झ) अन्य (स्पष्ट करें)</p> <p>उप-योग (ख)(1):-</p> <p>2. गैर-संस्थाएं</p> <p>क) निकाय निगम</p> <p>i) भारतीय</p> <p>ii) विदेशी</p> <p>ख) व्यक्तिगत</p> <p>i) रु.1 लाख तक की अभिहित शेयर पूंजी के धारक व्यक्तिगत शेयरधारक</p> <p>ii) रु.1 लाख से अधिक की अभिहित शेयर पूंजी के धारक व्यक्तिगत शेयरधारक</p> <p>ग) अन्य (स्पष्ट करें)</p> <p>उप-योग (ख)(2):-</p> <p>कुल पब्लिक शेयरधारिता</p> <p>(ख)=(ख)(1)+ (ख)(2)</p>								
<p>ग. जीडीआरों और एडीआरों के अभिरक्षकों द्वारा धारित शेयर</p>								
<p>महायोग (क+ख+ग)</p>								

ख. संप्रवर्तकों की शेयरधारिता

क्र.सं.	शेयर धारक का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयर-धारिता में % परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों को प्रतिभूत/विल्लमगंदार शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों को प्रतिभूत/विल्लमगंदार शेयरों का %	
1								
2								
3								
	योग							

ग. संप्रवर्तकों की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन न हो तो कृपया स्पष्ट करें)

क्र.सं.		वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के आरंभ में				
	वृद्धि/कमी के कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए (अर्थात् आबंटन/अंतरणों/बोनस/श्रम साध्य साम्या इत्यादि) संप्रवर्तकों की शेयरधारिता में वर्ष के दौरान तारीखवार वृद्धि/कमी:				
	वर्ष के अंत में				

घ. शिखर के दस शेयरधारकों(निदेशकों,संप्रवर्तकों एवं जीडीआर व एडीआर के धारकों के अतिरिक्त) का शेयरधारिता प्रतिमान:

क्र.सं.		वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	प्रत्येक दस शिखरीय शेयरधारकों के लिए				
	वर्ष के आरंभ में				
	वृद्धि/कमी के कारणों को स्पष्ट करते हुए (अर्थात् आबंटन/अंतरणों/बोनस/श्रम साध्य साम्या इत्यादि) संप्रवर्तकों की शेयरधारिता में वर्ष के दौरान तारीखवार वृद्धि/कमी:				

वर्ष की समाप्ति पर (अथवा पृथक्करण की तारीख को, यदि वर्ष के दौरान पृथक हुए)				
--	--	--	--	--

ड. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

क्र.सं.	प्रत्येक निदेशक और प्रप्रका के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के आरंभ में				
	वृद्धि/कमी के कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए (अर्थात् आबंटन/अंतरणों/बोनस/श्रम साध्य साम्या इत्यादि) संप्रवर्तकों की शेयरधारिता में वर्ष के दौरान तारीखवार वृद्धि/कमी:				
	वर्ष के अंत में				

च. ऋणग्रस्तता

कंपनी की बकाया/प्रोदभूत किंतु संदाय हेतु देय नहीं के साथ ब्याज बकाया ऋणग्रस्तता

	जमाओं को छोड़कर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमाएं	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल धन				
ii) देय किंतु संदाय नहीं किया गया ब्याज				
iii) ब्याज प्रोदभूत किंतु देय नहीं,				
योग(i+ii+iii)				
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
• परिवर्धन				
• कमी				
निवल परिवर्तन				
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल रकम				
ii) देय किंतु संदत् नहीं किया गया ब्याज				
iii) ब्याज प्रोदभूत किंतु देय नहीं,				
योग (i+ii+iii)				

VII. सदस्यों, डिबेंचर धारकों और अन्य प्रतिभूतिधारकों के ब्यौरे

1] शेयर का खाता पृष्ठ /डिबेंचर धारक/अन्य प्रतिभूति धारक -

शेयर /डिबेंचर धारक/अन्य प्रतिभूति धारक का पूरा नाम :

पिता/माता / पति/पत्नी का नाम

संयुक्त धारक का पूरा नाम

शेयर

1 - साम्या, 2 -अधिमान

डिबेंचर /अन्य प्रतिभूति का प्रकार

3 - डिबेंचर 4- अन्य प्रतिभूति

शेयरों की संख्या/

धारित प्रति डिबेंचर /शेयर/डिबेंचर/अन्य प्रतिभूति रकम

प्रतिभूति (रु.में)

सदस्य/डिबेंचर धारक/अन्य प्रतिभूति धारक बनने की तारीख :-

पता :

कस्बा /नगर :

जिला :

राज्य :

देश :

पिन कोड :

(रूप विधान के अनुसार सूचना को अलग शीट अथवा इलेक्ट्रॉनिक प्रविधि में प्रस्तुत किया जाए)

[निम्नलिखित अतिरिक्त ब्यौरे शेयरपूजी रहित वाली कंपनी द्वारा दिए जाएं]

(क) निगमन की तारीख /पूर्व वित्तीय वर्ष..... की समाप्ति पर कुल सदस्य संख्या

(ख) निगमन की तारीख /पूर्व वित्तीय वर्ष..... की समाप्ति से सदस्य बने कुल व्यक्तियों की संख्या

(ग) निगमन की तारीख /पूर्व वित्तीय वर्ष..... की समाप्ति से सदस्यता समाप्त हो जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या

(घ) वित्तीय वर्ष..... की समाप्ति पर कुल सदस्य संख्या

VIII. विगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति से शेयरों/डिबेंचरों के अंतरणों के ब्यौरे[अथवा कंपनी के निगमन से किसी भी समय से प्रथम वापसी के मामले में]**पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख**

तारीख मास वर्ष

शेयर अंतरण के रजिस्ट्रीकरण की तारीख

तारीख मास वर्ष

प्रतिभूति का प्रकार 1. साम्या शेयर 2.अधिमान शेयर 3. डिबेंचर

शेयरों/डिबेंचरों की संख्या

अभिहित मूल्य (प्रत्येक रु.में) शेयर/डिबेंचर

अंतरक का खाता पृष्ठ:

अंतरक का नाम

अंतरिती का खाता पृष्ठ :

अंतरिती का नाम

(रूप विधान के अनुसार सूचना को अलग शीट अथवा इलेक्ट्रॉनिक प्रविधि में दिया जाए)

IX. संप्रवर्तक/निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनमें परिवर्तन

[पदनाम:- पी- संप्रवर्तक , सी – अध्यक्ष, सीएमडी- अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, सीडब्ल्यू- अध्यक्ष सह पूर्णकालिक निदेशक डब्ल्यू – पूर्णकालिक निदेशक, सीएस – कंपनी सचिव, एम-प्रबंधक,डी-निदेशक, एमडी – प्रबंध निदेशक, सीईओ-मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सीएफओ-मुख्य वित्तीय अधिकारी]

[प्रवर्ग :- आई- स्वतंत्र, एन- नामिती, ए-आनुकल्पिक, ईडी- कार्यपालक निदेशक, एनईडी- गैर-कार्यपालक निदेशक]

1] संप्रवर्तक : [संप्रवर्तकों की कुल संख्या बताएं - □]

प्रास्थिति: कंपनी/कंपनियाँ:

सीआईएन/जीआईएन -

पूर्व भरा हुआ

नाम

निगमन का देश

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

व्यक्तिगत

पूरा नाम

राष्ट्रीयता

पता

2] निदेशकों के ब्यौरे :**i) निदेशक बोर्ड की संरचना**

प्रवर्ग	वर्ष के आरंभ में		वर्ष के अंत में	
	निदेशकों की संख्या	कुल निदेशकों की संख्या का %	निदेशकों की संख्या	कुल निदेशकों की संख्या का %
क. संप्रवर्तक				
i) कार्यपालक निदेशक				
ii) गैर-कार्यपालक निदेशक				
उप-योग (क)				
ख. गैर-संप्रवर्तक				
i) कार्यपालक निदेशक				
ii) गैर-कार्यपालक और स्वतंत्र निदेशक				
गैर-कार्यपालक और गैर-स्वतंत्र निदेशक				
उप-योग (ख)				
ग. नामिती निदेशक				
i) उधार देने वाली संस्थाओं/बैंकों का परोक्षीत्व करने वाले				
ii) निवेशकर्ता संस्थाओं का परोक्षीत्व करने वाले				
iii) सरकार का परोक्षीत्व करने वाले लघु शेयरधारकों का परोक्षीत्व करने वाले				
iv) अन्य, यदि कोई हों.....				
उप-योग (ग)				
योग (क+ख+ग+)				

ii) व्यक्तिगत निदेशकों के ब्यौरे

निदेशक : [निदेशकों की कुल संख्या बताएं -]

डीआईएन: -

[पहले से भरा हुआ]

पूरा नाम :

पिता/माता / पति/पत्नी का नाम

[डीआईएन के अनुसार]

राष्ट्रीयता-

आई - भारतीय एफ - विदेशी

जन्म-तारीख

तारीख मास वर्ष

पदनाम:

प्रवर्ग:-

व्यवसाय:-

ईमेल- पता:-

कंपनी में धारित साम्या शेयरों की संख्या:-

नियुक्ति की तारीख

पदच्युति की तारीख:

तारीख मास वर्ष

तारीख मास वर्ष

निवास का पता:

कस्बा / नगर :

जिला :

राज्य :

पिन कोड :

अन्य कंपनियों में निदेशक पद और उनमें परिवर्तनों के ब्यौरे

क्र. सं.	कंपनी का नाम	कंपनी का सीआईएन	कंपनी * का प्रकार	पदनाम**	नियुक्ति की तारीख	पदच्युति की तारीख
1						
2						
3						

- * सूचीबद्ध कंपनी- एल, असूचीबद्ध कंपनी-यू, प्राईवेट कंपनी-पी, ओपीसी -ओ
- ** सी - अध्यक्ष, सीएमडी- अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, सीडब्ल्यू- अध्यक्ष सह पूर्णकालिक निदेशक डब्ल्यू - पूर्णकालिक निदेशक, डी-निदेशक, एम-प्रबंधक, ईडी- कार्यपालक निदेशक, एनईडी- गैर-कार्यपालक निदेशक, एडी- वैकल्पिक निदेशक

3] प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

i) प्रबंध निदेशक/ मुकाअ/प्रबंधक/ पूर्णकालिक निदेशक

डीआईएन/पीएएन/यूआईएन/पासपोर्ट सं. :-

पूरा नाम:

पिता/माता/पति/पत्नी का नाम

[डीआईएन/पीएएन/यूआईएन/पासपोर्ट सं. के अनुसार]

राष्ट्रीयता-	आई - भारतीय	एफ - विदेशी
जन्म-तारीख	तारीख	मास वर्ष
पदनाम:		
नियुक्ति की तारीख	पदच्युति की तारीख:	
तारीख मास वर्ष	तारीख	मास वर्ष

निवास का पता:

कस्बा / नगर :
जिला :
राज्य :
पिन कोड :

ii) कंपनी सचिव

पीएएन/यूआईएन/पासपोर्ट सं.:-

पूरा नाम:

पिता/माता/पति/पत्नी का नाम

[पीएएन/यूआईएन/पासपोर्ट सं. के अनुसार]

राष्ट्रीयता-	आई - भारतीय	एफ - विदेशी
जन्म-तारीख	तारीख	मास वर्ष
पदनाम :	सदस्यता सं.	
नियुक्ति की तारीख	पदच्युति की तारीख:	
तारीख मास वर्ष	तारीख	मास वर्ष

निवास का पता:

कस्बा / नगर :
जिला :
राज्य :
पिन कोड :

iii) मुख्य वित्तीय अधिकारी

डीआईएन/पीएएन/यूआईएन/पासपोर्ट सं.:-

पूरा नाम:

पिता/माता/पति/पत्नी का नाम

[डीआईएन/पीएएन/यूआईएन/पासपोर्ट सं. के अनुसार]

राष्ट्रीयता-

आई - भारतीय एफ - विदेशी

जन्म-तारीख

तारीख

मास

वर्ष

पदनाम:

नियुक्ति की तारीख

पदच्युति की तारीख:

तारीख मास वर्ष

तारीख मास वर्ष

निवास का पता:

कस्बा / नगर :

जिला :

राज्य :

पिन कोड :

iv) अन्य, यदि कोई हों

पीएएन/यूआईएन/पासपोर्ट सं.:-

पूरा नाम:

पिता/माता/पति/पत्नी का नाम

[पीएएन/यूआईएन/पासपोर्ट सं. के अनुसार]

राष्ट्रीयता-

आई - भारतीय एफ - विदेशी

जन्म-तारीख

तारीख

मास

वर्ष

पदनाम :

नियुक्ति की तारीख

पदच्युति की तारीख:

तारीख मास वर्ष

तारीख मास वर्ष

निवास का पता:

कस्बा / नगर :

जिला :

राज्य :

पिन कोड :

X. सदस्यों/सदस्य वर्ग/बोर्ड/निदेशक बोर्ड की समितियों की बैठकें

क. सदस्यों/वर्ग /अध्यपेक्षित/एनसीएलटी/न्यायालय द्वारा बुलाई गई बैठकें

अधिवेशन का प्रकार	अधिवेशन की तारीख	अधिवेशन में उपस्थिति के हकदार सदस्यों की कुल संख्या	उपस्थिति	
			संख्या	कुल शेयरधारिता का %
वार्षिक साधारण बैठक [एजीएम]				
असाधारण साधारण बैठक [ईओजीएम]				
वर्ग बैठक				
एनसीएलटी/ न्यायालय				
अध्यपेक्षित				

ख. बोर्ड की बैठकें

क्र.सं.	बैठक की तारीख	सभा की तारीख को निदेशकों की कुल संख्या	सभा में उपस्थित निदेशकों की संख्या	उपस्थिति का %
1				
2				
3				

ग. समिति की बैठकें

समितियों की सं.

समिति का नाम :

क्र.सं.	बैठक की तारीख	समिति के सदस्यों की कुल संख्या	सभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या	उपस्थिति का %
1				
2				
3				

[प्रत्येक समिति के लिए पृथक शीट संलग्न करें]

घ. निदेशकों की उपस्थिति

क्र. सं.	निदेशक का नाम	बोर्ड की बैठकें			समिति सभाएं (ऐसी सभी बैठकों को एक साथ कराया जाए जिनका कोई निदेशक एक सदस्य हो)		 को हुई एजीएम में उपस्थित हुए थे/हुई थीं(हां/नहीं)
		आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थित संख्या	उपस्थिति का %	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थित संख्या	उपस्थिति का %	
1								
2								
3								
4								

XI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/अथवा प्रबंधक को पारिश्रमिक:

क्र.सं.	पारिश्रमिक की विशिष्टियां	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम				कुल रकम
		---	---	---	---	
1.	सकल वेतन (क) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में यथा विहित उपबंधों के अनुसार वेतन (ख) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य (ग) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले मिलने वाले लाभ					
2.	स्टॉक विकल्प					
3.	श्रम साध्य साम्या					
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, स्पष्ट करें...					
5.	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें					
	योग (क)					
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा					

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक :

क्र.सं.	पारिश्रमिक की विशिष्टियां	निदेशकों के नाम				कुल रकम
		----	----	----	---	
1.	स्वतंत्र निदेशक • बोर्ड/समिति बैठकों में उपस्थिति हेतु फीस					

	<ul style="list-style-type: none"> • कमीशन • अन्य, कृपया स्पष्ट करें 					
	योग (1)					
	2. अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक <ul style="list-style-type: none"> • बोर्ड/समिति बैठकों में उपस्थिति हेतु फीस • कमीशन • अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें 					
	योग (2)					
	योग (ख)=(1+2)					
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक					
	अधिनियम के अनुसार कुल अधिकतम सीमा					

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशकों को छोड़कर प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का ब्यौरा	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			
		मुकाअ	कंपनी सचिव	मुविअ	योग
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में यथा विहित उपबंधों के अनुसार वेतन (ख) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले मिलने वाले लाभ				
2.	स्टॉक विकल्प				
3.	श्रम साध्य साम्या				
4.	कमीशन <ul style="list-style-type: none"> - लाभ का % के रूप में - अन्य, विनिर्दिष्ट करें... 				
5.	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें				
	योग				

ख. प्रकटन

1.	सदस्यों/डिबेंचर धारकों/अन्य प्रतिभूति धारकों के रजिस्टर को बंद करना	रजिस्टर/अभिलेख की समाप्ति की तारीख	प्रयोजन	लोक सूचना की तारीख	दिवसों की सं. जब तक कि सदस्यों का रजिस्टर बंद रखा गया था
2.	लाभांश की घोषणा • अंतरिम लाभांश • अंतिम लाभांश	घोषणा की तारीख	प्रतिशतता	प्रति शेयर लाभांश	
3.	शेयरों/प्रतिभूतियों यदि कोई हों, को सूची से निकालना	स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहाँ इसे सूची से निकाला गया है	सूची से निकालने की तारीख	अभ्युक्ति	
4.	शेयरों के अभिहित मूल्य में परिवर्तन • उप-विभाजन • समेकन	परिवर्तन से पूर्व प्रति शेयर अभिहित मूल्य	परिवर्तन पश्चात् प्रति शेयर अभिहित मूल्य	परिवर्तन की तारीख	
5.	अंतर्कांपोरेट ऋण, निवेश इत्यादि की विशिष्टियां	निकाय कॉपोरेट का नाम	वर्ष के दौरान (प्रत्येक निकाय कॉपोरेट के संबंध में) ऋणों, निवेशों की कुल रकम	ऐसे निकाय कॉपोरेट से संबंध (कि क्या यह नियंत्री, समनुषंगी अथवा सहयुक्त है)	अभ्युक्ति
6.	संविदाएं अथवा ठहराव जिनमें निदेशकों/संबंधित पक्ष की संव्यवहार में हितबद्ध है	निदेशक/संबंधित पक्षकार का नाम	अभिरूचि के प्रकटन की तारीख	संविदा/ठहराव की तारीख	संविदा/ठहराव का संक्षिप्त विशिष्टियां
7.	डाक मत पत्र द्वारा पारित संकल्पों का ब्यौरा	संकल्पों की संक्षिप्त विशिष्टियां	पड़े मतों की सं. पक्ष में..... विपक्ष में		

XIV. विसंनि द्वारा अथवा उसकी ओर से धारित शेयरों के ब्यौरे

विसंनि का नाम	पता	निगमन का देश	एसईबीआई/आरबीआई में रजिस्ट्रीकरण सं.	शेयर धारिता का ९
---------------	-----	--------------	-------------------------------------	------------------

XV. अन्य प्रकटीकरण**(1) कॉपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व**

(क) वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कॉपोरेट सामाजिक दायित्व के निर्वहन में कंपनी द्वारा व्यय की गई रकम –

(ख) ठीक पूर्ववर्ती तीन पूर्वगामी वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत सकल लाभ की प्रतिशत व्यय रकम

(2) अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं के अधीन सीमाएं:-

धारा	संक्षिप्त व्यौरे	सीमा (रू.)
186(2) [कंपनी द्वारा ऋण और निवेश]		
180(1)(ग) [बोर्ड की शक्तियों पर प्रतिबंध]		

3) निदेशकों की ओर से प्रकटन-

- सभी निदेशकों ने वर्ष के दौरान प्ररूप 12.1 में सूचनाएं और अतिरिक्त प्रकटन, जहां कहीं लागू हो, दे दिए हैं;
- प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक ने घोषणा कर दी है कि वह धारा 149 की उप धारा (6) में यथा यथा उपबंधित स्वतंत्रता के मानशास्ति पूरा करते हैं

4] कंपनी ने तारीख.....को हुई वार्षिक साधारण सभा में सम्यक रूप से -----चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंपनी के लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त/पुनर्नियुक्त किया है।

हम प्रमाणित करते हैं कि :

- (क) विवरणी में यह तथ्य उल्लिखित है कि पूर्वोक्त वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख पर यथाविद्यमान सही एवं समुचित रही।
- (ख) संपूर्ण असंदत्त रकम/अदावाकृत लाभांश/अन्य रकम, लागू किये गए अनुसार अधिनियम की धारा 125 के अनुसार निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में अंतरित कर दिए गए हैं।
- (ग) कम्पनी ने अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार सभी रजिस्टर अनुरक्षित किए हैं और
- (घ) इस विवरणी में जब तक अन्यथा अन्यत्र अभिव्यक्त रूप से उल्लिखित कोई बात सके प्रतिकूल न हो कम्पनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान अधिनियम के लागू उपबंधों का अनुपालन किया है।

(निजी कम्पनियों द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रमाण-पत्र)

- (ङ) कम्पनी ने विगत व्यौरे प्रस्तुति के संदर्भ में पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति या कम्पनी के गठन की तारीख को प्रथम विवरणी के मामले में कम्पनी की किसी प्रतिभूति हेतु अंशदान करने के लिए जनता को कोई आमंत्रण जारी नहीं किया है।
- (च) जहां वार्षिक विवरणी जबकि यह तथ्य प्रकट करती है कि कम्पनी के सदस्यों की संख्या, एकल व्यक्ति कम्पनी के सिवाय, दो सौ से अधिक हो जाती है, उसमें बड़ी हुई संख्या पूर्ण रूप से ऐसे व्यक्तियों की है जो अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (68) के खंड (ii) के दूसरे परन्तुक के अधीन दो सौ की संख्या गणना किए जाने हेतु सम्मिलित नहीं किए गए हैं
- (छ) वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी प्राइवेट कम्पनी के रूप में बनी हुई है।
(प्रमाण-पत्र एकल व्यक्ति कम्पनी/लघु कम्पनी द्वारा ही दिया जाना है)
- (I) कम्पनी एकल व्यक्ति कम्पनी/लघु कम्पनी के रूप में बन रही।

हस्ताक्षरित

निदेशक:-----

कम्पनी सचिव/कार्यरत कम्पनी सचिव

टिप्पणी :-

टिप्पणी:-

- 1) अधिनियम की धारा 92 (I) के अधीन वार्षिक विवरणी निदेशक तथा कम्पनी सचिव दोनों के द्वारा या जहाँ कम्पनी सचिव नहीं है, वहाँ व्यवसायरत कम्पनी सचिव द्वारा हस्ताक्षर की जानी है।
- 2) अधिनियम की धारा 92 (I) के अधीन एकल व्यक्ति कम्पनी या लघु कम्पनी की वार्षिक विवरणी कम्पनी सचिव या जहाँ कम्पनी सचिव नहीं है, वहाँ कम्पनी के निदेशक द्वारा हस्ताक्षर की जाएगी।
- 3) अधिनियम की धारा (92) की उप धारा (2) के अधीन एक सूचीबद्ध कम्पनी या समादत्त पूंजी एवं आवर्त, जो विहित की जाए, वाली कम्पनी की विहित रीति से कम्पनी सचिव या व्यवसायरत कम्पनी सचिव द्वारा प्रमाणित की जाएगी।

प्ररूप संख्या एम जी टी -8

[कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं कम्पनी (प्रबन्धन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 11(2) के अनुसरण में]

एक व्यवसायरत कम्पनी सचिव द्वारा प्रमाण पत्र

मैंने/हमने कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों की अपेक्षानुसार लिमिटेड/प्राइवेट (कम्पनी) के तारीख 20 को समाप्त वित्तीय वर्ष के रजिस्टर/अभिलेख तथा लेखाबहियां एवं कागजातों की जांच की है। मेरी/हमारी राय एवं मेरे/हमारे द्वारा की गयी जांच एवं कम्पनी के अधिकारियों एवं अभिकर्त्ताओं द्वारा मुझे/हमें प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि :

(क) वार्षिक विवरणी उक्त वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर तथ्यों सही एवं उचित रूप से अभिव्यक्त करती हैं।

(ख) पूर्वोक्त वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी ने निम्न के सम्बन्ध में अधिनियमों एवं नियमों एवं उसके अधीन बनाये गये उपबंधों का पालन किया है :

1. अधिनियम के अधीन उसकी स्थिति:
2. रजिस्ट्रार/अभिलेखों का रख-रखाव तथा उसमें उसके लिये निर्धारित समयानुसार प्रविष्टिया करना:
3. वार्षिक विवरणी में यथा कथित फार्मों एवं विवरणियों का कम्पनी रजिस्ट्रार, प्रादेशिक निदेशक, केन्द्रीय सरकार, अधिकरण, न्यायालय या अन्य प्राधिकारियों को विहित समय/समय से परे फाइल किया जाना
4. निदेशक मंडल या इसकी समितियों या इसकी समितियों, यदि कोई हों तो, की बैठकें नियत तारीखों को बुलाना/करना/आयोजित करना।
वार्षिक विवरणियों में यथोक्त जिसके संबंध में बैठकें, समुचित सूचनाएं दी गई थीं तथा संकल्प परिपत्र एवं डाक मत द्वारा पारित संकल्पों यदि कोई हों, सहित कार्यवाहियां इस उद्देश्यार्थ अनुरक्षित कार्यवृत्त पुस्तिकाओं/रजिस्ट्रारों में समुचित रूप से अभिलेखित एवं हस्ताक्षरित की गई हैं।
5. यथा स्थिति सदस्यों/प्रतिभूति धारकों के रजिस्ट्रारों को बंद किया जाना।
6. इसके निदेशकों और/या व्यक्तियों या फर्मों या अधिनियम की धारा 185 में निर्दिष्ट कम्पनियों को अग्रिम/ऋण ;
7. अधिनियम की धारा 188 में यथा विनिर्दिष्ट संबंधित पक्षकारों के साथ संविदा/प्रबंध
8. सभी मामलों में प्रतिभूतियों को जारी करना या आवंटित करना या अंतरण या पारेषण या पुनर्खरीद/अधिमानि शेयरों या डिबेंचरों में कटौती/शेयर पूंजी में कटौती या परिवर्तन/शेयरों/प्रतिभूतियों का परिवर्तन एवं सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करना
9. अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में लाभांश के अधिकार, शेयरों के स्थानान्तरण के पंजीकृत तक शेयर अधिकार या शेयर बोनस को लम्बित रखना।
10. अधिनियम की धारा 125 के अनुसार निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि हेतु यथा प्रयोज्य घोषणा/लाभांश का संदाय; संदाय नहीं किये गये/दावा नहीं किये गये लाभांश/अन्य राशियों का अंतरण;
11. अधिनियम की धारा 134 के उपबंध के अनुसार लेखा परीक्षित ब्यौरे तथा उसकी उक्त धारा (3), (4) एवं (5) के अनुसार निदेशकों के प्रतिवेदनों पर हस्ताक्षर।
12. गठन/नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति/सेवानिवृत्ति/आकस्मिक रिक्तियां भरना/निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का नाम तथा उन्हें समादत्त पारिश्रमिक का प्रकटीकरण।
13. अधिनियम की धारा 139 के अनुसार नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति/लेखा परीक्षकों की आकस्मिक रिक्तियों को भरना ;
14. अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार, अधिकरण, प्रादेशिक निदेशक, रजिस्ट्रार, न्यायालय या ऐसे अन्य प्राधिकारियों से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त किया जाना ;
15. जमा को स्वीकार करना/नवीकरण करना/पुनसंदाय करना ;
16. जहां भी लागू हो निदेशकों, सदस्यों, पब्लिक वित्तीय संस्थाओं, बैंकों तथा अन्य उधार एवं उस संबंध में सृजन/उपांतरण/प्रशुल्कों को चुकाना;
17. अधिनियम की धारा 186 के अधीन ऋण तथा निवेश या समादत्त गारंटी या अन्य निकायों, निगमों या व्यक्तियों को प्रतिभूतियां प्रदान करना।

18. ज्ञापन के उपबंधों एवं/या कम्पनी के संगम अनुच्छेदों का परिवर्तन ;

हस्ताक्षर
व्यवसायगत कम्पनी सचिव का नाम
सी पी संख्या

स्थान :

तारीख:

टिप्पण: अर्हता, आरक्षण अथवा विपरीत टिप्पणी, यदि कोई हो, संबंधित जगहों पर दी जाय।

प्ररूप सं. एमजीटी-9
वार्षिक विवरणी का सार
.....को समाप्त वित्तीय वर्ष

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसरण में]

I. रजिस्ट्रीकरण और अन्य विवरण:

- i) सीआईएन:-
- ii) रजिस्ट्रीकरण तारीख
- iii) कंपनी का नाम
- iv) कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी
- v) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क के ब्यौरे
- vi) क्या सूचीबद्ध कंपनी है हां / नहीं
- vii) रजिस्ट्रार और स्थानांतरण अभिकर्ता, यदि हो, का नाम, पता और संपर्क के ब्यौरे

II. कंपनी के प्रमुख कारबार कार्यकलाप

कंपनी के कुल आवर्त में 10% या अधिक का अंशदान करने वाले सभी कारबार कार्यकलाप का कथन किया जाएगा:-

क्र. सं.	मुख्य उत्पाद/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल आवर्त का %
1			
2			
3			

III. नियंत्रि, अनुषंगी एवं सहयुक्त कंपनियों का विवरण -

क्रम सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	नियंत्रि/अनुषंगी/सहयुक्त	धारित शेयर का %	लागू धारा
1					
2					

2. गैर-संस्थागत (क) कारपोरेट निकाय i) भारतीय ii) विदेशी									
(ख) व्यक्तिगत i) 1 लाख रुपए तक की सांकेतिक शेयर पूंजीधारी व्यक्तिगत शेयरधारक ii) 1 लाख रुपये से अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजीधारी व्यक्तिगत शेयरधारक (ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) उप-योग (ख) (2) :- कुल पब्लिक शेयर धारिता (ख)=(ख) (1)+(ख) (2)									
(ग) जीडीआर एवं एडीआर अभिरक्षकों द्वारा धारित शेयर									
कुल योग (क+ख+ग)									

(ii) संप्रवर्तकों की शेयर धारिता

क्र. सं.	शेयर धारक एवं नाम	वर्ष के प्रारम्भ में शेयर धारिता			वर्ष के अन्त में शेयर धारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में परिवर्तन का प्रतिशत
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में प्रतिभूत/भारित शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में प्रतिभूत/भारित शेयरों का %	
1								
2								
3								
	योग							

(iii) संप्रवर्तकों की शेयर धारिता में परिवर्तन (कोई परिवर्तन नहीं होने की स्थिति में कृपया स्पष्ट करें)

क्रम सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयर का %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में				

	वर्ष के प्रारम्भ में वृद्धि/गिरावट के कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए (अर्थात् आवंटन/अंतरण/बोनस/श्रमसाध्य साम्या आदि) वर्ष के दौरान संप्रवर्तकों के शेयर धारिता में तिथिवार वृद्धि/गिरावट				
	वर्ष के अन्त में				

iv) शीर्ष दस शेयरधारकों (निदेशकों, संप्रवर्तकों एवं जीडीआर व एडीआर के धारकों के अतिरिक्त) का शेयरधारिता

प्रतिमान :

क्र.सं.		वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
	प्रत्येक शीर्ष दस शेयरधारकों के लिए	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के आरंभ में				
	बढ़त/घटत के कारणों को स्पष्ट करते हुए (अर्थात् आवंटन/अंतरण/बोनस/श्रमसाध्य साम्या इत्यादि) शेयरधारिता में वर्ष के दौरान तिथिवार बढ़त/घटत:				
	वर्ष के अंत में (अथवा पृथक्करण की तिथि को, यदि वर्ष के दौरान पृथक् हुए)				

v) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

क्र.सं.		वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
	प्रत्येक निदेशक एवं प्रमुख प्रबंध कार्मिक के लिए	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के आरंभ में				
	बढ़त/घटत के कारणों को स्पष्ट करते हुए (अर्थात् आवंटन/अंतरण/बोनस/श्रमसाध्य साम्या इत्यादि) संप्रवर्तकों की शेयरधारिता में वर्ष के दौरान तिथिवार बढ़त/घटत:				
	वर्ष के अंत में				

V. ऋणग्रस्तता

कंपनी की बकाया/प्रोद्भूत किंतु भुगतान हेतु देय नहीं ब्याज समाहित ऋणग्रस्तता

	जमाओं को छोड़कर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	निक्षेप	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल धन				
ii) देय किंतु असंदत्त ब्याज				
iii) प्रोद्भूत किंतु असंदेय ब्याज,				
योग(i+ii+iii)				
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
• योजन				
• कटौती				
सकल परिवर्तन				
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल धन				
ii) देय किंतु असंदत्त ब्याज				
iii) प्रोद्भूत किंतु असंदेय ब्याज,				
योग (i+ii+iii)				

VI. निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंध कार्मिकों का पारिश्रमिक:

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक:

क्रम सं.	पारिश्रमिक की विशिष्टियां	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेश/ प्रबंधक का नाम				कुल राशि
		----	---	---	----	
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के उपबंधों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ					
2.	स्टॉक विकल्प					
3.	श्रमसाध्य साम्या					
4.	कमीशन - लाभ के प्रतिशत के रूप में - अन्य, विनिर्दिष्ट करें...					
5.	अन्य, विनिर्दिष्ट करें					
	योग (क)					
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा					

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक:

क्रम सं	पारिश्रमिक की विशिष्टियां	निदेशक का नाम				कुल राशि
		----	----	----	---	
	1. स्वतंत्र निदेशक • बोर्ड या समिति की बैठक में भाग लेने की फीस • कमीशन • अन्य, विनिर्दिष्ट करें...					
	योग (1)					
	2. अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक • बोर्ड या समिति की बैठक में भाग लेने की फीस • कमीशन • अन्य, विनिर्दिष्ट करें...					
	योग (1)					
	योग (ख)=(1+2)					
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक					
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा					


ग. प्रबंध निदेशक या प्रबंधक या पूर्णकालिक निदेशक के अतिरिक्त अन्य प्रबंध कार्मिकों का पारिश्रमिक

क्रम सं	पारिश्रमिक की विशिष्टियां	प्रमुख प्रबंध कार्मिक			
		मुख्य कार्यकारी अधिकारी	कंपनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	योग
1.	सकल वेतन (घ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के उपबंधों के अनुसार वेतन (ङ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य (च) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ				
2.	स्टॉक विकल्प				
3.	श्रमसाध्य साम्या				
4.	कमीशन - लाभ के प्रतिशत के रूप में				

	- अन्य, विनिर्दिष्ट करें...			
5.	अन्य, विनिर्दिष्ट करें			
	योग (क)			

VII. शास्ति या दंड या अपराध उपशमन :

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए शास्ति या दंड या अपराध उपशमन की विशिष्टियां	प्राधिकारी (प्रादेशिक निदेशक या एनसीएलटी न्यायालय)	अपील, यदि हो (ब्यौरा दें)
क. कंपनी					
शास्ति					
दंड					
उपशमन					
ख. निदेशक					
शास्ति					
दंड					
उपशमन					
ग. चूककर्ता अधिकारी					
शास्ति					
दंड					
उपशमन					

<p>प्ररूप सं. एमजीटी 10 [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 93 तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 13 के अनुसरण में]</p>	 <p>सत्यमेव जयते</p>	<p>प्रवर्तकों तथा शीर्ष दस शेयरधारकों की शेयरधृति स्थिति में परिवर्तन</p>
--	--	---

प्ररूप की भाषा *अंग्रेजी *हिंदी

प्ररूप फाइल करने के लिए अनुदेश किट देखें।

1. (क) सीआईएन.....(पहले भरा जाना है)
(ख) जीएलएन.....
2. (क) कंपनी का नाम
(ग) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता
(घ)
(ग) ई-मेल पता.....
3. *स्टॉक एक्सचेंज का नाम, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध है
.....
4. प्रवर्तकों की शेयरधृति स्थिति में परिवर्तन के ब्यौरे.....
प्रवर्तकों की संख्या जिनके लिए शेयरधृति में परिवर्तन हुआ है

संप्रवर्तक का नाम	परिवर्तन से पहले धृत शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या में शेयरधृति में परिवर्तन (+) वृद्धि (-) गिरावट	परिवर्तन के बाद धृत शेयरों की संख्या	परिवर्तन के बाद धृत शेयरों का %	परिवर्तन के कारण	परिवर्तन के बाद गिरवी/ऋणग्रस्त शेयरों की संख्या

5. शीर्ष दस शेयरधारकों की शेयरधृति स्थिति में परिवर्तन के व्यौरे

संप्रवर्तक का नाम	परिवर्तन से पहले धृत शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या में शेयर धृत में परिवर्तन (+) वृद्धि (-) गिरावट	परिवर्तन के बाद धृत शेयरों की संख्या	परिवर्तन के बाद धृत शेयरों का %	परिवर्तन के कारण	परिवर्तन के बाद गिरवी/ऋणग्रस्त शेयरों की संख्या

घोषणा

मैं कंपनी के निदेशक मंडल की संकल्प संख्या तारीख.....द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूँ तथा यह घोषणा करता हूँ कि इस प्ररूप या इससे संबंधित मामलों की विषयवस्तु के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बने नियमों की सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त में दी गई सभी सूचना, इस प्ररूप के संलग्नकों सहित सत्य, सही और पूर्ण है तथा इस प्ररूप से संबंधित कोई सूचना नहीं छिपाई गई है।

***द्वारा डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित** (डीएससी बॉक्स)

*पदनाम.....

*निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; या सीईओ या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ डिन या पैन या कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या.....

टिप्पण धारा 448 तथा 449 की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है जिसमें मिथ्य कथन के लिए शास्ति तथा मिथ्य साक्ष्यों के लिए शास्ति का उपबंध है।

(उपांतरित) (प्ररूप चैक करें) (पूर्व में की गई संवीक्षा) (प्रस्तुत)

केवल कार्यालय उपयोग हेतु: (फाइल करने संबंधी व्यौरे संबंध करें)

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध सं..... (एसआरएन) ई-प्ररूप जमा करने की तारीख(दिन/मास/वर्ष)

प्राधिकृत अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर.....(जमा करने की पुष्टि करें)

हस्ताक्षर की तारीख(दिन/मास/वर्ष)

प्ररूप संख्या. एम जी टी-11

प्राक्सी प्ररूप

(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 (6) एवं कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 1914 के नियम 19(3) के अनुसरण में)

सी आई एन:

कम्पनी का नाम :

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय:

सदस्य (यों) के नाम :

रजिस्ट्रीकृत पता :

ई-मेल पता:

फोलियो संख्या/ग्राहक संख्या :

डी पी आई डी :

मैं/हम..... उपर्युक्त नामक कम्पनी के शेयरों के सदस्य होते हुए द्वारा निम्न को नियुक्त करते हैं

1. नाम :.....

पता :

ई-मेल: हस्ताक्षर या उनके न होने पर
2. नाम :..... पता : ई-मेल: हस्ताक्षर या उनके न होने पर
3. नाम :..... पता : ई-मेल: हस्ताक्षर या उनके न होने पर
तारीख को.....पूर्वाहन/अपराहन..... में होने वाली कम्पनी की वार्षिक साधारण अधिवेशन/असाधारण अधिवेशन में मेरे/हमारे प्राक्सी के रूप में निम्नवत दर्शित ऐसे संकल्पों के संबंध में या उसके स्थगन में मेरे/हमारे लिए भाग लेंगे एवं मत देंगे (मतदान में): संकल्प संख्या 1..... 2..... 3.....
20.....को.....दिन हस्ताक्षरित शेयर धारक के हस्ताक्षर टिकट चस्पा करें
प्राक्सी धारक (कों) के हस्ताक्षर टिप्पणी: यह प्राक्सी प्ररूप प्रभावी होने के लिए सम्यक रूप से पूर्ण एवं कम्पनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में अधिवेशन प्रारम्भ होने के अभिहित 48 घंटे पूर्व जमा किया जाना चाहिए।

प्ररूप संख्या एम जी टी-12

मतदान पेपर

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 109 (5) एवं कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 21(i) (ग) के अनुसरण में]

कम्पनी का नाम :	रजिस्ट्रीकृत कार्यालय :	
	मतदान पत्र	
क्रम संख्या	विशिष्टियां	ब्यौरे
1.	प्रथम नामित शेयर धारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
2.	डाक का पता	
3.	रजिस्ट्रीकृत फोलियो संख्या/*ग्राहक आई डी *डीमैट रूप में शेयर धारक निवेशकों को लागू	
4.	शेयर का वर्ग	

मैं निम्नलिखित रीति में नीचे उपदर्शित साधारण/विशेष संकल्प के संबंध में उक्त संकल्प पर अपनी सहमति या असहमति के लिए अपने मत का उपयोग करता हूँ				
संख्या	मद संख्या	मेरे द्वारा धृत शेयरों की संख्या	मैं संकल्प पर सहमति देता हूँ	मैं संकल्प पर अपनी असहमति प्रकट करता हूँ
1.				
स्थान : तारीख (शेयर धारक का हस्ताक्षर)				

प्ररूप संख्या –एम जी टी-13

संवीक्षाकर्ताओं की रिपोर्ट

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 109 तथा कम्पनी नियम, 2014 (प्रबंधन एवं प्रशासन) के नियम 21 (2) के अनुसरण में]

सेवा में,

.....

अध्यक्ष

..... के साम्या शेयर धारकों की तारीख..... को
..... में आयोजित वार्षिक/असाधारण अधिवेशन।

प्रिय महोदय,

मैं/हम निम्नलिखित संकल्प पर तारीख..... को आयोजित साम्या शेयर धारकों की अधिवेशन में किए गए मतदान की संगणना के प्रयोजन के लिए संवीक्षक (कों) के रूप में नियुक्त अपनी रिपोर्ट निम्नसार प्रस्तुत करते हैं।

1. अध्यक्ष द्वारा मतदान समाप्त करने हेतु नियत समय के उपरांत मतदान हेतु रखी गई मतदान पेटियों पर मेरे/हमारे द्वारा चिन्ह लगाकर मेरी/हमारी उपस्थिति में ताला बंद किया गया।
2. बंद मत पेटियों तदोपरांत मेरी/हमारी उपस्थिति में खोली गई तथा मतदान पेपरों की सावधानी पूर्वक संगणना की गयी। मतदान पेपरों -को बाद में कम्पनी/रजिस्ट्रार तथा अंतरण अभिकर्ताओं एवं कम्पनी के प्राधिकारों लिखित प्रकिसयों द्वारा अनुरक्षित अभिलेख से समोशोधन किया गया।

3. मतदान पेपर जो अधूरे थे एवं/या जो अन्यथा त्रुटिपूर्ण पाए गए, अविधिमान्य माने गए और पृथक रखे गये।

या

मुझे/हमें कोई अविधिमान्य मतदान पेपर नहीं प्राप्त हुए थे।

- यदि एक ही संवीक्षक नियुक्त हुआ है तो लागू नहीं।

4. मतदान का परिणाम निम्नानुसार है :

(क) संकल्प

.....

(मतदान संख्या एवं संकल्प का शीर्षक पुनर्प्रस्तुत करें)

(i) संकल्प के पक्ष में मतदान :

उपस्थित सदस्यों की संख्या एवं मतदान (व्यक्तिगत या प्राक्सी)	उनके द्वारा किए गए मतदान की संख्या	दिए गए कुल विधिमान्य मतों का %

(ii) संकल्प के विरुद्ध मतदान :

- (क) संकल्प(संकल्पों) (दिन/मास/वर्ष)
- (ख) डाक मत संकल्प(संकल्पों) (दिन/मास/वर्ष)
5. निम्न को पारित करने की तारीख
- (क) संकल्प(संकल्पों) (दिन/मास/वर्ष)
- (ख) डाक मत संकल्प(संकल्पों) (दिन/मास/वर्ष)
6. संकल्प (संकल्पों) की संख्या जिनके लिए प्ररूप फाइल किया जा रहा है

संकल्प के ब्यौरे

I.

- (क) (i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा जिसके अधीन पारित किया गया.....
- (ii) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा जिसके अधीन पारित किया गया
- (ख) संकल्प पारित करने का प्रयोजन.....
- यदि अन्य हो, तो धारा और प्रयोजन का उल्लेख करें.....
- (ग) संकल्प की विषयवस्तु.....
- (घ) उल्लेख करें कि संकल्प डाक मत द्वारा पारित किया गया है *हां *नहीं
- (ङ) संकल्प पारित करने वाला और उस पर सहमत प्राधिकारी
- * निदेशक मंडल *शेयर धारक *शेयर धारकों की प्रवर्ग * लेनदार
- (च) क्या साधारण या विशेष संकल्प है या अपेक्षित बहुमत के साथ है
- * साधारण संकल्प *विशेष संकल्प *अपेक्षित बहुमत
7. (क) प्रयोजन खंड में परिवर्तन होने पर क्या कंपनी की औद्योगिक गतिविधियों में कोई परिवर्तन हुआ है
- *हां *नहीं
- (ख) यदि हां, तो कंपनी की तए औद्योगिक कार्यकलापों के मुख्य खंड का उल्लेख करें.....
- मुख्य खंड के ब्यौरे
-
-
8. धारा 304 के अधीन स्वैच्छिक समापन की स्थिति में, निम्नलिखित ब्यौरे उपलब्ध कराएं
- (ङ) परिसमापन का तरीका *सदस्य *लेनदार
- (च) परिसमापन शुरू होने की तारीख..... (दिन/मास/वर्ष)
- (छ) परिसमापकों की संख्या.....

परिसमापक (परिसमापकों) के ब्यौरे

I.

आयकर स्थायी खाता संख्या (आयकर पैन)

नाम.....

पता

पंक्ति 1.....

पंक्ति II

शहर.....

राज्य

देश.....

पिन कोड.....

9. करार के ब्यौरे

- (क) करार की तारीख.....(दिन/मास/वर्ष)
- (ख) (i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा जिसके अधीन फाइल किया है.....
- (ii) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा जिसके अधीन फाइल किया है.....

(ग) करार शुरू करने का प्रयोजन.....

(यदि अन्य हो, तो धारा और प्रयोजन का उल्लेख करें)

.....

(ज) करार की विषयवस्तु

.....

(झ) करार अंगीकृत करने वाले प्राधिकारी का उल्लेख करें

*निदेशक मंडल *शेयरधारक *शेयर धारकों की प्रवर्ग *लेनदार

10. प्ररूप आईएनसी 28 की सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)

11. फाइल करने की तारीख को सदस्यों की कुल संख्या.....

संलग्नक

1)* धारा 102 के अधीन स्पष्टीकारक विवरण

की प्रति समेत संकल्प (संकल्पों) की प्रति(प्रतियां) (संलग्न करें)

संलग्नकों की अनुक्रमणिका

2) संगम के परिवर्तित बहिर्नियम

(संलग्न करें)

3) संगम के परिवर्तित अंतर्नियम

(संलग्न करें)


4) करार की प्रति

(संलग्न करें)

5) वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो तो।

(संलग्न करें)

संलग्नक हटाएं



घोषणा

मैं कंपनी के निदेशक मंडल की संकल्प संख्यातारीख.....द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूँ तथा यह घोषणा करता हूँ कि इस प्ररूप या इससे संबंधित मामलों की विषयवस्तु के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बने नियमों की सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि

1. प्ररूप और इसके संलग्नकों में दी गई सूचना सत्य, सही और पूर्ण है और इस प्ररूप की विषय-वस्तु से संबंधित कोई सूचना नहीं छिपाई गई है तथा सूचना कंपनी द्वारा रखे गए मूल अभिलेखों के अनुसार है।

2. सभी अपेक्षित संलग्नक पूर्ण और स्पष्ट रूप से प्ररूप के साथ संलग्न किए गए हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इसके साथ जमा किए गए संकल्प (संकल्पों) या करार (करारों) में प्रति मूल प्रमाणपत्रों की सही प्रतिलिपियां हैं।

3. जिस संबंध में यह याचिका/रिट आवेदन किया गया है, उसके संबंध में कोई आवेदन, रिट याचिका या वाद, किसी विधि न्यायालय अथवा किसी अन्य प्राधिकारी अथवा किसी अन्य न्यायपीठ अथवा किसी बोर्ड में फाइल नहीं किया गया था और ऐसा आवेदन रिट याचिका अथवा वाद किसी के समक्ष लंबित नहीं है।

***डिजिटल हस्ताक्षर करने हेतु**

(डीएससी बॉक्स)

*पदनाम.....

*परिसमापक का नाम.....

*निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; या परिसमापक का आयकर पैन; प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ का डिन या आयकर पैन; या कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या.....

प्रमाणपत्र

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने निम्न के अभिलेखों से उपर्युक्त व्यौरों [संलग्नक (संलग्नकों) समेत] का सत्यापन कर लिया

.....

तथा इन्हें सत्य और सही पाया है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि प्ररूप के साथ अपेक्षित सभी संलग्नक पूर्णतः संलग्न कर दिए गए हैं।

* चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक व्यवसाय) या * संकर्म लागत लेखाकार (पूर्णकालिक व्यवसाय) या

* कंपनी सचिव (पूर्णकालिक व्यवसाय) या

क्या एसोसिएट या फैलो है * एसोसिएट * फैलो **(डीएससी बॉक्स)**

सदस्यता संख्या.....

प्रैक्टिस संख्या का प्रमाणपत्र.....

टिप्पण धारा 448 तथा 449 की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है जिसमें मिथ्य ब्यौरे के लिए शास्ति तथा मिथ्य साक्ष्यों के लिए शास्ति का उपबंध है।

(संशोधित) (प्ररूप चैक करें) (पूर्व संवीक्षा) (प्रस्तुत)

सिर्फ कार्यालय प्रयोग हेतु: (फाइल करने संबंधी ब्यौरे संबंधित करें)

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध सं..... (एसआरएन) ई-प्ररूप जमा करने की तारीख(दिन/मास/वर्ष)

प्राधिकृत अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर.....(जमा करने की पुष्टि करें)

हस्ताक्षर की तारीख(दिन/मास/वर्ष)

प्ररूप सं. एमजीटी 15

वार्षिक साधारण बैठक पर रिपोर्ट फाइल करने का प्ररूप

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 121 (1) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 31(2) के अनुसरण में]

1. (क) सीआईएन..... पूर्व पूरित

(ख) जीएलएन.....

2. (क) कंपनी का नाम.....

(ख) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता.....

(ग) ई मेल आईडी

3. बैठक के ब्यौरे

I. वार्षिक साधारण बैठक का दिन, तारीख और समय.....

II. वार्षिक साधारण बैठक का स्थान.....

III. क्या बैठक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था.....

IV. बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या.....

V. क्या अपेक्षित कोरम उपस्थित था.....

VI. बैठक में हुआ संव्यवहार और उसका परिणाम.....

VII. बैठक के किसी स्थान और स्थान में परिवर्तन की विशिष्टियां.....

VIII. बैठक के किसी आस्थान और स्थान में परिवर्तन की विशिष्टियां.....

IX. रिपोर्ट में शामिल करने हेतु कोई अन्य संगत बिन्दु.....

4. बैठक की कार्यवाही का स्पष्ट सारांश.....

5. यह पुष्टि की गई कि बैठक अधिनियम, और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा सचिवीय मानकों के अनुसार बुलाई, आयोजित की गई, हुई और संचालित की गई।

बैठक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित:

अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर करने में असमर्थता की स्थिति में, कंपनी के किन्ही दो निदेशकों द्वारा, जिनमें से एक प्रबंध निदेशक होगा, यदि हो तो और कंपनी के कंपनी सचिव द्वारा।

[फा. सं. 01/34/2013 (भाग-I) सीएल-V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st March, 2014

G.S.R 260(E).-- In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 88, sub-section (4) of section 88, sub-section (1) of section 89, sub-section (2) section 89, sub-section (6) of section 89, sub-section (1) of section 91, sub-section (2) of section 92, sub-section (3) of section 92, sub-section (2) of section 92, section 93, sub-section (1) of section 94, sub-section (4) of section 100, sub-section (2) of section 114, sections 102, 101, 105, 108, sub-section (5) of section 109, sections 112, 113, 110, sub-section (3) of section 186, section 115, sub-section (1) of section 117, sub-section (1) of section 118, sub-section (2) of section 119, section 120 and sub-section (1) of section 121, read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and in supersession of Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956 or any other relevant rules prescribed under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) on matters covered under these rules, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. Short title and commencement.-

- (1) These rules may be called the Companies (Management and Administration) Rules, 2014.
- (2) They shall come into force on the 1st day of April 2014.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,

- (a) "Act" means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (b) "Annexure" means the Annexure to these Rules;
- (c) "Fees" means the fees as specified in the Companies (Registration offices and fees) Rules, 2014;
- (d) "Form" or an e-form means an form set forth in Annexure to these rules which shall be used for the matter to which it relates;
- (e) "Regional Director" means the person appointed by the Central Government in the Ministry of Corporate Affairs as a Regional Director;
- (f) "section" means section of the Act;

(2) Words and expressions used in these rules but not defined and defined in the Act or in Companies (Specification of definitions details) Rules, 2014 shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and of in the rules.

3. Register of members.-

- (1) Every company limited by shares shall, from the date of its registration, maintain a register of its members in **Form No. MGT.1:**

Provided that in the case of existing companies, registered under the Companies Act, 1956, particulars shall be compiled within six months from the date of commencement of these rules.

- (2) In the case of a company not having share capital, the register of members shall contain the following particulars, in respect of each member, namely:-

- (a) name of the member; address (registered office address in case the member is a body corporate); e-mail address; Permanent Account Number or CIN; Unique Identification Number, if

any; Father's/Mother's/Spouse's name; Occupation; Status; Nationality; in case member is a minor, name of the guardian and the date of birth of the member; name and address of nominee;

- (b) date of becoming member;
- (c) date of cessation;
- (d) amount of guarantee, if any;
any other interest if any; and
instructions, if any, given by the member with regard to
sending of notices etc:

Provided that in the case of existing companies, registered under the Companies Act, 1956, particulars shall be compiled within six months from the date of commencement of these rules.

4. Register of debenture holders or any other security holders.-

Every company which issues or allots debentures or any other security shall maintain a separate register of debenture holders or security holders, as the case may be, for each type of debentures or other securities in **Form No.MGT.2**.

5. Maintenance of the Register of members etc. under section 88.-

Every company shall maintain the registers under clauses (a), (b) and (c) of sub-section (1) of section 88 in the following manner namely:-

- (1) The entries in the registers maintained under section 88 shall be made within seven days after the Board of Directors or its duly constituted committee approves the allotment or transfer of shares, debentures or any other securities, as the case may be.
- (2) The registers shall be maintained at the registered office of the company unless a special resolution is passed in a general meeting authorising the keeping of the register at any other place within the city, town or village in which the registered office is situated or any other place in India in which more than one-tenth of the total members entered in the register of members reside.
- (3) Consequent upon any forfeiture, buy-back, reduction, sub-division, consolidation or cancellation of shares, issue of sweat equity shares, transmission of shares, shares issued under any scheme of arrangements, mergers, reconstitution or employees stock option scheme or any of such scheme provided under this Act or by issue of duplicate or new share certificates or new debenture or other security certificates, entry shall be made within seven days after approval by the Board or committee, in the register of members or in the respective registers, as the case may be.
- (4) If any change occurs in the status of a member or debenture holder or any other security holder whether due to death or insolvency or change of name or due to transfer to Investor Education Protection Fund or due to any other reason, entries thereof explaining the change shall be made in the respective register.
- (5) If any rectification is made in the register maintained under section 88 by the company pursuant to any order passed by the competent authority under the Act, the necessary reference of such order shall be indicated in the respective register.
- (6) If any order is passed by any judicial or revenue authority or by Security and Exchange Board of India (SEBI) or competent authority attaching the shares, debentures or other securities and giving directions for remittance of dividend or interest, the necessary reference of such order shall be indicated in the respective register.
- (7) In case of companies whose securities are listed on a stock exchange in or outside India, the particulars of any pledge, charge, lien or hypothecation created by the promoters in respect

of any securities of the company held by the promoter including the names of pledgee/pawnee and any revocation therein shall be entered in the register within fifteen days from such an event.

(8) If promoters of any listed company, which has formed a joint venture company with another company have pledged or hypothecated or created charge or lien in respect of any security of the listed company in connection with such joint venture company, the particulars of such pledge, hypothecation, charge and lien shall be entered in the register members of the listed company within fifteen days from such an event.

6. Index of names to be included in Register.-

(1) Every register maintained under sub-section (1) of section 88 shall include an index of the names entered in the respective registers and the index shall, in respect of each folio, contain sufficient indication to enable the entries relating to that folio in the register to be readily found:

Provided that the maintenance of index is not necessary in case the number of members is less than fifty.

(2) The company shall make the necessary entries in the index simultaneously with the entry for allotment or transfer of any security in such Register.

7. Foreign register of members, debenture holders, other security holders or beneficial owners residing outside India.-

(1) A company which has share capital or which has issued debentures or any other security may, if so authorised by its articles, keep in any country outside India, a part of the register of members or as the case may be, of debenture holders or of any other security holders or of beneficial owners, resident in that country (hereafter in this rule referred to as the "foreign register").

(2) The company shall, within thirty days from the date of the opening of any foreign register, file with the Registrar notice of the situation of the office in Form No.MGT.3 along with the fee where such register is kept; and in the event of any change in the situation of such office or of its discontinuance, shall, within thirty days from the date of such change or discontinuance, as the case may be, file notice in **Form No.MGT.3** with the Registrar of such change or discontinuance.

(3) A foreign register shall be deemed to be part of the company's register (hereafter in this rule referred to as the "principal register") of members or of debenture holders or of any other security holders or beneficial owners, as the case may be.

(4) The foreign register shall be maintained in the same format as the principal register.

(5) A foreign register shall be open to inspection and may be closed, and extracts may be taken there from and copies thereof may be required, in the same manner, *mutatis mutandis*, as is applicable to the principal register, except that the advertisement before closing the register shall be inserted in at least two newspapers circulating in the place wherein the foreign register is kept.

(6) If a foreign register is kept by a company in any country outside India, the decision of the appropriate competent authority in regard to the rectification of the register shall be binding.

(7) Entries in the foreign register maintained under sub-section (4) of section 88 shall be made simultaneously after the Board of Directors or its duly constituted committee approves the allotment or transfer of shares, debentures or any other securities, as the case may be.

(8) The company shall—

(a) transmit to its registered office in India a copy of every entry in any foreign register within fifteen days after the entry is made; and

(b) keep at such office a duplicate register of every foreign register duly entered up from time to time.

(9) Every such duplicate register shall, for all the purposes of this Act, be deemed to be part of the principal register.

(10) Subject to the provisions of section 88 and the rules made thereunder, with respect to duplicate registers, the shares or as the case may be, debentures or any other security, registered in

any foreign register shall be distinguished from the shares or as the case may be, debentures or any other security, registered in the principal register and in every other foreign register; and no transaction with respect to any shares or as the case may be, debentures or any other security, registered in a foreign register shall, during the continuance of that registration, be registered in any other register.

(11) The company may discontinue the keeping of any foreign register; and thereupon all entries in that register shall be transferred to some other foreign register kept by the company outside India or to the principal register.

8. Authentication.-

(1) The entries in the registers maintained under section 88 and index included therein shall be authenticated by the company secretary of the company or by any other person authorised by the Board for the purpose, and the date of the board resolution authorising the same shall be mentioned.

(2) The entries in the foreign register shall be authenticated by the company secretary of the company or person authorised by the Board by appending his signature to each entry.

9. Declaration in respect of beneficial interest in any shares.-

(1) A person whose name is entered in the register of members of a company as the holder of shares in that company but who does not hold the beneficial interest in such shares (hereinafter referred to as “the registered owner”), shall file with the company, a declaration to that effect in **Form No.MGT.4** in duplicate, within a period of thirty days from the date on which his name is entered in the register of members of such company:

Provided that where any change occurs in the beneficial interest in such shares, the registered owner shall, within a period of thirty days from the date of such change, make a declaration of such change to the company in **Form No.MGT.4** in duplicate.

(2) Every person holding and exempted from furnishing declaration or acquiring a beneficial interest in shares of a company not registered in his name (hereinafter referred to as “the beneficial owner”) shall file with the company, a declaration disclosing such interest in **Form No. MGT.5** in duplicate, within thirty days after acquiring such beneficial interest in the shares of the company:

Provided that where any change occurs in the beneficial interest in such shares, the beneficial owner shall, within a period of thirty days from the date of such change, make a declaration of such change to the company in **Form No.MGT.5** in duplicate.

(3) Where any declaration under section 89 is received by the company, the company shall make a note of such declaration in the register of members and shall file, within a period of thirty days from the date of receipt of declaration by it, a return in **Form No.MGT.6** with the Registrar in respect of such declaration with fee.

10. Closure of register of members or debenture holders or other security holders.-

(1) A company closing the register of members or the register of debenture holders or the register of other security holders shall give at least seven days previous notice and in such manner, as may be specified by Securities and Exchange Board of India, if such company is a listed company or intends to get its securities listed, by advertisement at least once in a vernacular newspaper in the principal vernacular language of the district and having a wide circulation in the place where the registered office of the company is situated, and at least once in English language in an English newspaper circulating in that district and having wide circulation in the place where the registered office of the company is situated and publish the notice on the website as may be notified by the Central Government and on the website, if any, of the Company.

(2) The provisions contained in sub-rule (1) shall not be applicable to a private company provided that the notice has been served on all members of the private company not less than seven days prior to closure of the register of members or debenture holders or other security holders.

11. Annual Return.-

(1) Every company shall prepare its annual return in **Form No. MGT.7**.

(2) The annual return, filed by a listed company or a company having paid-up share capital of ten crore rupees or more or turnover of fifty crore rupees or more, shall be certified by a Company Secretary in practice and the certificate shall be in **Form No. MGT.8**.

12. Extract of annual return.-

(1) The extract of the annual return to be attached with the Board's Report shall be in **Form No. MGT.9**.

(2) A copy of the annual return shall be filed with the Registrar with such fee as may be specified for the purpose.

13. Return of changes in shareholding position of promoters and top ten shareholders.-

Every listed company shall file with the Registrar, a return in **Form No. MGT.10** along with the fee with respect to changes relating to either increase or decrease of two percent or more in the shareholding position of promoters and top ten shareholders of the company in each case, either value or volume of the shares, within fifteen days of such change.

Explanation.- For the purpose of this sub-rule, the the expression "change" means increase or decrease by two percent or more in the shareholding of each of the promoters and each of the top ten shareholders of the company.

14. Inspection of registers, returns etc.-

(1) The registers and indices maintained pursuant to section 88 and copies of returns prepared pursuant to section 92, shall be open for inspection during business hours, at such reasonable time on every working day as the board may decide, by any member, debenture holder, other security holder or beneficial owner without payment of fee and by any other person on payment of such fee as may be specified in the articles of association of the company but not exceeding fifty rupees for each inspection.

Explanation.- For the purposes of this sub-rule, reasonable time of not less than two hours on every working day shall be considered by the company.

(2) Any such member, debenture holder, security holder or beneficial owner or any other person may require a copy of any such register or entries therein or return on payment of such fee as may be specified in the articles of association of the company but not exceeding ten rupees for each page. Such copy or entries or return shall be supplied within seven days of deposit of such fee.

15. Preservation of register of members etc. and annual return.

(1) The register of members along with the index shall be preserved permanently and shall be kept in the custody of the company secretary of the company or any other person authorized by the Board for such purpose; and

(2) The register of debenture holders or any other security holders along with the index shall be preserved for a period of eight years from the date of redemption of debentures or securities, as the

case may be, and shall be kept in the custody of the company secretary of the company or any other person authorized by the Board for such purpose.

(3) Copies of all annual returns prepared under section 92 and copies of all certificates and documents required to be annexed thereto shall be preserved for a period of eight years from the date of filing with the Registrar.

(4) The foreign register of members shall be preserved permanently, unless it is discontinued and all the entries are transferred to any other foreign register or to the principal register. Foreign register of debenture holders or any other security holders shall be preserved for a period of eight years from the date of redemption of such debentures or securities.

(5) The foreign register shall be kept in the custody of the company secretary or person authorised by the Board.

(6) A copy of the proposed special resolution in advance to be filed with the registrar as required in accordance with first proviso of sub-section (1) of section 94, shall be filed with the Registrar, at least one day before the date of general meeting of the company in **Form No.MGT.14**.

16. Copies of the registers and annual return.-

Copies of the registers maintained under section 88 or entries therein and annual return filed under section 92 shall be furnished to any member, debenture-holder, other security holder or beneficial owner of the company or any other person on payment of such fee as may be specified in the Articles of Association of the company but not exceeding rupees ten for each page and such copy shall be supplied by the company within a period of seven days from the date of deposit of fee to the company.

17. Calling of Extraordinary general meeting by requisitionists.-

(1) The members may requisition convening of an extraordinary general meeting in accordance with sub-section (4) of section 100, by providing such requisition in writing or through electronic mode at least clear twenty-one days prior to the proposed date of such extraordinary general meeting.

(2) The notice shall specify the place, date, day and hour of the meeting and shall contain the business to be transacted at the meeting.-

Explanation.- For the purposes of this sub-rule, it is here by clarified that requisitionists should convene meeting at Registered office or in the same city or town where Registered office is situated and such meeting should be convened on working day.

(2) If the resolution is to be proposed as a special resolution, the notice shall be given as required by sub-section (2) of section 114.

(4) The notice shall be signed by all the requisitionists or by a requisitionists duly authorised in writing by all other requisitionists on their behalf or by sending an electronic request attaching therewith a scanned copy of such duly signed requisition.

(5) No explanatory statement as required under section 102 need be annexed to the notice of an extraordinary general meeting convened by the requisitionists and the requisitionists may disclose the reasons for the resolution(s) which they propose to move at the meeting.

(6) The notice of the meeting shall be given to those members whose names appear in the Register of members of the company within three days on which the requisitionists deposit with the Company a valid requisition for calling an extraordinary general meeting.

(7) Where the meeting is not convened, the requisitionists shall have a right to receive list of members together with their registered address and number of shares held and the company concerned is bound to give a list of members together with their registered address made as on twenty first day from the date of receipt of valid requisition together with such changes, if any, before the expiry of the forty-five days from the date of receipt of a valid requisition.

(8) The notice of the meeting shall be given by speed post or registered post or through electronic mode . Any accidental omission to give notice to, or the non-receipt of such notice by, any member shall not invalidate the proceedings of the meeting.

18. Notice of the meeting.-

(1) A company may give notice through electronic mode.

Explanation: For the purpose of this rule, the expression “electronic mode” shall mean any communication sent by a company through its authorized and secured computer programme which is capable of producing confirmation and keeping record of such communication addressed to the person entitled to receive such communication at the last electronic mail address provided by the member.

(2) A notice may be sent through e-mail as a text or as an attachment to e-mail or as a notification providing electronic link or Uniform Resource Locator for accessing such notice.

(3) (i) The e-mail shall be addressed to the person entitled to receive such e-mail as per the records of the company or as provided by the depository:

Provided that the company shall provide an advance opportunity atleast once in a financial year, to the member to register his e-mail address and changes therein and such request may be made by only those members who have not got their email id recorded or to update a fresh email id and not from the members whose e-mail ids are already registered.

(ii) The subject line in e-mail shall state the name of the company, notice of the type of meeting, place and the date on which the meeting is scheduled.

(iii) If notice is sent in the form of a non-editable attachment to e-mail, such attachment shall be in the Portable Document Format or in a non-editable format together with a 'link or instructions' for recipient for downloading relevant version of the software.

(iv) When notice or notifications of availability of notice are sent by e-mail, the company should ensure that it uses a system which produces confirmation of the total number of recipients e-mailed and a record of each recipient to whom the notice has been sent and copy of such record and any notices of any failed transmissions and subsequent re-sending shall be retained by or on behalf of the company as “proof of sending”.

(v) The company’s obligation shall be satisfied when it transmits the e-mail and the company shall not be held responsible for a failure in transmission beyond its control:

(vi) If a member entitled to receive notice fails to provide or update relevant e-mail address to the company, or to the depository participant as the case may be, the company shall not be in default for not delivering notice via e-mail.

(vii) The company may send e-mail through in-house facility or its registrar and transfer agent or authorise any third party agency providing bulk e-mail facility.

(viii) The notice made available on the electronic link or Uniform Resource Locator has to be readable, and the recipient should be able to obtain and retain copies and the company shall give the complete Uniform Resource Locator or address of the website and full details of how to access the document or information.

(ix) The notice of the general meeting of the company shall be simultaneously placed on the website of the company if any and on the website as may be notified by the Central Government.

Explanation.- For the purpose of this rule, it is hereby declared that the extra ordinary general meeting shall be held at a place within India.

19. Proxies.-

(1) A member of a company registered under section 8 shall not be entitled to appoint any other person as his proxy unless such other person is also a member of such company.

(2) A person can act as proxy on behalf of members not exceeding fifty and holding in the aggregate not more than ten percent of the total share capital of the company carrying voting rights:

Provided that a member holding more than ten percent of the total share capital of the Company carrying voting rights may appoint a single person as proxy and such person shall not act as proxy for any other person or shareholder.

(3) The appointment of proxy shall be in the **Form No. MGT.11**.

20. Voting through electronic means.-

(1) Every listed company or a company having not less than one thousand shareholders, shall provide to its members facility to exercise their right to vote at general meetings by electronic means.

(2) A member may exercise his right to vote at any general meeting by electronic means and company may pass any resolution by electronic voting system in accordance with the provisions of this rule.

Explanation.- For the purposes of this rule.- (i) the expressions “voting by electronic means” or “electronic voting system” means a ‘secured system’ based process of display of electronic ballots, recording of votes of the members and the number of votes polled in favour or against, such that the entire voting exercised by way of electronic means gets registered and counted in an electronic registry in a centralized server with adequate ‘cyber security’;

(ii) the expression “secured system” means computer hardware, software, and procedure that –

- (a) are reasonably secure from unauthorized access and misuse;
- (b) provide a reasonable level of reliability and correct operation;
- (c) are reasonably suited to performing the intended functions; and
- (d) adhere to generally accepted security procedures.

(iii). the expression “Cyber security” means protecting information, equipment, devices, computer, computer resource, communication device and information stored therein from unauthorised access, use, disclosures, disruption, modification or destruction.

(3) A company which opts to provide the facility to its members to exercise their votes at any general meeting by electronic voting system shall follow the following procedure, namely;

(i) the notices of the meeting shall be sent to all the members, auditors of the company, or directors either -

- (a) by registered post or speed post ; or
- (b) through electronic means like registered e-mail id;
- (c) through courier service;

(ii) the notice shall also be placed on the website of the company, if any and of the agency forthwith after it is sent to the members;

(iii) the notice of the meeting shall clearly mention that the business may be transacted through electronic voting system and the company is providing facility for voting by electronic means;

(iv) the notice shall clearly indicate the process and manner for voting by electronic means and the time schedule including the time period during which the votes may be cast and shall also provide the login ID and create a facility for generating password and for keeping security and casting of vote in a secure manner;

(v) the company shall cause an advertisement to be published, not less than five days before the date of beginning of the voting period, at least once in a vernacular newspaper in the principal vernacular language of the district in which the registered office of the company is situated, and having a wide circulation in that district, and at least once in English language in an English newspaper having a wide circulation in that district, about having sent the notice of the meeting and specifying therein, *inter alia*, the following matters, namely:-

- (a) statement that the business may be transacted by electronic voting;
- (b) the date of completion of sending of notices;
- (c) the date and time of commencement of voting through electronic means;
- (d) the date and time of end of voting through electronic means;
- (e) the statement that voting shall not be allowed beyond the said date and time;
- (f) website address of the company and agency, if any, where notice of the meeting is displayed; and
- (g) contact details of the person responsible to address the grievances connected with the electronic voting;

(vi) the e-voting shall remain open for not less than one day and not more than three days: Provided that in all such cases, such voting period shall be completed three days prior to the date of the general meeting;

(vii) during the e-voting period, shareholders of the company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the record date, may cast their vote electronically:

Provided that once the vote on a resolution is cast by the shareholder, he shall not be allowed to change it subsequently.

(viii) at the end of the voting period, the portal where votes are cast shall forthwith be blocked.

(ix) the Board of directors shall appoint one scrutinizer, who may be chartered Accountant in practice, Cost Accountant in practice, or Company Secretary in practice or an advocate, but not in employment of the company and is a person of repute who, in the opinion of the Board can scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner:

Provided that the scrutinizer so appointed may take assistance of a person who is not in employment of the company and who is well-versed with the e-voting system;

(x) the scrutinizer shall be willing to be appointed and be available for the purpose of ascertaining the requisite majority;

(xi) the scrutinizer shall, within a period of not exceeding three working days from the date of conclusion of e-voting period, unblock the votes in the presence of at least two witnesses not in the employment of the company and make a scrutinizer's report of the votes cast in favour or against, if any, forthwith to the Chairman;

(xii) the scrutinizer shall maintain a register either manually or electronically to record the assent or dissent, received, mentioning the particulars of name, address, folio number or client ID of the shareholders, number of shares held by them, nominal value of such shares and whether the shares have differential voting rights;

(xiii) the register and all other papers relating to electronic voting shall remain in the safe custody of the scrutinizer until the chairman considers, approves and signs the minutes and thereafter, the scrutinizer shall return the register and other related papers to the company.

(xiv) the results declared along with the scrutinizer's report shall be placed on the website of the company and on the website of the agency within two days of passing of the resolution at the relevant general meeting of members;

(xv) subject to receipt of sufficient votes, the resolution shall be deemed to be passed on the date of the relevant general meeting of members.

21. Manner in which the Chairman of meeting shall get the poll process scrutinised and report thereon.-

(1) The Chairman of a meeting shall ensure that-

(a) The Scrutinizers are provided with the Register of Members, specimen signatures of the members, Attendance Register and Register of Proxies.

(b) The Scrutinizers are provided with all the documents received by the Company pursuant to sections 105, 112 and section 113.

(c) The Scrutinizers shall arrange for Polling papers and distribute them to the members and proxies present at the meeting; in case of joint shareholders, the polling paper shall be given to the first named holder or in his absence to the joint holder attending the meeting as appearing in the chronological order in the folio and the Polling paper shall be in **Form No. MGT.12**.

(d) The Scrutinizers shall keep a record of the polling papers received in response to poll, by initialing it.

(e) The Scrutinizers shall lock and seal an empty polling box in the presence of the members and proxies.

(f) The Scrutinizers shall open the Polling box in the presence of two persons as witnesses after the voting process is over.

(g) In case of ambiguity about the validity of a proxy, the Scrutinizers shall decide the validity in consultation with the Chairman.

(h) The Scrutinizers shall ensure that if a member who has appointed a proxy has voted in person, the proxy's vote shall be disregarded.

(i) The Scrutinizers shall count the votes cast on poll and prepare a report thereon addressed to the Chairman.

(j) Where voting is conducted by electronic means under the provisions of section 108 and rules made thereunder, the company shall provide all the necessary support, technical and otherwise, to the Scrutinizers in orderly conduct of the voting and counting the result thereof.

(k) The Scrutinizers' report shall state total votes cast, valid votes, votes in favour and against the resolution including the details of invalid polling papers and votes comprised therein.

(l) The Scrutinizers shall submit the Report to the Chairman who shall counter-sign the same.

(m) The Chairman shall declare the result of Voting on poll. The result may either be announced by him or a person authorized by him in writing.

(2) The scrutinizers appointed for the poll, shall submit a report to the Chairman of the meeting in **Form No. MGT.13** and the report shall be signed by the scrutinizer and, in case there is more than one scrutinizer by all the scrutinizer, and the same shall be submitted by them to the Chairman of the meeting within seven days from the date the poll is taken.

22. Procedure to be followed for conducting business through postal ballot.-

(1) Where a company is required or decides to pass any resolution by way of postal ballot, it shall send a notice to all the shareholders, along with a draft resolution explaining the reasons therefor and requesting them to send their assent or dissent in writing on a postal ballot because postal ballot means voting by post or through electronic means within a period of thirty days from the date of dispatch of the notice.

(2) The notice shall be sent either (a) by Registered Post or speed post, or (b) through electronic means like registered e-mail id or (c) through courier service for facilitating the communication of the assent or dissent of the shareholder to the resolution within the said period of thirty days.

(3) An advertisement shall be published at least once in a vernacular newspaper in the principal vernacular language of the district in which the registered office of the company is situated, and having a wide circulation in that district, and at least once in English language in an English newspaper having a wide circulation in that district, about having dispatched the ballot papers and specifying therein, *inter alia*, the following matters, namely:-

- (a) a statement to the effect that the business is to be transacted by postal ballot which includes voting by electronic means;
- (b) the date of completion of dispatch of notices;
- (c) the date of commencement of voting;
- (d) the date of end of voting;
- (e) the statement that any postal ballot received from the member beyond the said date will not be valid and voting whether by post or by electronic means shall not be allowed beyond the said date;
- (f) a statement to the effect that members, who have not received postal ballot forms may apply to the company and obtain a duplicate thereof; and
- (g) contact details of the person responsible to address the grievances connected with the voting by postal ballot including voting by electronic means.

(4) The notice of the postal ballot shall also be placed on the website of the company forthwith after the notice is sent to the members and such notice shall remain on such website till the last date for receipt of the postal ballots from the members.

(5) The Board of directors shall appoint one scrutinizer, who is not in employment of the company and who, in the opinion of the Board can conduct the postal ballot voting process in a fair and transparent manner.

(6) The scrutinizer shall be willing to be appointed and be available for the purpose of ascertaining the requisite majority.

(7) If a resolution is assented to by the requisite majority of the shareholders by means of postal ballot including voting by electronic means, it shall be deemed to have been duly passed at a general meeting convened in that behalf.

- (8) Postal ballot received back from the shareholders shall be kept in the safe custody of the scrutinizer and after the receipt of assent or dissent of the shareholder in writing on a postal ballot, no person shall deface or destroy the ballot paper or declare the identity of the shareholder.
- (9) The scrutinizer shall submit his report as soon as possible after the last date of receipt of postal ballots but not later than seven days thereof;
- (10) The scrutinizer shall maintain a register either manually or electronically to record their assent or dissent received, mentioning the particulars of name, address, folio number or client ID of the shareholder, number of shares held by them, nominal value of such shares, whether the shares have differential voting rights, if any, details of postal ballots which are received in defaced or mutilated form and postal ballot forms which are invalid.
- (11) The postal ballot and all other papers relating to postal ballot including voting by electronic means, shall be under the safe custody of the scrutinizer till the chairman considers, approves and signs the minutes and thereafter, the scrutinizer shall return the ballot papers and other related papers or register to the company who shall preserve such ballot papers and other related papers or register safely.
- (12) The assent or dissent received after thirty days from the date of issue of notice shall be treated as if reply from the member has not been received.
- (13) The results shall be declared by placing it, along with the scrutinizer's report, on the website of the company.
- (14) The resolution shall be deemed to be passed on the date of at a meeting convened in that behalf.
- (15) The provisions of rule 20 regarding voting by electronic means shall apply, as far as applicable, *mutatis mutandis* to this rule in respect of the voting by electronic means.
- (16) pursuant to clause (a) of sub-section (1) of section 110, the following items of business shall be transacted only by means of voting through a postal ballot-
- (a) alteration of the objects clause of the memorandum and in the case of the company in existence immediately before the commencement of the Act, alteration of the main objects of the memorandum;
 - (b) alteration of articles of association in relation to insertion or removal of provisions which, under sub-section (68) of section 2, are required to be included in the articles of a company in order to constitute it a private company;
 - (c) change in place of registered office outside the local limits of any city, town or village as specified in sub-section (5) of section 12;
 - (d) change in objects for which a company has raised money from public through prospectus and still has any unutilized amount out of the money so raised under sub-section (8) of section 13;
 - (e) issue of shares with differential rights as to voting or dividend or otherwise under sub-clause (ii) of clause (a) of section 43;
 - (f) variation in the rights attached to a class of shares or debentures or other securities as specified under section 48;
 - (g) buy-back of shares by a company under sub-section (1) of section 68;
 - (h) election of a director under section 151 of the Act;
 - (i) sale of the whole or substantially the whole of an undertaking of a company as specified under sub-clause (a) of sub-section (1) of section 180;
 - (j) giving loans or extending guarantee or providing security in excess of the limit specified under sub-section (3) of section 186:

Provided that One Person Company and other companies having members upto two hundred are not required to transact any business through postal ballot.

23. Special Notice.-

(1) A special notice required to be given to the company shall be signed, either individually or collectively by such number of members holding not less than one percent of total voting power or holding shares on which an aggregate sum of not less than five lakh rupees has been paid up on the date of the notice.

(2) The notice referred to in sub-rule (1) shall be sent by members to the company not earlier than three months but at least fourteen days before the date of the meeting at which the resolution is to be moved, exclusive of the day on which the notice is given and the day of the meeting.

(3) The company shall immediately after receipt of the notice, give its members notice of the resolution at least seven days before the meeting, exclusive of the day of dispatch of notice and day of the meeting, in the same manner as it gives notice of any general meetings.

(4) Where it is not practicable to give the notice in the same manner as it gives notice of any general meetings, the notice shall be published in English language in English newspaper and in vernacular language in a vernacular newspaper, both having wide circulation in the State where the registered office of the Company is situated and such notice shall also be posted on the website, if any, of the Company.

(5) The notice shall be published at least seven days before the meeting, exclusive of the day of publication of the notice and day of the meeting.

24. Resolutions and agreements to be filed.-

A copy of every resolution or any agreement required to be filed, together with the explanatory statement under section 102, if any, shall be filed with the Registrar in **Form No. MGT.14** along with the fee.

25. Minutes of proceedings of general meeting, meeting of Board of Directors and other meetings and resolutions passed by postal ballot.-

(1) (a) A distinct minute book shall be maintained for each type of meeting namely:-

- (i) general meetings of the members;
- (ii) meetings of the creditors
- (iii) meetings of the Board; and
- (iv) meetings of each of the committees of the Board.

Explanation.- For the purposes of this sub-rule, resolutions passed by postal ballot shall be recorded in the minute book of general meetings as if it has been deemed to be passed in the general meeting.

- (b) (i) The minutes of proceedings of each meeting shall be entered in the books maintained for that purpose along with the date of such entry within thirty days of the conclusion of the meeting.
- (ii) In case of every resolution passed by postal ballot, a brief report on the postal ballot conducted including the resolution proposed, the result of the voting thereon and the summary of the scrutinizer's report shall be entered in the minutes book of general meetings along with the date of such entry within thirty days from the date of passing of resolution.
- (d) Each page of every such book shall be initialed or signed and the last page of the record of proceedings of each meeting or each report in such books shall be dated and signed –
 - (i) in the case of minutes of proceedings of a meeting of the Board or of a committee thereof, by the chairman of the said meeting or the chairman of the next succeeding meeting;
 - (ii) in the case of minutes of proceedings of a general meeting, by the chairman of the same meeting within the aforesaid period of thirty days or in the event of the death or inability

of that chairman within that period, by a director duly authorised by the Board for the purpose;

- (iii) In case of every resolution passed by postal ballot, by the chairman of the Board within the aforesaid period of thirty days or in the event of there being no chairman of the Board or the death or inability of that chairman within that period, by a director duly authorized by the Board for the purpose.

(e) The minute books of general meetings, shall be kept at the registered office of the company and shall be preserved permanently and kept in the custody of the company secretary or any director duly authorised by the board or at such other place as may be approved by the Board.

(f) The minutes books of the Board and committee meetings shall be preserved permanently and kept in the custody of the company secretary of the company or any director duly authorized by the Board for the purpose and shall be kept in the registered office or such place as Board may decide.

26. Copy of minute book of general meeting.-

Any member shall be entitled to be furnished, within seven working days after he has made a request in that behalf to the company, with a copy of any minutes of any general meeting, on payment of such sum as may be specified in the articles of association of the company, but not exceeding a sum of ten rupees for each page or part of any page:

Provided that a member who has made a request for provision of soft copy in respect of minutes of any previous general meetings held during a period immediately preceding three financial years shall be entitled to be furnished, with the same free of cost.

27. Maintenance and inspection of document in electronic form.-

(1) Every listed company or a company having not less than one thousand shareholders, debenture holders and other security holders, shall maintain its records, as required to be maintained under the Act or rules made there under, in electronic form.

Explanation.- For the purposes of this sub-rule, it is hereby clarified that in case of existing companies, data shall be converted from physical mode to electronic mode within six months from the date of notification of provisions of section 120 of the Act.

(2) The records in electronic form shall be maintained in such manner as the Board of directors of the company may think fit,

Provided that -

- (a) the records are maintained in the same formats and in accordance with all other requirements as provided in the Act or the rules made there under;
- (b) the information as required under the provisions of the Act or the rules made there under should be adequately recorded for future reference;
- (c) the records must be capable of being readable, retrievable and reproducible in printed form;
- (d) the records are capable of being dated and signed digitally wherever it is required under the provisions of the Act or the rules made thereunder;
- (e) the records, once dated and signed digitally, shall not be capable of being edited or altered;
- (f) the records shall be capable of being updated, according to the provisions of the Act or the rules made there under, and the date of updating shall be capable of being recorded on every updating.

Explanation: - For the purpose of this rule, the term "records" means any register, index, agreement, memorandum, minutes or any other document required by the Act or the rules made there under to be kept by a company.

28. Security of records maintained in electronic form.-

- (1) The Managing Director, Company Secretary or any other director or officer of the company as the Board may decide shall be responsible for the maintenance and security of electronic records.
- (2) The person who is responsible for the maintenance and security of electronic records shall-
 - (a) provide adequate protection against unauthorized access, alteration or tampering of records;
 - (b) ensure against loss of the records as a result of damage to, or failure of the media on which the records are maintained;
 - (c) ensure that the signatory of electronic records does not repudiate the signed record as not genuine;
 - (d) ensure that computer systems, software and hardware are adequately secured and validated to ensure their accuracy, reliability and consistent intended performance;
 - (e) ensure that the computer systems can discern invalid and altered records;
 - (f) ensure that records are accurate, accessible, and capable of being reproduced for reference later;
 - (g) ensure that the records are at all times capable of being retrieved to a readable and printable form;
 - (h) ensure that records are kept in a non-rewriteable and non-erasable format like pdf. version or some other version which cannot be altered or tampered;
 - (i) ensure that at least one backup, taken at a periodicity of not exceeding one day, are kept of the updated records kept in electronic form, every backup is authenticated and dated and such backups shall be securely kept at such places as may be decided by the Board;
 - (j) limit the access to the records to the managing director, company secretary or any other director or officer or persons performing work of the company as may be authorized by the Board in this behalf;
 - (k) ensure that any reproduction of non-electronic original records in electronic form is complete, authentic, true and legible when retrieved;
 - (l) arrange and index the records in a way that permits easy location, access and retrieval of any particular record; and
 - (m) take necessary steps to ensure security, integrity and confidentiality of records.

29. Inspection and copies of records maintained in electronic form.-

Where a company maintains its records in electronic form, any duty imposed by the Act or rules made thereunder to make those records available for inspection or to provide copies of the whole or a part of those records, shall be construed as a duty to make the records available for inspection in electronic form or to provide copies of those records containing a clear reproduction of the whole or part thereof, as the case may be on payment of not exceeding ten rupees per page.

30. Penalty

If any default is made in compliance with any of the provisions of this rule, the company and every officers or such other person who is in default shall be punishable with fine which may extend to five thousand rupees and where the contravention is a continuing one, with a further fine which may extend to five hundred rupees for every day after the first during which such contravention continues.

31. Report on Annual General Meeting.-

(1) The report in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 121 shall be prepared in the following manner, namely:-

- (a) the report under this section shall be prepared in addition to the minutes of the general meeting;
- (b) the report shall be signed and dated by the Chairman of the meeting or in case of his inability to sign, by any two directors of the company, one of whom shall be the Managing director, if there is one and company secretary of the company;
- (c) the report shall contain the details in respect of the following, namely:-
 - (i) the day, date, hour and venue of the annual general meeting;
 - (ii) confirmation with respect to appointment of Chairman of the meeting;
 - (iii) number of members attending the meeting;
 - (iv) confirmation of quorum;
 - (v) confirmation with respect to compliance of the Act and the Rules, secretarial standards made there under with respect to calling, convening and conducting the meeting;
 - (vi) business transacted at the meeting and result thereof;
 - (vii) particulars with respect to any adjournment, postponement of meeting, change in venue; and
 - (viii) any other points relevant for inclusion in the report.

(d) the Report shall contain fair and correct summary of the proceedings of the meeting.

(2) The copy of the report prepared in pursuance of sub-section (1) of section 121 and sub-rule (1), shall be filed with the Registrar in Form No. MGT.15 within thirty days of the conclusion of the annual general meeting along with the fee.

Form No. MGT-1
Register of members

[Pursuant to section 88 (1)(a) of the Companies Act, 2013 and rule 3(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

Name of the company:

Registered office address:

(TO BE MAINTAINED SEPARATELY FOR EACH CLASS OF SHARES)

Class of shares:

Nominal value per share (in Rs.):

Total shares held:

FOLIO NO.

Personal details

Name of the member:

Name of joint holders, if any:

Address/ Registered address (in case of body corporate):

E-mail Id:

CIN/ Registration No.:

Unique Identification No:
 Father's/ Mother's/ Spouse's name:
 Status:
 Occupation:
 PAN No.
 Nationality:
 In case member is a minor,
 Name of Guardian:
 Date of birth of minor:

Details of membership

Date of becoming member:
 Date of declaration under section 89, if applicable:
 Name and address of beneficial owner:
 Date of receipt of nomination, if applicable:
 Name and address of nominee:
 No. of shares kept in abeyance, if applicable:
 Record of lien on shares, if applicable:
 Date of cessation of membership:

Instructions

Particulars of dividend mandates, power of attorney and other instructions, if any:
 Instruction for sending notices etc., if any:

Details of share holding

Allotment No./ Transfer No.	Date of allotment/ transfer	No. of shares allotted/ transferred	Distinctive numbers (both inclusive)		Folio of transferor, if applicable	Name of the transferor, if applicable
			From	To		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
Date of issue or endorsement of share certificate	Certificate No.	Lock in period, if any	Amount (Rs)			If shares are issued for consideration other than cash, brief particulars thereof
			Payable	Paid / Deemed to be paid	Due	
(7)	(8)	(9)	(10)			(11)

Date of transfer/ transmission/ forfeiture / redemption etc	No. of shares transferred/ transmitted/ forfeited /redeemed etc	Distinctive numbers (both inclusive)		Folio transferee of	Name of transferee	Balance shares (after transfer / transmission/ forfeiture / redemption etc)
		From	To			
(12)	(13)	(14)		(15)	(16)	(17)
Remarks	Authentication/ signature					
(18)	(19)					

Form No. MGT-2**Register of debenture holders/ other securities holders**

*[Pursuant to section 88(1)(b) and (c) of the Companies Act, 2013 and rule 4 of the Companies
(Management and Administration) Rules, 2014]*

Name of the company:

Registered office address:

**(TO BE MAINTAINED SEPARATELY FOR EACH CLASS OF DEBENTURES / OTHER
SECURITIES IN RESPECT OF EACH HOLDER)**

Class of debentures / other securities:

Nominal value per unit (in Rs.):

Total no. of debentures / other securities held:

FOLIO NO.**Personal details**

Name of the debenture holder/other security holder:

Name of joint holders, if any:

Address/ Registered address (in case of body corporate):

E-mail Id:

PAN/ CIN/ Registration No.:

Unique Identification No:

Father's/ Mother's/ Spouse's name:

Occupation, if any:

Nationality:

In case debenture holder/other security holder is a minor:

Name of Guardian:

Date of birth of minor:

Details of holding

Date of becoming debenture holder/ other security holder:

Date of receipt of nomination:

Name and address of nominee:

No. of debentures / securities kept in abeyance, if any:

Record of lien on debentures / securities , if any :

Date of cessation as debenture holder/ other security holder:

Details of Security

Whether repayment of the debentures / other securities is secured: Yes / No

If secured, date of registration of charge with the ROC:

Charge Identification Number allotted for the charge

Brief particulars of the assets to secure such debentures / other securities:

Instructions

Particulars of interest mandates, power of attorney and other instructions, if any:

Instruction for sending notices of class meetings, etc., if any:

Details of debentures / other securities

Allotment No./ transfer No.	Date of allotment/ transfer	No. of debentures/ other securities allotted/ transferred	Distinctive numbers (both inclusive)		Folio of transferor, if applicable	Name of the transferor, if applicable
			From	To		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
Date of issue/ endorsement of certificate	Certificate No.	Amount (Rs.)				If debentures / other securities

		Payable	Paid/ deemed to be paid	Due	issued for consideration other than cash, brief particulars thereof
(7)	(8)	(9)			(10)
Date of transfer/ transmission/ redemption forfeiture of securities	No. of units transferred/ transmitted/ forfeited/ redeemed	Distinctive numbers (both inclusive) From To	Folio transferee	of	Name of the transferee
(11)	(12)	(13)	(14)		(15)
Balance units left (after transfer, transmission, redemption etc)	Other remarks	Authentication			
(16)	(17)	(18)			

Form No. MGT-3

Notice of situation or change of situation or discontinuation of situation, of place where foreign register shall be kept

[Pursuant to section 88(4) of the Companies Act, 2013 and rule 7(2) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

1. (a) CIN:

(b) GLN:

2. (a) Name of the company:

(b) Registered office address:

(c) E-mail id:

3. This notice is in respect of:

- Situation of office where foreign register is kept
 Change of situation of office where foreign register is kept
 Discontinuance of maintenance of foreign register

4. Foreign register relates to

- Register of members
 Register of debenture holders

- Register of other security holders
 Beneficial owners

Part A: Notice of situation of office where foreign register is kept

5. Notice is hereby given that the foreign register shall be kept at:

Address Line I
 Line II
 City
 District
 State
 ISO Country Code Country
 Pin Code
 E-mail ID

Part B: Notice of change of situation where foreign register is kept

6. Existing situation of the office where the foreign register is kept:

7. Purpose for changing such office:

8. Notice is hereby given that the foreign register shall be kept with effect from..... at:

Address Line I
 Line II
 City
 District
 State
 Country
 Pin Code
 E-mail ID

Part C: Notice of discontinuance of maintenance of foreign register

9. Existing situation of the office where the foreign register is kept:

10. Reason for such discontinuance:

11. Notice is hereby given that the foreign register is discontinued to be maintained at the existing situation with effect from..... and all the entries in the said register is transferred to

- Another foreign register maintained at.....
 The principal register

Date:

Place:

Signature

Yes	No
If no, present residential address	
ISO Country Code	Country
Phone	Mobile
Fax	Email ID

2. Particulars of the shares in respect of which declaration is being made by the registered owner:

- i) Class of shares:
- ii) Number of shares:
- iii) Distinctive numbers: From..... To.....
- iv) Certificate No.:
- v) Folio No.
- vi) Nominal value of shares:
- vii) Paid up value of shares:

3. Declaration:

In pursuance of sub-section (1) of section 89 of the Companies Act, 2013, Ihereby declare that the person (s) name below hold(s) the beneficial interest in the above mentioned shares registered in my name in the register of members of the company:

Sl. No.	Name of the beneficial owner(s)	Address and E-mail id	Date of birth/ Age	Father's/ Spouse's name
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Occupation	Nationality	PAN/ UIN/ CIN (in case of company)	Passport No. (in case of foreign national)	Distinctive No., if applicable.
(6)	(7)	(8)	(9)	

4. Details of the beneficial interest:

- i) Nature of the beneficial interest:
- ii) Date of creation of the beneficial interest:
- iii) Reasons for not registering shares in the name of the beneficial owner(s):
- iv) Particulars of the instrument/ document, if any, showing the creation of such beneficial interest:

5. Particulars of change in beneficial interest:

- i) Date of change:
- ii) Nature of the change in the beneficial interest:
- iii) Brief particulars of such change:
- iv) Reason for such change:
- v) Particulars of the instrument/ document, if any, showing the change in such beneficial interest:

Date:

Place:

Signature of the registered owner

Enclosures:

(a) Proof of identity of the registered owner and beneficial owner

(b) Instrument/ document under which the beneficial interest is created/ transferred/ changed.

Form No. MGT-5**Declaration by the beneficial owner who holds or acquires beneficial interest in shares but whose name is not entered in the register of members**

[Pursuant to sub-section (2) and (3) of section 89 of the Companies Act, 2013 and rule 9(2) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

To-

Name of the company

Registered office address:

1. Particulars of the shares in which beneficial interest is held by the person making declaration:

- i) Class of shares:
- ii) Number of shares:
- iii) Distinctive numbers: From..... To.....
- iv) Certificate No.:
- v) Folio No.
- vi) Nominal value of shares:
- vii) Paid up value of shares:

2. Particulars of the beneficial owner

Sl. No.	Name of the beneficial owner(s)	Address and E-mail id	Date of birth/ Age	Father's/ Mother's Spouse's name
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Occupation	Nationality	PAN/ UIN/ CIN (in case of company)	Passport No. (in case of foreign national)	
(6)	(7)	(8)	(9)	

3. Declaration

In pursuance of sub-section (2) of section 89 of the Companies Act 2013, Ihereby declare that I hold / have acquired the beneficial interest in the above mentioned shares of the company which are registered in the name of the person whose particulars are furnished below:

4. Particulars of the registered owner

Sl. No.	Name of the	Address and E-	Date of birth/	Father's/
---------	-------------	----------------	----------------	-----------

	registered owner	mail id	Age	Spouse's name
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Occupation	Nationality	PAN/ UIN/ CIN (in case of company)	Passport No. (in case of foreign national)	
(6)	(7)	(8)	(9)	

5. Details of the beneficial interest:

- i) Date of creation / acquisition of beneficial interest:
- ii) Mode of acquisition of beneficial interest: Allotment / Transfer / others, specify
- iii) Nature of the beneficial interest:
- iv) Reasons for not registering shares in my name:
- v) Particulars of the instrument/ document, if any, showing the creation of such beneficial interest:

6. Particulars of the person from whom the beneficial interest is acquired, if applicable:

- i) Name of the transferor of beneficial interest:
- ii) Whether shares were registered in his name:
(If not, whether any declaration under sub-section (2) of section 89 was filed by him to the company. If so, date of such declaration)
- iii) Particulars of the instrument/ document, if any, showing the transfer of such beneficial interest :

7. Particulars of change in beneficial interest:

- i) Date of change:
- ii) Nature of the change in the beneficial interest:
- iii) Brief particulars of such change:
- iv) Reason for such change:
- v) Particulars of the instrument/ document, if any, showing the change in such beneficial interest:

Date:

Place:

Signature of beneficial owner

CERTIFICATE

I hereby certify that the beneficial interest in the shares mentioned above has been transferred by me on

Signature of the person who has transferred the beneficial interest in the shares

Date:

Place:

Enclosures:

1. Proof of identity of the registered owner and beneficial owner;
2. Instrument/ document under which the beneficial interest is created/ transferred/ changed.

Form no. MGT-6**Return to the Registrar in respect of declaration under section 89 received by the company**

[Pursuant to section 89(6) of the Companies Act, 2013 and rule 9 (3) of the Companies
(Management and Administration) Rules, 2014]

1. (a) CIN:
(b) GLN:

2. (a) Name of the company:
(b) Registered office address:
(c) E-mail id:

3. Particulars of beneficial interest:

S. No.	Date of declarations under sub-section (1), (2) or (3) of section 89	Date of receipt of the said declarations by the company	Particulars of shares in respect of which beneficial interest is created					
			Class of shares	No. of shares	Distinctive Nos. of shares			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
Particulars of shares in respect of which beneficial interest is created		Particulars of registered owner						
Face value of shares		Paid up value of shares		Name & Nationality	Address and e-mail id	Father's/ Mother's Spouse's name	Date of entry in the register	Folio No.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
Particulars of beneficial owner				Date and Nature of beneficial interest		Remarks		
Name & Nationality	Address and e-mail id	Father's/ Spouse's name						
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				

Date:

Place:

Signature:

Attachments:

1. declaration under section 89 (1);
2. declaration under section 89 (2);
3. declaration under section 89 (3);
4. Optional attachments, if any.

Form No. MGT-7

ANNUAL RETURN
As on the financial year ended on _____

of

-----PRIVATE LIMITED / LIMITED

[Pursuant to Section 92(1) of the Companies Act, 2013 and rule 11(1) of the Companies
(Management and Administration) Rules, 2014]

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

i) CIN:-

- PREFILL

Foreign Company Registration Number/GLN:-

Registration Date

Date Month Year

ii) **Category of the Company:** - [Pl. tick]

- 1 Public Company ()
2 Private company ()

iii) **Sub Category of the Company:-** [Please tick whichever are applicable]

- 1 Government Company ()
2 Small Company ()
3. One Person Company ()
4 Subsidiary of Foreign Company ()
5 NBFC ()
6 Guarantee Company ()
7 Limited by shares ()
8 Unlimited Company ()
9 Company having share capital ()
10 Company not having share capital ()
11 Company Registered under ()
Section 8

iv) Whether shares listed on recognized Stock Exchange(s) - Yes/No

If yes, details of stock exchanges where shares are listed

Sl No.	Stock Exchange Name	Code
1.		
2.		
3.		

v) AGM details :

	Date	Month	Year
AGM held			
AGM not held			

Whether extension of AGM was granted – Yes / No. (If yes, provide reference number , date of approval letter and the period upto which extension granted)

If Annual General Meeting was not held, specify the reasons for not holding the same.

vi) NAME AND REGISTERED OFFICE ADDRESS OF COMPANY:

(To be filled in manually)

Company Name :

Address

Town / City :

State :

Pin Code:

Country Name :

Country Code:

Telephone :

With STD Area Code

Number

Fax Number :

Email Address : Website, if any:

[Please provide valid and current email-id of the dealing officer]

Name of the Police Station having jurisdiction where the registered office is situated

Address for correspondence, if different from address of registered office:

(In case of foreign company, please give address of principal place of business in India) :

Address

Town / City :

State : Pin Code:

Telephone :
With STD Area Code Number

Fax Number :

Email Address :

[Please provide valid and current email-id of the dealing officer]

vii) Name and Address of Registrar & Transfer Agents (RTA):- Full address and contact details to be given.

Name of Registrar & Transfer Agents:

Address

Town / City :

State : Pin Code:

Telephone :
With STD Area Code Number

Fax Number :

Email Address :

[Please provide valid and current email-id of the dealing officer of RTA]

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10 % or more of the total turnover of the company shall be stated:-

Sl. No.	Name and Description of main products / services	NIC Code of the Product/ service	% to total turnover of the company
1			
2			
3			

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES -

[No. of Companies for which information is being filled] -

S. NO	NAME AND ADDRESS OF THE COMPANY	CIN/GLN	HOLDING/ SUBSIDIARY/ ASSOCIATE	% of shares held	Applicable Section
1					
2					

IV. SHARE CAPITAL, DEBENTURES AND OTHER SECURITIES OF THE COMPANY**i) SHARE CAPITAL:****a) Authorised Share Capital :**

Class of Shares	No. of Shares	Nominal value per share [Rs.]	Total Nominal value of shares [Rs.]
Equity [specify for each type] At the beginning of the year Changes during the year (Increase) 1. 2. Changes during the year (Decrease) 1. 2. At the end of the year			
Preference [specify for each type] At the beginning of the year Changes during the year (Increase) 1. 2. Changes during the year (Decrease) 1. 2. At the end of the year			

Unclassified [specify for each type]			
At the beginning of the year			
Changes during the year (Increase)			
1.			
2.			
Changes during the year (Decrease)			
1.			
2.			
-At the end of the year			
Total Authorized Capital at the beginning of the year	-	-	
Total Authorised Capital at the end of the year (Autofill)	-	-	
	-	-	

b) *Issued Share Capital :*

Class of Shares	No. of Shares	Nominal value per share [Rs.]	Total Nominal value of shares [Rs.]
Equity [specify for each type]			
At the beginning of the year			
Changes during the year(Increase)			
1.			
2.			
Changes during the year (Decrease)			
1.			
2.			
At the end of the year			
Preference [specify for each type]			
At the beginning of the year			

Changes during the year(Increase) 1. 2. Changes during the year (Decrease) 1. 2. At the end of the year			
Total Issued Share Capital at the beginning of the year Changes during the year(Increase) Changes during the year (Decrease) Total Issued Share Capital at the end of the year (Autofill)	-	-	
	-	-	
	-	-	

c) Subscribed Share Capital:

Class of Shares	No. of Shares	Nominal value per share [Rs.]	Total Nominal value of shares [Rs.]
Equity [specify for each type] At the beginning of the year Changes during the year(increase) 1. 2. Changes during the year (Decrease) 1. 2. At the end of the year			
Preference [specify for each type] At the beginning of the year Changes during the year(increase) 1.			

2. Changes during the year (Decrease) 1. 2. At the end of the year			
Total Subscribed Share Capital at the beginning of the year	-	-	
Changes during the year(increase)			
Changes during the year (Decrease)	-	-	
Total Subscribed Share Capital at the end of the year (Autofill)	-	-	

d)(i) Paid –up Share Capital :

Class of Shares	No. of Shares	Nominal value per share [Rs.]	Total Paid - up value of shares [Rs.]
Equity [specify for each type] At the beginning of the year Changes during the year 1. Increase i. Public Issue ii. Private Placement / Preferential Allotment iii. ESOS iv. Sweat Equity v. Conversion – Pref. shares / Debentures vi. Conversion into equity vii. GDR / ADR viii. Others, please specify..... 2. Decrease i. Buy-back			

ii. Forfeiture iii. Re-issue of forfeited shares iv. Reduction v. Others, please specify At the end of the year			
Preference [specify for each type] At the beginning of the year -Changes during the year 1. Increase 2. Redemption 3. Forfeiture 4. Re-issue of forfeited shares 5. Reduction 6. At the end of the year			
Total Paid-up Share Capital at the beginning of the year	-	-	
Changes during the year(Increase)	-	-	
Changes during the year (Decrease)			
Total Paid-up Share Capital at the end of the year (Autofill)	-	-	

d)(ii) Details of stock split / consolidation during the year (for each class of shares):

Class of shares	Before split / consolidation	After split / Consolidation
Number of shares		
Face value per share		

ii) Debentures

Type of Debentures	No. of Debentures	Nominal Value per Debenture [Rs.]	Total Paid-up value of Debentures [Rs.]

<p>i) Non-convertible (for each type)</p> <p>At the beginning of the year</p> <p>Changes during the year</p> <p>1. Increase 2. Redemption 3.</p> <p>At the end of the year</p>			
<p>ii) Partly-convertible (for each type)</p> <p>At the beginning of the year</p> <p>-Changes during the year</p> <p>1. Increase 2. Redemption 3. Converted 4.</p> <p>-At the end of the year</p>			
<p>iii) Fully-convertible (for each type)</p> <p>At the beginning of the year</p> <p>-Changes during the year</p> <p>1. Increase 2. Converted 3.</p> <p>-At the end of the year</p>			
<p>Total Amount of Debentures</p> <p>At the beginning of the year</p> <p>-Changes during the year</p> <p>1. Increase 2. Redemption 3. Converted 4.</p> <p>-At the end of the year (Auto fill)</p>			

iii) Other Securities

Type of Securities	Number of Securities	Nominal Value of each Unit (Rs.)	Total Nominal Value (Rs.)	Paid up Value of each Unit (Rs.)	Total Paid up Value (Rs.)
1.					
2.					
3.					
Total Amount:-					

Securities Premium Account

Class of Securities on which premium received	No. of Securities	Premium per unit (Rs.)	Total Premium (Rs.)
<p>Premium on Equity [specify for each type]</p> <p>At the beginning of the year</p> <p>Changes during the year</p> <p>1. Increase</p> <p>(i) Public Issue</p> <p>(ii) Private Placement / Preferential Allotment</p> <p>(iii) ESOS</p> <p>(iv) Conversion – Pref. shares / Debentures</p> <p>(v) GDR / ADR</p> <p>(vi) other, please specify.....</p> <p>2. Decrease</p> <p>(i) Utilisation for issue of bonus shares</p> <p>(ii)</p> <p>(iii)</p> <p>At the end of the year</p>			
<p>Premium on Other Securities</p> <p>[specify for each type]</p> <p>At the beginning of the year</p> <p>Changes during the year</p> <p>1. Increase</p> <p>(i) Fresh issue</p>			

<p>(a) Individual/HUF (b) Central Govt (c) State Govt (s) (d) Bodies Corp. (e) Banks / FI (f) Any Other....</p> <p>Sub-total (A) (1):-</p> <p>(2) Foreign</p> <p>(a) NRIs - Individuals (b) Other – Individuals (c) Bodies Corp. (d) Banks / FI (e) Any Other....</p> <p>Sub-total (A) (2):-</p> <p>Total shareholding of Promoter (A) = (A)(1)+(A)(2)</p>									
<p>B. Public Shareholding</p> <p>1. Institutions</p> <p>(a) Mutual Funds (b) Banks / FI (c) Central Govt (d) State Govt(s) (e) Venture Capital Funds (f) Insurance Companies (g) FIIs (h) Foreign Venture Capital Funds (i) Others (specify)</p> <p>Sub-total (B)(1):-</p>									

	Total							
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--

C. Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year				
	Date wise Increase / Decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc):				
	At the end of the year				

D. Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	For Each of the Top 10 Shareholders				
	At the beginning of the year				
	Date wise Increase / Decrease in Share holding				

	during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus / sweat equity etc):				
	At the End of the year (or on the date of separation, if separated during the year)				

E. Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	For Each of the Directors and KMP				
	At the beginning of the year				
	Date wise Increase / Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc):				
	At the end of the year				

F. INDEBTEDNESS**Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment**

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year				
i) Principal Amount ii) Interest due but not paid iii) Interest accrued but not due				
Total (i+ii+iii)				
Change in Indebtedness during the financial year				
• Addition • Reduction				
Net Change				
Indebtedness at the end of the financial year				
i) Principal Amount ii) Interest due but not paid iii) Interest accrued but not due				
Total (i+ii+iii)				

VII. DETAILS OF MEMBERS, DEBENTURE HOLDERS AND OTHER SECURITIES HOLDER

1] Ledger Folio of Share /Debenture Holder/Other security holder-

Share/Debenture Holder/ Other security holder's full Name:

Father's/Mother's / Spouse's Name

Joint Holder's Full Name

Type of Share/

1 - Equity, 2 - Preference

Debenture/other security

3 – Debentures 4-other security

Number of Shares/

Amount per

Debentures Held/

Share / Debenture/other

Other securities held

security (in Rs.)

Date of becoming

a member / Debenture holder/other security holder:-

Address :

Town / City :

District :

State :

Country :

Pin Code :

(Information to be furnished in separate sheet or in electronic mode as per the format)

[Following additional details to be given by Company without share capital]

(a) Total number of members at the date of incorporation/end of previous financial year.....

(b) Number of persons who have become members since incorporation / end of previous financial year.....

(c) Number of persons who have ceased to be members since incorporation / end of previous financial year.....

(d) Number of members as on the end of financial year.....

VIII. Details of shares / debentures transfers since the close of last financial year [or in the case of the first return at any time since the incorporation of the Company.]

Date of closure of previous financial year

Date Month Year

Date of Registration of Transfer of Shares

Date Month Year

Type of Security 1. Equity Shares 2. Preference Shares 3. Debentures

Number of shares/debenture Nominal Value (each in Rs.)

Ledger Folio of Transferor:

Transferor's Name

Ledger Folio of Transferee:

Transferee's Name

(Information to be furnished in separate sheet or in electronic mode as per the format)

IX. PROMOTERS/DIRECTORS / KEY MANAGERIAL PERSONNEL AND CHANGES THEREIN

[**Designation:-** P- Promoter, C – Chairman, CMD- Chairman cum Managing Director, CW- Chairman cum Whole time Director W –Whole Time Director, CS –Company Secretary, M – Manager, D –Director, MD – Managing Director, CEO-Chief Executive Officer, CFO-Chief Financial Officer]

[**Category:-** I- Independent, N- Nominee, A- Alternate, ED-Executive Director, NED- Non-Executive Director]

1] Promoter(s): [Give total no. of Promoters - □]

Status: Company/ies:

CIN / GIN -

PREFILL

Name

Country of Incorporation

Address of Regd Office

Individual/s

Full Name

Nationality

Address

2] Details of Directors:

i) Composition of Board of Directors

Category	At the beginning of the year		At the end of the year	
	No of Directors	% of total Number of Directors	No of Directors	% of total Number of Directors
A. Promoter				
i) Executive Directors				
ii) Non-Executive Directors				
Sub-total (A)				
B. Non-Promoter				
i) Executive Directors				
ii) Non-Executive & Independent Directors				
iii) Non-Executive & non-Independent Directors				

Sub-total (B)				
C. Nominee Directors				
i) representing lending institutions / banks				
ii) representing investing institutions				
iii) representing Govt				
iv) representing small share holders				
v) Others, if any.....				
Sub-total (C)				
Total (A+B+C+)				

ii) Details of Individual Directors**Directors:** [Give total no. of Directors -]**DIN: - [PREFILL]**

Full Name:

Father's/ Mother's / Spouse's Name
[As per DIN]

Nationality- I -Indian F-Foreign

Date of Birth Date Month Year

Designation: Category:-

Occupation:-

Email-id:-

No. of Equity Shares held in the Company:-

Date of Appointment Date Month Year Date of Ceasing :
Date Month Year

Residential Address:

Town / City :
 District :
 State :
 Pin Code :

Details of Directorships in other companies and changes therein

Sl. No.	Name of the Company	CIN of the Company	Type of Company *	Designation**	Date of Appointment	Date of Cessation
1						
2						
3						

- *Listed Company-L, Unlisted Public Company-U, Private Company-P, OPC –O
- ** C – Chairman, CMD- Chairman cum Managing Director, CW-Chairman cum Whole time Director W –Whole Time Director, D –Director, MD – Managing Director, ED- Executive Director, NED – Non-Executive Director, AD- Alternate Director

3] Key Managerial Personnel:

i) Managing Director / CEO / Manager/Whole time director

DIN/PAN / UIN/ PASSPORT NO :-

Full Name :

Father's/ Mother's / Spouse's Name
 [As per DIN/PAN/UIN/PASSPORT NO.]

Nationality-
 Date of Birth

I -Indian F-Foreign

Date Month Year

Designation :

Date of Appointment
 Date Month Year

Date of Ceasing:
 Date Month Year

Residential Address:

Town / City :

District :

State :

Pin Code :

ii) **Company Secretary**

PAN / UIN/ PASSPORT NO :-

Full Name:

Father's/ Mother's / Spouse's Name
[As per PAN/UIN/PASSPORT NO.]

Nationality-	I -Indian	F-Foreign
Date of Birth	Date	Month Year

Designation: **Membership No.**

Date of Appointment	Date of Ceasing:
Date Month Year	Date Month Year

Residential Address:

Town / City :

District :

State :

Pin Code :

iii) **Chief Financial Officer**

DIN/PAN / UIN/ PASSPORT NO :-

Full Name:

Father's/ Mother's / Spouse's Name
[As per DIN/PAN/UIN/PASSPORT NO.]

Nationality- I -Indian F-Foreign
Date of Birth Date Month Year

Designation:

Date of Appointment Date Month Year
Date of Ceasing: Date Month Year

Residential Address:

Town / City :

District :

State :

Pin Code :

iv) **Others, if any**

PAN / UIN/ PASSPORT NO :-

Full Name:

Father's/ Mother's / Spouse's Name
[As per PAN/UIN/PASSPORT NO.]

Nationality- I -Indian F-Foreign
Date of Birth Date Month Year

Designation :

Date of Appointment Date Month Year
Date of Ceasing: Date Month Year

Residential Address:

Town / City :

District :

State :

Pin Code :

X. MEETINGS OF MEMBERS/CLASS OF MEMBERS/BOARD/COMMITTEES OF THE BOARD OF DIRECTORS**A. MEMBERS/CLASS /REQUISITIONED/NCLT/COURT CONVENED MEETINGS**

Type of meeting	Date of meeting	Total Number of Members entitled to attend meeting	Attendance	
			Number	% of total shareholding
Annual General Meeting [AGM]				
Extra-Ordinary General Meeting [EOGM]				
Class Meeting				
NCLT/ Court				
Requisitioned				

B. BOARD MEETINGS

S. No.	Date of meeting	Total No. of Directors on the Date of Meeting	No. of Directors attended	% of Attendance
1				
2				
3				

C. COMMITTEE MEETINGS**NO. OF COMMITTEES**

NAME OF THE COMMITTEE:

S. No.	Date of meeting	Total No. of Members of the Committee	No. of Members attended	% of attendance
1				
2				
3				

[Separate sheet to be attached for each Committee]

D. ATTENDANCE OF DIRECTORS

Sl. No.	Name of the Director	Board Meetings			Committee Meetings (Taking all the Committee Meetings together of which a Director is a member)			Whether attended last AGM held on(Y/N)
		No of Meetings Held	No. of Meetings attended	% of attendance	No. of Meetings Held	No. of Meetings attended	% of attendance	
1								
2								
3								
4								

XI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL**A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:**

Sl. no.	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/ Manager				Total Amount
		----	---	---	----	
1.	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961 (b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961 (c) Profits in lieu of salary under					

	section 17(3) Income-tax Act, 1961					
2.	Stock Option					
3.	Sweat Equity					
4.	Commission - as % of profit - others, specify...					
5.	Others, please specify					
	Total (A)					
	Ceiling as per the Act					

B. Remuneration to other directors:

Sl. no.	Particulars of Remuneration	Name of Directors				Total Amount
		----	---	---	---	
	1. Independent Directors					
	<ul style="list-style-type: none"> • Fee for attending board / committee meetings • Commission • Others, please specify 					
	Total (1)					
	2. Other Non-Executive Directors					
	<ul style="list-style-type: none"> • Fee for attending board / committee meetings • Commission • Others, please specify 					
	Total (2)					
	Total (B)=(1+2)					
	Total Managerial Remuneration					
	Overall Ceiling as per the Act					

C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD

Sl. no.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			
		CEO	Company Secretary	CFO	Total
1.	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961 (b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961 (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961				
2.	Stock Option				
3.	Sweat Equity				
4.	Commission - as % of profit - others, specify...				
5.	Others, please specify				
	Total				

XII. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES:

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty / Punishment/ Compounding fees imposed	Authority [RD / NCLT / COURT]	Appeal made, if any (give Details)
A.COMPANY					
Penalty					
Punishment					
Compounding					

B.DIRECTORS					
Penalty					
Punishment					
Compounding					
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty					
Punishment					
Compounding					

XIII. MATTERS RELATED TO CERTIFICATION OF COMPLIANCES AND DISCLOSURES

A. CERTIFICATION OF COMPLIANCES

Details of events / matters in respect of which the company was liable to file returns or comply with requisite provisions of the Companies Act and rules made thereunder;-

Description of the Event / Matter	Date Of The event	Section& Description	Due date for filing / compliance	Date of Filing with SRN/ SRN/ compliance	Concerned Authority (ROC/ NCLT /Court)	Reasons for delay, if any

B. DISCLOSURES

1. Closure of Register of Members / Debenture	Date of Closure of	Purpose	Date of Public Notice	No. of Days for which Register
---	--------------------	---------	-----------------------	--------------------------------

2.	Declaration of Dividend	Date of Declaration	Percentage	Dividend Per Share	
	<ul style="list-style-type: none"> • Interim Dividend • Final Dividend 				
3.	Delisting of Shares / Securities, if any	Name of Stock Exchange from where it is delisted	Date of Delisting	Remarks	
4.	Change in Nominal Value of Shares /	Nominal Value per share before Change	Nominal Value per share after Change	Date of Change	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sub-division • Consolidation 				
5.	Particulars of inter-corporate loans, investments, etc	Name of the body corporate	Aggregate amount of loans, investments During the year (for each body corporate)	Relation with such body corporate (whether it is holding, subsidiary or associate)	Remarks
6.	Contracts or arrangements in which directors are interested / related party transactions	Name of the director / related party	Date of disclosure of interest	Date of contract / arrangement	Brief particulars of the contract / arrangement
7.	Details of resolutions passed by postal ballot	Brief Particulars of resolution	Number of votes cast		
			For	Against	

XIV. Details in respect of shares held by or on behalf of the FII's.

Name of FII	Address	Country Of Incorporation	Regn. No. with SEBI / RBI	% of share holding
-------------	---------	--------------------------	---------------------------	--------------------

XV. OTHER DISCLOSURES**(1) Corporate Social Responsibility**

(a) Amount spent by the company during the financial year in pursuance of its Corporate Social Responsibility policy –

(b) The amount spent as percentage of the average net profits of the company made during the three immediately preceding financial years-

(2) Limits under following sections of the Act:-

Section	Brief Description	Limit (Rs.)
186(2) [loan and investment by company]		
180(1)(c) [restrictions on powers of board]		

(3) Disclosure of Directors-

- All the Directors have furnished notices in form 12.1 and additional disclosures, wherever applicable, during the year;
- Each independent director has given a declaration that he meets the criteria of independence as provided in sub-section (6) of section 149.

(4) The Company has duly appointed/re-appointed -----Chartered Accountant as the Auditor of the Company at the annual general meeting held on-----

We certify that:

- (a) The return states the facts, as they stood on the date of the closure of the financial year aforesaid correctly and adequately.
- (b) The whole of the amount of unpaid/ unclaimed dividend/other amounts as applicable have been transferred to the Investor Education and Protection Fund in accordance with section 125 of the Act.
- (c) The Company has maintained all the registers as per the provisions of the Act and the rules made there under and
- (d) Unless otherwise anything in contrary is stated expressly elsewhere in this Return, the Company has complied with the applicable provisions of the Act during the financial year.

(Certificates to be given by Private Companies)

(e) The company has not, since the date of the closure of the last financial year with reference to which the last return was submitted or in the case of a first return since the date of the incorporation of the company, issued any invitation to the public to subscribe for any securities of the company.

(f) Where the annual return discloses the fact that the number of members, except in case of a one person company, of the company exceeds two hundred, the excess consists wholly of persons who under second proviso to clause (ii) of sub-section (68) of section 2 of the Act are not to included in the reckoning the number of two hundred.

(g) The Company continues to be a Private Company during the financial year.

(Certificate to be given only by One Person Company / Small Company)

(i) The Company continues to be one person company / small company.

Signed

Director: _____

Company Secretary /Company Secretary in practice

Notes:-

1] Under Section 92(1) of the Act, the Annual Return is to be signed both by a Director and a Company Secretary, or where there is no Company Secretary, by a Company Secretary in practice.

2] Under proviso to Section 92(1) of the Act, the Annual Return of a One Person Company and a Small Company shall be signed by the Company Secretary or where there is no Company Secretary, by a director of the company.

3] Under sub section (2) of Section 92 of the Act, the Annual Return of a listed company or by a company having such paid-up capital and turnover as may be prescribed shall also be certified by a company secretary in practice in the prescribed manner.

Form No. MGT-8

[Pursuant to section 92(2) of the Companies Act, 2013 and rule 11(2) of Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

CERTIFICATE BY A COMPANY SECRETARY IN PRACTICE

I/ We have examined the registers, records and books and papers of ----- **Limited/Private Limited** (the Company) as required to be maintained under the Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder for the financial year ended on -----, 20----. In my/ our opinion and to the best of my information and according to the examinations carried out by me/ us and explanations furnished to me/ us by the company, its officers and agents, I/ we certify that:

A. the Annual Return states the facts as at the close of the aforesaid financial year correctly and adequately.

B. during the aforesaid financial year the Company has complied with provisions of the Act & Rules made there under in respect of:

1. its status under the Act;
2. maintenance of registers/records & making entries therein within the time prescribed therefor;
3. filing of forms and returns as stated in the annual return, with the Registrar of Companies, Regional Director, Central Government, the Tribunal, Court or other authorities within/beyond the prescribed time;
4. calling/ convening/ holding meetings of Board of Directors or its committees, if any, and the meetings of the members of the company on due dates as stated in the annual return in respect of which meetings, proper notices were given and the proceedings including the circular resolutions and resolutions passed by postal ballot, if any, have been properly recorded in the Minute Book/registers maintained for the purpose and the same have been signed;
5. closure of Register of Members / Security holders, as the case may be.
6. advances/loans to its directors and/or persons or firms or companies referred in section 185 of the Act;
7. contracts/arrangements with related parties as specified in section 188 of the Act;
8. issue or allotment or transfer or transmission or buy back of securities/ redemption of preference shares or debentures/ alteration or reduction of share capital/ conversion of shares/ securities and issue of security certificates in all instances;
9. keeping in abeyance the rights to dividend, rights shares and bonus shares pending registration of transfer of shares in compliance with the provisions of the Act
10. declaration/ payment of dividend; transfer of unpaid/ unclaimed dividend/other amounts as applicable to the Investor Education and Protection Fund in accordance with section 125 of the Act;
11. signing of audited financial statement as per the provisions of section 134 of the Act and report of directors is as per sub - sections (3), (4) and (5) thereof;
12. constitution/ appointment/ re-appointments/ retirement/ filling up casual vacancies/ disclosures of the Directors, Key Managerial Personnel and the remuneration paid to them;
13. appointment/ reappointment/ filling up casual vacancies of auditors as per the provisions of section 139 of the Act;
14. approvals required to be taken from the Central Government, Tribunal, Regional Director, Registrar, Court or such other authorities under the various provisions of the Act;
15. acceptance/ renewal/ repayment of deposits;

16. borrowings from its directors, members, public financial institutions, banks and others and creation/ modification/ satisfaction of charges in that respect, wherever applicable;

17. loans and investments or guarantees given or providing of securities to other bodies corporate or persons falling under the provisions of section 186 of the Act ;

18. alteration of the provisions of the Memorandum and/ or Articles of Association of the Company;

Place:

Signature:

Date:

Name of Company Secretary in practice:

C.P. No. :

Note: The qualification, reservation or adverse remarks; if any, may be stated at the relevant place(s).

Form No. MGT-9
EXTRACT OF ANNUAL RETURN
as on the financial year ended on _____

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies
(Management and Administration) Rules, 2014]

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

- i) CIN:-
- ii) Registration Date
- iii) Name of the Company
- iv) Category / Sub-Category of the Company
- v) Address of the Registered office and contact details
- vi) Whether listed company Yes / No
- vii) Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10 % or more of the total turnover of the company shall be stated:-

Sl. No.	Name and Description of main products / services	NIC Code of the Product/ service	% to total turnover of the company
1			
2			
3			

Total shareholding of Promoter (A) = (A)(1)+(A)(2)									
B. Public Shareholding 1. Institutions a) Mutual Funds b) Banks / FI c) Central Govt d) State Govt(s) e) Venture Capital Funds f) Insurance Companies g) FIIs h) Foreign Venture Capital Funds i) Others (specify) Sub-total (B)(1):- 2. Non-Institutions a) Bodies Corp. i) Indian ii) Overseas b) Individuals i) Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 lakh ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs 1 lakh c) Others (specify) Sub-total (B)(2):-									

Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+(B)(2)									
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs									
Grand Total (A+B+C)									

(ii) Shareholding of Promoters

Sl No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Share holding at the end of the year			% change in share holding during the year
		No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged / encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged / encumbered to total shares	
1								
2								
3								
	Total							

(iii) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year				
	Date wise Increase / Decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g.				

	allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc):				
	At the End of the year				

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year				
	Date wise Increase / Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus / sweat equity etc):				
	At the End of the year (or on the date of separation, if separated during the year)				

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

Sl. No.	For Each of the Directors and KMP	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year				
	Date wise Increase / Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc):				
	At the End of the year				

V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year i) Principal Amount ii) Interest due but not paid iii) Interest accrued but not due				
Total (i+ii+iii)				
Change in Indebtedness during the financial year • Addition • Reduction				
Net Change				
Indebtedness at the end of the financial year i) Principal Amount ii) Interest due but not paid iii) Interest accrued but not due				

Total (i+ii+iii)				

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

Sl. no.	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/ Manager				Total Amount
		----	---	---	----	
1.	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961 (b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961 (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961					
2.	Stock Option					
3.	Sweat Equity					
4.	Commission - as % of profit - others, specify...					
5.	Others, please specify					
	Total (A)					
	Ceiling as per the Act					

B. Remuneration to other directors:

Sl. no.	Particulars of Remuneration	Name of Directors				Total Amount
		-----	----	----	---	
	3. Independent Directors • Fee for attending board / committee meetings • Commission • Others, please specify					
	Total (1)					

	4. Other Non-Executive Directors					
	<ul style="list-style-type: none"> • Fee for attending board / committee meetings • Commission • Others, please specify 					
	Total (2)					
	Total (B)=(1+2)					
	Total Managerial Remuneration					
	Overall Ceiling as per the Act					

C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD

Sl. no.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			
		CEO	Company Secretary	CFO	Total
1.	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961 (b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961 (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961				
2.	Stock Option				
3.	Sweat Equity				
4.	Commission - as % of profit - others, specify...				
5.	Others, please specify				
	Total				

VII. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES:

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty / Punishment/ Compounding fees imposed	Authority [RD / NCLT/ COURT]	Appeal made, if any (give Details)
Penalty					
Punishment					
Compounding					
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty					
Punishment					
Compounding					

Form No. MGT-10**Changes in shareholding position of promoters and top ten shareholders**

[Pursuant to section 93 of the Companies Act, 2013 and rule 13 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

1. (a) CIN:
(b) GLN:
2. (a) Name of the company:
(b) Registered office address:
(c) E-mail id:
3. Name of the stock exchange where the shares of the company are listed:
(i)
(ii)
4. Details of change in shareholding position of promoters:

Name of the Promoter	No. of shares held before the change	% of shareholding before the change	Change in share holding in number of shares (+) Increase (-) decrease	No. of shares held after the change
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

% of shareholding after the change	Reason for change	No. of shares pledged/encumbered after the change	Remarks
(6)	(7)	(8)	

5. Details of change in shareholding position of top ten share holders:

Name of the share holders	No. of shares held before the change	% of shareholding before the change	Change in share holding in number of shares (+) Increase (-) decrease	No. of shares held after the change
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

% of shareholding after the change	Reason for change	No. of shares pledged/encumbered after the	Remarks

		change	
(6)	(7)	(8)	

Signature

Date :
Place :

Form No. MGT-11
Proxy form

[Pursuant to section 105(6) of the Companies Act, 2013 and rule 19(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

CIN:
Name of the company:
Registered office:

Name of the member (s) :
Registered address :
E-mail Id:
Folio No/ Client Id :
DP ID :

I/We, being the member (s) of shares of the above named company, hereby appoint

1. Name :
Address :
E-mail Id :
Signature :....., or failing him
2. Name :
Address:
E-mail Id :
Signature:....., or failing him
3. Name :
Address:
E-mail Id:
Signature:.....

as my/our proxy to attend and vote (on a poll) for me/us and on my/our behalf at theAnnual general meeting/ Extraordinary general meeting of the company, to be held on the day of..... At..... a.m. / p.m. at.....(place) and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated below :

Resolution No.

- 1.....
2.....
3.....

Signed this..... day of..... 20....

Signature of shareholder

Signature of Proxy holder(s)

Affix Revenue Stamp

Note: This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the Registered Office of the Company, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.

Form No. MGT-12**Polling Paper**

[Pursuant to section 109(5) of the Companies Act, 2013 and rule 21(1)(c) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

Name of the Company:

Registered office:

BALLOT PAPER

S No	Particulars	Details
1.	Name of the First Named Shareholder (In block letters)	
2.	Postal address	
3.	Registered folio No. / *Client ID No. (*Applicable to investors holding shares in dematerialized form)	
4.	Class of Share	

I hereby exercise my vote in respect of Ordinary/ Special resolution enumerated below by recording my assent or dissent to the said resolution in the following manner:

No	Item No.	No. of shares held by me	I assent to the resolution	I dissent from the resolution
1.				

Place:

Date:

(Signature of the shareholder)

FORM No. MGT-13**Report of Scrutinizer(s)**

[Pursuant to rule section 109 of the Companies Act, 2013 and rule 21(2) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

To,

Chairman

_____ Annual / Extraordinary General Meeting of the Equity Shareholders of
_____ Limited

Held on _____ at _____

Dear Sir,

I/We, _____, *and _____, appointed as Scrutinizer(s) for the purpose of the poll taken on the below mentioned resolution(s), at the _____ meeting of the Equity Shareholders of _____ Limited, held on _____ at _____, submit our report as under:

1. After the time fixed for closing of the poll by the Chairman, _____ ballot boxes kept for polling were locked in my/our presence with due identification marks placed by me/us.
2. The locked ballot boxes were subsequently opened in my/our presence and poll papers were diligently scrutinized. The poll papers were reconciled with the records maintained by the Company / Registrar and Transfer Agents of the Company and the authorizations / proxies lodged with the Company.

3. The poll papers, which were incomplete and/or which were otherwise found defective have been treated as invalid and kept separately.

OR

I/We did not find any poll papers invalid.

** Not applicable if there is only one scrutinizer appointed.*

4. The result of the Poll is as under:

(a) Resolution _____ - _____

(Reproduce Item No. and heading of the Resolution)

(i) Voted **in favour** of the resolution:

Number of members present and voting (in person or by proxy)	Number of votes cast by them	% of total number of valid votes cast

(ii) Voted **against** the resolution:

Number of members present and voting (in person or by proxy)	Number of votes cast by them	% of total number of valid votes cast

(iii)

Invalid votes :

Total number of members (in person or by proxy) whose votes were declared invalid	Total number of votes cast by them

(b)

Resolution _____ - _____*(Reproduce Item No. and heading of the Resolution)*

(i)

Voted **in favour** of the resolution:

Number of members present and voting (in person or by proxy)	Number of votes cast by them	% of total number of valid votes cast

(ii)

Voted **against** the resolution:

Number of members present and voting (in person or by proxy)	Number of votes cast by them	% of total number of valid votes cast

(iii)

Invalid votes :

Total number of members (in person or by proxy) whose votes were declared invalid	Total number of votes cast by them

----- *(Enumerate depending on the number of resolutions for which poll is taken)*

5. A Compact Disc (CD) containing a list of equity shareholders who voted "FOR", "AGAINST" and those whose votes were declared invalid for each resolution is enclosed.

6. The poll papers and all other relevant records were sealed and handed over to the Company Secretary / Director authorized by the Board for safe keeping.

Thanking you,

Yours faithfully,

Place: _____

Dated: _____

Name/s and Signature/s of the Scrutinizer/s

FORM NO. MGT.14

[Pursuant to section 94(1), 117(1) of The Companies Act, 2013 and section 192 of The Companies Act, 1956 and rules made thereunder]

**Filing of Resolutions and agreements to the Registrar**

Form language English Hindi

Refer the instruction kit for filing the form.

1.(a) *Corporate identity number (CIN) of company

**Pre-
fill**

(b) Global location number (GLN) of company

2.(a) Name of the company

(b) Address of the registered office of the company

(c) *e-mail ID of the company

3. *Registration of Resolution(s) Agreement Postal ballot resolution(s) under Section 110
 Proposed resolution under section 94(1)

4. Date of dispatch of notice for passing of

(a) Resolution(s)

(DD/MM/YYYY)

(b) Postal ballot resolution(s)

(DD/MM/YYYY)

5. Date of passing of

(a) Resolution(s)

(DD/MM/YYYY)

(b) Postal ballot resolution(s)

(DD/MM/YYYY)

6. Number of resolution(s) for which the form is being filed

Details of the resolution

I.

(a) (i) Section of the Companies Act, 2013 under which passed

(ii) Section of the Companies Act, 1956 under which passed

(b) Purpose of passing the resolution

If others, mention the section and purpose

(c) Subject matter of the resolution

(d) Mention whether resolution passed by postal ballot Yes No

(e) Indicate the authority passing or agreeing to the resolution
 Board of directors Shareholders Class of shareholders Creditors

(f) Whether ordinary or special resolution or with requisite majority
 Ordinary resolution Special resolution Requisite majority

7. (a) In case of alteration in object clause, whether there is any change in the industrial activity of the company

Yes No

(b) If yes, provide the main division of new industrial activity of the company

Description of the main division

8. In case of voluntary winding up under section 304, provide the following details

(a) Mode of winding up Members' Creditors'

(b) Date of commencement of winding up (DD/MM/YYYY)

(c) Number of liquidators

Details of liquidator(s)

I.

Income-tax permanent account number (Income-tax PAN)

Name

Address

Line I

Line II

City

State

Country

Pin Code

9. Details of agreement

(a) Date of agreement (DD/MM/YYYY)

(b) (i) Section of the Companies Act, 2013 under which entered

(ii) Section of the Companies Act, 1956 under which entered

(c) Purpose of entering into the agreement

If others, mention the section and purpose

(d) Subject matter of the agreement

(e) Indicate the authority adopting the agreement

Board of directors Shareholders Class of shareholders Creditors

10. Service request number(SRN) of Form INC.28

11. Total number of members as on the date of filing

Attachments

1. Copy(s) of resolution(s) along with copy of explanatory statement under section 102
2. Altered memorandum of association
3. Altered articles of association
4. Copy of agreement
5. Optional attachment(s) - if any

Attach

Attach

Attach

Attach

Attach

List of Attachments

5. Optional attachment(s) - if any

Remove Attachment

Declaration

I am authorized by the Board of Directors of the Company vide resolution number Dated (DD/MM/YYYY) to sign this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I further declare that :

1. Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the company.
2. All the required attachments have been completely and legibly attached to this form. It is also certified that copy of the resolution(s) or agreement(s) filed herewith is or are a true copy(s) of the original.
3. Any application, writ petition or suit had not been filed regarding the matter in respect of which this petition/application has been made, before any court of law or any other authority or any other Bench or the Board and not any such application, writ petition or suit is pending before any of them.

***To be digitally signed by**

DSC Box

*Designation

Name of liquidator

*Director identification number of the director; or Income-tax

PAN of the liquidator; DIN or Income-tax PAN of manager or CEO or CFO; or membership number of Company secretary;

Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence respectively

For office use only:

eForm Service request number (SRN)

eForm filing date

(DD/MM/YYYY)

This e-Form is hereby registered

Digital signature of the authorising officer

Date of signing

(DD/MM/YYYY)

Form No. MGT 15 :

Form for filing Report on Annual General Meeting

Pursuant to section 121(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 31(2) of Companies (Management and Administration) Rules, 2014

1. (a) CIN _____ Prefill
(b) GLN _____
2. (a) Name of the company _____
(b) Registered office address _____
(c) E-mail id _____
3. Details of the meeting:
 - (i) day, date, hour of the annual general meeting: _____;
 - (ii) venue of the annual general meeting: _____;
 - (iii) whether chairman of the meeting appointed: _____;
 - (iv) number of members attending the meeting: _____;
 - (v) whether the requisite quorum is present: _____;
 - (vi) business transacted at the meeting and result thereof: _____;
 - (vii) Particulars with respect to any adjournment of meeting and change in venue: _____;
 - (viii) Particulars with respect of postponement of meeting and change in venue; and _____;
 - (ix) Any other points relevant for inclusion in the Report. _____.
4. Fair summary of proceedings of the meeting. _____
5. Confirmed that the meeting was called, convened, held and conducted as per the provisions of the Act, the rules and secretarial standards made thereunder.

Signed and dated by Chairman of the meeting :

In case of inability of chairman to sign, by any two directors of the company, one of whom shall be managing director, if there is one and company secretary of the company.

[F. No. 01/34/2013 CL-V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.